महानगर नई दिल्ली गुरुवार 10 अक्तूबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

# जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

epaper.jansatta.com

# जनसत्ता क्लासीफाइड

## व्यक्तिगत

It is for general information that I,Laxman S/o Late Sh.Sukhdev R/o House No.156, Harijan-Basti , Village-Rajokri, New Delhi-110038, inform that name of mine has been wrongly -written as Laxman Lohmorh in my daughter's 12th-Class Certificates(Meenakshi D.O.B -24/01/2000) educational document.The actual name of mine Laxman respectively, which may be amended accordingly. 0040515387-6

I,Ranjana Tripathi D/o Late.Sh. Dharam Pal Sharma R/o-H.No. 248/5 Ward.No.6,Mehrauli New.Delhi-110030,have changed my name Ranjana Sharma for all purpose. 0040515352-1

I,Mahak Kapoor D/o-Sh.Dalip Kapoor R/O-M-142,SF Guru Harkishan Nagar,Paschim Vihar,New Delhi-87,have changed my name to Mehak Kapoor for all,purposes in future. 0040515352-4

I, hitherto known as SABHRANT S/o DEVENDRA KUMAR SACHAN residing at 23/164, LODHI COLONY,NEW DELHI-110003, have changed my name and shall hereafter be known as SABHRANT SACHAN. 0040515347-1

I, Zeenat W/o Mohd Saleem R/o 1272, Gali No.2, Faiz Ganj Bahadur Garh Road Delhi-110006 have changed my name to Zeenat Fatima for all purposes. 0040515344-1

I, Vivek Kumar S/o Mahesh Chander Sharma R/o-K2/5, 4th-Floor Budh-Vihar Phase-1, Sultanpuri C-Block, Saraswati -Vihar, North/West/Delhi, Delhi-110086,have changed my name to Vivek Sharma for all purposes. 0040515395-7

I, Shilpa R/o H No. 28, Block-A, Friends Enclave, Near Rathi Mode, Sultanpuri, Delhi-110086 have changed my name to Shilpa Singhal. 0070677867-1

I, Vinay Kumar Talwar S/O, Narinder Kumar Talwar R/o H.No 23 Shakarpur Village Near Happy Modern School Shakarpur, Delhi-92, have changed my name to Vinay K Talwar. 0040515397-1

I, Veerappan Mutthaiya Chandran Gabriel S/o Veerappan Mutthaiya Chandran Gabriel R/o-1093/1/27, Third-Floor, ST.John-Church Compound Ward-1, Kh.No.1151/3, Mehrauli, Delhi-110030, changed my name to Chandran Gabriel. 0040515392-7

I, Ved Prakash Kain S/o Ram Prasad Kain R/o-8/395 Loni-Gate, Chhota Bazar, Civil-Hospital, Shahdara Delhi-110032,have changed the name of my minor son Aryan(15-Years)and he shall hereafter be known as Aryan Kain. 0040515382-2

I, Sonu W/o Joginder Pal Saini, R/o F-19/40, 2nd Floor, Sector-15, Rohini, New Delhi-110089 have changed my name to Ranjeeta Saini 0040515375-1

I, Sonia Talreja W/o Sunny Dhawan R/o-E4/21C, Model Towen-II, Delhi-9, have changed my name to Sonia Dhawan, permanently. 0040515406-4

I, Shree Pal S/O Jugal Kishore Jain R/O-82, Pal Gali, Mukesh-Nagar, Shahdara, Delhi-110032, Changed My Name To Shri Pal Jain. 0040515406-2

I, Shankar Singh Kirola S/o Ram Singh Kirola H.No.375, Gali.No.9, F-Block, Tomar-Colony, SantNagar, Burari, Delhi-110084.,changed my name to Shankar Singh. 0040515392-5

I, Shahabuddin S/O Qamruddin, R/O-A-17, Gali.No-1, Jyoti-Colony, Shahdara, Delhi-110032. CHANGED My Name To Shahabuddin Saifi. 0040515406-1

I, Saurabh Sarakar S/O Sunil Sarakar, R/O-G-1/390, First-Floor, Dal-Mill-Road, Gali.No-6, Uttam-Nagar, N.Delhi-110059. Changed my name to Saurabh Sarkar. 0040515406-3

I, Sarika Verma,W/O-Sanjay Kumar.,H.No.A-56, Amrit-Nagar,(Behind-South-Extn).,Part-I, New-Delhi-110003,That Bhoomi Titoria is My Daughter Who is Studying In Class-9th-B, Her School-Admission Form in My Name-Mentioned As Sarika Kumar Instead Of Sarika Verma. 0040515406-6

I, Sanjay Kumar s/o Pishori Lal r/o 4/56, SF, Ramesh Nagar, Delhi-110015, have changed my name to SANJAY JOLLY. 0040515383-1

I, Vikram Kumar R/o 106-c, Ambedkar Colony, Bijwasan, South West Delhi, Delhi-110061, have changed my name to Vikram Kumar Pradhan 0070677866-1

I, No 4076832 N Ex Recruit Pradeep Singh Rawat Village-khaira, Post Office- Khaira Sain, Patti Malla Badalpur, District- Pauri Garhwal, Pin Code-246172 Uttarakhand. As per service record my daughter name has erroneously been mentioned as Astha whereas her real name is Astha Rawat. 0070677859-1

## व्यक्तिगत

I, Sakshi Aggarwal W/o Naval Kishore Goyal R/o E-166, Assotech The Nest, Crossings Republic, Ghaziabad, UP-201016 have changed my name to Sakshi Goyal. 0040515396-1

I, Rita Devi D/o Pritam Singh W/o Raj Kumar Banyal R/o-C-19 Aravalli Apartments, Sector-52 Noida, Gautambudh Nagar U.P.-201301,have changed my name to Rita Banyal.,for all purposes. 0040515382-3

I, Ramzan Ali S/o Faiz Mohammed R/o B-544, Avantika Rohini Sector-1 Delhi-110085 inform that in my 10th Board Certificate issued by Punjab School Education Board, spelling of my father's name is mentioned wrong as Fez Mohammed whereas correct spelling is Faiz Mohammed 0040515346-1

I, Ramesh Kumar S/o Sh.Kesho Ram Gupta R/o H.No.E-33, Sushila-Road, Adarsh-Nagar, Delhi-110033 have changed my name to Ramesh Kumar Bansal. 0040515395-5

I, Rakesh/Rakesh Kumar/ Rakesh Kumar Bhola S/o Ram Saran R/o-A-76, A-Block, Ashok Vihar-1, Delhi-110052 changed my name to Rakesh Bhola. 0040515392-9

I, Rajesh Kumar S/O Laxmi Narayan R/O-L-2, Galino.23, Near Adarsh-Nagar, Mahendra Park, Delhi-110033. Changed my Name to Rajesh Kumar Jindal. 0040515395-2

I, Puran Chand s/o Ladu Ram residing Plot No. 76, F.F. Block-O Extn., Vani Vihar, Uttam Nagar, Delhi-110059, have changed my name to Puran Chand Rathi for all purposes. 0040515349-1

I, Puneet S/o Ravi R/o C-338, J.J.Colony, Raghubir-Nagar, Delhi-110027 have changed my name to Puneet Kumar. 0040515392-2

I, Priyanka Mandoliya D/o Anil R/o 1/321, Dakshinpuri, Delhi-110062 have changed my name to Priyanka Kumari Mandoliya. 0040515395-1

I, Prem Singh S/o Surjan Singh R/o H.No.147 Gali No.5 (Bandh) Ambedkar Nagar Haiderpur Delhi 110088 have changed my name from Prem Singh Bamber to Prem Singh permanently. 0040515346-2

I, Pramod S/o Shyam Lal R/o N-349 S-Block Mangolpuri Delhi-110083 have changed my name to Parmod Kumar. 0040515392-8

I, Prabhu Singh S/o Mukhtyar Singh R/o-H.No.D-742/2 GaliNo.13, Ashok-Nagar, Shahdara Delhi-110093,have changed my name to Prabhu Singh Shishodiya,for all purposes. 0040515382-4

I, Poonam Bala W/O Suresh Kumar R/O-C-6/145a, Keshav Puram, Delhi-35 Have Changed My Name To Poonam. 0040515395-3

I, Poonam Bala W/O Suresh Kumar R/O-C-6/145a, Keshav Puram, Delhi-35 Have Changed My Name To Poonam. 0040515387-3

I, Pooja D/o Govind Das R/o A-90, JJ Colony, Sector-24, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Pooja Arya. 0040515363-1

I, Parveen Kaushik S/o-Mahender Partap R/oH.No.175 Ground-Floor, Pocket-22, Sector-24, Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Praveen Kaushik,for all future purposes. 0040515390-7

I, Nisha W/o Sh. Sunil Kumar R/o H.No. 420 Brahman Mohlla Khera Kalan, Delhi-110082, have changed my name from Kumari Nisha to Nisha for all future purposes. 0040515342-1

I, Navneet Singh S/o Harbhajan Singh R/o-B-404, Sudershan-Park, N.Delhi-110015 have changed my minor son's name Bhavneet Singh to Bavneet Singh. 0040515390-2

I, Mrs. Rajeshwari W/o Mahesh Kumar R/o 110/A, Street No.2, Village-Gamri, Delhi-110053, have changed my name from Rajesh to Rajeshwari for all future purposes. 0040515389-2

I, Mohd Saleem S/o Faiyaz Hussain R/o 1272, Gali No.2, Faiz Ganj Bahadur Garh Road Delhi-110006 have changed my minor son's name from Mohd Kabeer to Mohd Kabir for all purposes. 0040515344-2

I, Mohd Abu Shahma S/o Abdul Rub R/o-10-B, West LaxmiMarket, AramPark, Delhi-110051 have changed my name to Abu Shahma for all purposes. 0040515387-9

I, Mohammad Taufeeq S/o Rafeeq Ahmad R/o-20/1, Kalan-Masjid, Nizamuddin, Delhi-110013. have changed my name to Hakeem Mohammad Taufeeq. 0040515392-3

I Raju Kumar S/O Surender Singh Dube Resident Vpo-Badh Malik,Distt-Sonipat, Haryana. Have Changed My Name To Raj Kumar. 0040515390-4

I Mohd Naim S/O Mohd Yunus, H.No-5118, Bara-Tooti Gali Peer-Mohammad Sadar-Bazar Delhi-110006 changed my name to Mohammad Naeem. 0040515395-6

I Ashok Kumar S/o Kundan Lal Arora R/o LD- 50 Pitampura, Delhi Changed My name to Ashok Kumar Arora 0050156413-1

I, Manish Kumar s/o Suresh Kumar Gupta r/o 2nd Floor, 1367-A, Gali No.-8, Govindpuri, Kalkaji, Delhi-110019, have changed my name to MANISH KUMAR GUPTA. 0040515355-1

I, Manish Kumar S/O Puran Chand Paharia R/O Hno.68, Ah-Block, Shalimar Bagh, Delhi-110088. Changed My Name To Manish Paharia. 0040515395-4

I, Mahender Sharma S/o Rama Shankar Sharma R/O-D-1761, Ist-Avenue, Gaur-City 1, GH-01, Sector-4, Greater Noida-West, Gautambudh-Nagar, U.P.201306, Changed My Name Mahender Kumar Sharma. 0040515395-10

I, Rahul Singh S/O Prem Singh Tomar R/O-A-123 Himalya Enclave Kohra Colony Gaziabad Have Add Surname To Rahul Singh Tomar. 0040515387-1

I, Mahdhvi Ahirwal/Madhvi Devi, W/O Shri.Ashwani Kumar R/O-H-19/43, Sector-7, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Madhvi, for all purposes. 0040515392-1

I, Latika Kursija W/o-Sandeep Kursija R/o-B1/5, IInd-Floor, Rana-Pratap Bagh, Delhi-5, have changed my name from Jyoti Sainani to Latika Kursija,for future purposes. 0040515390-9

I, Lalit Kumar Salewan S/o Sompal Salewan R/o-AB-15, Pandara Road, N. Delhi-110003 have changed my name to Lalit Kumar Salwan. 0040515392-6

I, Kusum Lata Dembla W/o Subhash Chander R/o B-68, Pushpanjali Enclave Pitam Pura Delhi-110034 have changed my name to Kusum Dembla for all purposes. 0040515340-1

I, Km Sima Yadav D/O Damodar Yadav R/O-A-43, Yadav Enclave, GaliNo.2, Kirari, Suleman-Nagar, Delhi86.Have Changed My Name To Sima Yadav. 0040515387-2

I, Karandeep Singh Dua S/o Gurpreet Singh Dua R/o-F-313, Mansarover Garden, N.Delhi-110015 have changed my name to Karandeep Singh. 0040515390-3

I, Kanika Rana W/o Sh. Vaibhav Malik R/o B-1A/31-C, Janak puri, New Delhi-110058, have changed my name to Kanika Malik after marriage for all purposes. 0040515345-1

I, Iqtekhar Ahemad S/o Bakhtiar Ahmed R/o-C-400, Gali No.11, West-Vinod Nagar, Shakarpur, Delhi-110092, have changed my name to Iftikhar Ahmed. 0040515392-4

I, Hitherto known as Jasmine D/o Shahzad R/o-C-25, F-3 Dilshad-Colony Delhi-110095,have changed my name and shall hereafter be known as Jasmine Isaac. 0040515382-1

I, Harish Chandra Nailwal S/O-Luxmi Dutt Nailwal, H.No-99-D, Pocket-B Dilshad-Garden, New-Seemapuri East/Delhi-110095. Have Changed My Name To Harish Nailwal. 0040515390-5

I, Gopal Kishan S/o Gian Chand R/o-A-557, PKT-1, Paschim-Puri, N.Delhi-110063 have changed my name to Gopal Krishan Attal. 0040515390-1

I, Deepika W/O Manish Kumar, Residing At-B-5834, Gali No.116, Sant-Nagar, Burari, Delhi-110084.,Have Changed The Name Of My Bharti Aged 38-Years And Shall Hereafter Be Known As Deepika. 0040515395-8

I, Dalip Chopra S/o-Shri Ram Chopra R/o-311,Bhera Enclave,Paschim Vihar,New Delhi-87,have changed my name Dalip Kumar Chopra in future for all purpose. 0040515352-3

I, Bhupender Kumar Sharma S/o Dharamveer Sharma R/o A-64, Sector-53, Noida (U.P.) have changed my name to Bhupendra Sharma. 0040515389-1

I, Arvind Kumar S/o Sh. Rajendra Singh Negi R/o 9/211, Third Floor, DDA Flat, Madangir, Ambedkar Nagar, South Delhi-110062, have Changed my name Arvind Negi for all future purposes. 0040515343-1

I, Arjun Singh Kandari S/o Tej Singh Kandari R/o 2680, Kh. No.135/16, 1st Floor, Gali No.68, Block-B, Near Masjid, Sant Nagar, Burari, Delhi-110084 have changed my name to Arjun Kandari for all future purposes. 0040515381-1

I, Arjit Singh S/o Satinder Singh Matharu R/o-G-13A, Arjun-Nagar Street No.4, near Radhey-Puri New Delhi-51,changed my name to Arjit Singh Matharu. 0040515387-8

I, Anoj Maurya W/O Deshraj Maurya,Residing At,Rz-B-25, Nihal-Vihar, Nangloi, Delhi-110041.,Have Changed The Name Of My Minor Daughter Anamika Mourya, Aged 11-Years And Shall Hereafter Be Known As Anamika Maurya. 0040515395-9

I Marina Torchia Batra W/o Deepak Batra R/o-W12/30, Lane W-12D, Western Avenue, Sainik Farm, New Delhi-110080 have changed my name to Marina Torchia 0040515386-1

I Faheemuddin,S/O Imtiyaj Ahmad Resident-A-312/1, Kh. No.129, Ground Floor Street No.9, Afghani-Chowk, Wazirabad Delhi-110084, have changed my name to Fahimuddin. 0040515387-5

## व्यक्तिगत

मेरे पति के सैन्य अभिलेखों में त्रुटिवश मेरी जन्म तिथि 22 मई 1889 अंकित है सही व वास्तविक जन्म तिथि 18 जुलाई 1989 पढ़ा व लिखा जाए, मंजू पांडे पत्नी 4197008F NK हरिश चन्द्र गाँवः मधुबन कॉलोनी उंचापुल हल्द्वानी नैनीताल-263139

I, Amarjit Kour w/o Gurmeet singh R/o 5562-63, Shora kothi pahar ganj Central Delhi, Delhi -110055 have changed my name to Amarjeet kaur 0070677865-1

I, Abdul Kudus Ansari. S/O Abdul Aziz Ansari. Add-E-241/1c. Abulfazal. Enclave. Part-2saheen-Bagh Jamianagar Okhela Delhi-25. Changed My Name To Abdul Kuddus Ansari. 0040515390-6

I hitherto known as Rihana Begum wife/of Late Shri.Rafiquddin Born.on.19-June-1956, Residing at,H.NO-3249, Kucha-Tara Chand, Daryaganj, New Delhi-110002.,have changed my name and shall hereafter be known as Rehana Begum. 0040515387-7

I Vinod Kumar S/o Ram Iqbal Mishra R/o 44 Ram Nagar Colony Nazafgarh Road, Nangloi, New Delhi 110041, have changed my name to Vinod Kumar Mishra 0040515394-1

I Umesh S/o-Rakesh Kumar R/o-Plot.No.9A, Block-C, Suraksha-Vihar Vikash-Nagar, Uttam-Nagar, Delhi-110059, have changed my name to Umesh Kumar.,for future purposes. 0040515390-8

I Seema Kumari W/O Gulshan Khurana R/O-4905, Kucha Ustad Dagh, Chandni Chowk Have Changed My Name To Seema Khurana. 0040515387-4

I, Yasin Khan S/o Idoo Khan R/o 63B/615A/2A/3A, Nagla Kachhiyan, Agra, U.P.-282001 have changed my name to Yaseen Khan. 0040514689-2

I, Vikash S/o Sh. Babu Dwivedi R/o-H.No.D-348-A, Gali.No.8D, Bhajanpura, Delhi-110053, have changed my name to Vikas Dwivedi for all future purpose. 0040515250-8

I, Rakesh Jain S/o Telu Ram Jain, A-3/38, Sector-18, Rohini,Delhi-110089, have changed my name to Rakesh Kumar for all purposes. 0040515338-3

## खोया+पाया

यह आपके ध्यान में लाना है, स्वर्गीय राम चंदर की बेटी अनीता सिंह, पते की हमारी ओरल सेल डीड, एच-806, मेपल हाइट्स सी ब्लॉक सुशांत लोक फेज 1 गुड़गांव 1 दिसंबर 18 से गायब है। यदि मिला तो उपरोक्त पते पर लौटें

It is notified for the information that my Original-Qualifying Examination-Certificate of Main Senior-Secondary Examination of Year-2016 and Roll-No. 9147110 issued by CBSE, has been actually lost. Kanika Goel, 178, Deepali Enclave, Pitampura, Delhi-110034. 0040515370-1

It is notified for the information that my Original-Qualifying Examination-Certificate of Main-Senior Secondary-Examination of year-2012 and RollNo.9637907 issued by CBSE has been actually lost.Name-Furkan Ali H.No.X-200/4A, Street.No.11, Brahampuri, Delhi-110053, Mob.No.8285427749. 0040515406-5

It is notified for the information that my original Marksheet of Main, Senior School Certificate Examination 2015 and Roll No. 5874377 issued by C.B.S.E. has been actually lost. Aviral Jain, 315, Media Times Apartment, Abhay Khand-4, Indirapuram, Ghaziabad, U.P. 201012, (M) 9910103816. 0040515388-1

I, Madhu Jain, D/o-Raj Rani Jain R/o-B-59, mansarovar-park, Shahdara, Delhi-110032,have lost my property documents files bearing.no-B-1305, Cabana-Appartment, Ghaziabad. Finder contact:-8802626262. 0040515392-10

## रिक्त स्थान

हम कॅन्ट्रेक्ट लेते हैं। New Joining open in मर्चेन्ट नेवी योग्यता- 10वीं/12वीं/ ग्रेजुएट उम्रसीमा- 18-2 वर्ष वेतनमान- 25000-5500 सुविधाएं. sbcnavy96@gmail.com 09587824226

mgi
MODERN DEGREE COLLEGE OF LAW
NH-58, DELHI-MEERUT ROAD, DUHAI, GHAZIABAD
Ph.: 012-2675564, 2675504
REQUIRES
Faculty for LL.B
3 Years Course
Qualification & Experience as per B.C.I & C.C.S. University Norms
Walk-in-Interview within 14 days 11 A.M. - 04 P.M.
Email. : mdclgzb@gmail.com

### सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला नीलम वर्मा पत्नी स्व. डाक्टर राधे श्याम निवासी 93/2, गली नं.-9, पूर्वी आजाद नगर, दिल्ली ने अपने पुत्र भावित को उसके दुर्व्यवहार के कारण अपनी चल-अचल सम्पति से बेदखलकर सम्बन्ध-विच्छेद कर लिये हैं। उसके किसी भी कार्य/लेन-देन हेतु मेरी मुवक्किला जिम्मेदार नहीं होंगी।

अजय कुमार सिंह चौहान
अधिवक्ता

### सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल पुरन चन्द पुत्र सबूल निवासी- 163, ब्लॉक- N-9, दिल्ली नगर निगम, मंडोली, दिल्ली- 110093, ने अपने पुत्र भारत व पुत्रवधु कविता को उनके दुर्व्यवहार के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्तियों से बेदखलकर सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं, उनके किसी भी कार्य व लेन-देन के लिये मेरा मुवक्किल व उसका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।

हस्ता./-
राहुल कुमार
एडवोकेट

### सूचना

मेरे मुवक्किल मो0 आलम पुत्र अनजार मो0 प्रापर्टी न0 1742 खसरा0-339 रामपार्क हकीकतपुर लोनी गाजियाबाद सूचित करते हैं कि उन्होंने उपरोक्त प्रापर्टी का 25 गज दिनांक 17-06-2019 को खरीदा था ! इस प्रापर्टी के पिछले पेपर 100 गज के थे जिसमें दो पार्टनर थे प्रकाशी पत्नी जयभगवान तथा राजे पुत्र भोला जिसमें से प्रकाशी पत्नी जयभगवान के 50 गज में से 25 गज मेरे मुवक्किल मो0 आलम पुत्र अनजार मो0 ने खरीदा है! शेष बचे 50गज के मालिक राजे पुत्र भोला की मृत्यु हो चुकी है तथा उनका कोई उत्तराधिकारी नही है!यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो तुरंत संपर्क करें 8650638817 !
TUSHAR SHARMA Advocate, MBA, L.L.B
B1/103,St.No. 4,Sant Ngr,Burari,Delhi-84

### बेदखली सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री संजय शर्मा पुत्र श्री H. L Sharma R/o Flat No 301 A-36, 37 IIIrd Floor Jawahar Park Devli Road Khanpur Delhi-62 अपने बड़े पुत्र श्री सनी शर्मा आयु 30 वर्ष को अपनी चल, अचल सम्पति से उसके गलत आचरण के कारण बेदखल कर रहे है। आज से उनके पुत्र द्वारा किये गए सभी कार्यो व लेन देन के लिए मेरे मुवक्किल और उनके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी

स्थानः नई दिल्ली (SANYOGITA)
तिथि: 09-10-2019 Advocate

### PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Sucha Singh S/o Dharam Singh & his wife Smt. Paramjeet Kaur both R/o WZ G-33, First Floor, Sant Nagar, Extn, Tilak Nagar, West Delhi-18 severed all relations with their Son namely Harpreet Singh. My clients disowned him from all their movable and immovable properties. He has no right in the properties of my clients. My clients shall not be responsible for any act and omission of them.

Kotilya Sharma (Advocate)
Ch. No. 339, Saket Court, New Delhi.

### PUBLIC NOTICE

It is informed to all the General public that my clients Sh. Hafiz Abdul Mugish S/O Late Sh. Abdul Mukit ,Mohammad Nishat S/O Hafiz Abdul Mugis and Smt. Rihana Begum W/O Sh. Hafiz Abdul Mugish R/O H.N- 1/33,Adharsh Colony, Sudama Puri,Vijay Nagar ,Ghaziabad, UP. my clients has disown / debarred son namely Mohammed Ali Haider and daughter-in-law Anam as my clients have no control over them and they used to misbehaved with my clients and tried to grab their property & money by extended threats. Hence, my clients have debarred/ disowned them from their life as well as from their movable / immovable property w.e.f 09.10.2019. Now my clients will not be liable / responsible for any act of them in future as my clients have no concern or relation with him since 09.10.2019.

Kapil Kumar (Advocate)
Ch.No. 801, Saket Court Complex, New Delhi-17

### PUBLIC NOTICE

My client Sunita W/O Late Vinay Kumar R/O H. No. 1370 G, Gali No. 13, Govind Puri, Kalkaji, New Delhi 110019, has disowned her son Mayur Kumar and his wife Pushpa Rani from her all movable and immovable Properites and severed all relation with them due to their disobedience. My client shall not be responsible for their any actes.

Sd/-
RANDHIR SINGH
(Advocate)
En. No. D-1441/06

### PUBLIC NOTICE

MY CLIENT SMT. KUNTA W/O JOGRAJ GOSWAMI R/O I-1137, JAHANGIR PURI, HAVE SEVERED ALL RELATIONS AND DEBAR HER SON LALIT KUMAR AND HIS WIFE RENU AND OTHER SON SUNIL KUMAR AND HIS WIFE NEELAM FROM ALL HER MOVABLE, IMMOVALE PROPERTIES DUE TO THEIR HOSTILE BEHAVIOUR. MY CLIENT AND HER FAMILY MEMBERS WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR THEIR ANY ACTS.

Sd/-
C.P. SHARMA (Advocate)
Ch. No. 1001, LAWYER CHAMBERS, ROHINI COURT COMPLEX, DELHI

### PUBLIC NOTICE

My client SANTOSH DEVI, W/o LATE SHRI RAJU, R/o KHASRA NO-253, GALI NO-8, SUSHANT VIHAR, IBRAHIM PUR, DELHI- 110036 have disowned and debarred their son's 1. MOHIT, 2. AJAY and his wife GEETA from all their movable and immovable properties/assets and also severed their relations from them, due to their irresponsible behaviour and negligent attitude towards my clients. If anybody deals with them in any kind or form, they will be at their own risks, My shall not be responsible for the same in my manner.

Sd/-
SURESH CHAND SHARMA
Advocate
Ch. No.2, Civil Wing, Tis Hazari Court, Delhi-54

### PUBLIC NOTICE

It is hereby notified for general public that my client Shri Suresh Kumar S/o. Late Sh. Samay Ram R/o. H.No. 278, Mann Pana Prahladpur Banger Delhi 110042, has severed all her relations with his son namely Manish Sharma and his wife Shailja Kaushik and has debarred them from inheriting any moveable and immoveable properties of my client, due to their misbehavior, unbecoming act and neglecting their duties owing towards my client. If anybody deals with them, shall do so at his/her own risks and my client shall not be responsible for any act of above named son and daughter-in-law in any manner whatsoever

ALOK DEV-ADVOCATE
Plot No. 255, Pocket-9, Sector-23, Rohini Delhi -110085

### सूचना

भवन संख्या C4/161 विवेक खण्ड, गोमती नगर जो कि LDA से चन्द शेखर मिश्रा पुत्र स्व0 बिहारी शरण मिश्रा के नाम से आवंटित है। उक्त भवन का LDA से जारी आवंटन पत्र कहीं गिर/खो गया है, एवम् जो कि फ्री होल्ड के अनुसार पुस्तक संख्या 2402, के पृष्ठ संख्या 345/352 क्रम संख्या 6798, दिनांक 16/9/99, तथा रजिस्ट्री के अनुसार बही नं0 1, जिल्द नं0 352, की क्रम संख्या 11137 के पृष्ठ संख्या 160 पर दिनांक 26/5/89 पर रजिस्टर्ड है जो कि मूल रूप से लैमिनेटेड है। मैंने गृह ऋण हेतु SBI सचिवालय में आवेदन किया है, यदि किसी को आपत्ति हो तो शाखा प्रबन्धक से 15 कार्य दिवस में सम्पर्क करें। दूरभाष संख्याः 7007232641, 9415608100

### सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल प्रेम कुमार सिंह पुत्र स्व. राम किशोर सिंह निवासी-डी-274, सोरभ विहार, बदरपुर, नई दिल्ली-110044, ने अपने छोटे पुत्र अंकित कुमार सिंह को उसके गलत व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है तथा अपने सभी रिश्ते विच्छेद कर लिये हैं। यदि मेरे मुवक्किल के पुत्र से कोई व्यवहार या लेन देन करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

Sd./-
R.K. SHARMA
Advocate
Chamber: 682,
Saket Courts Complex,
New Delhi-110017

### PUBLIC NOTICE

Through this Public Notice, public at large is hereby informed that My Clients Sh. Gopal Narain Singh S/o Late Subedar Singh and Smt. Kavita Singh W/o Sh. Gopal Narain Singh R/o F-505, Maple Heights, C-Block, Sushant Lok-I, Gurugram-122009, Haryana have disowned their son namely Kunal Singh and daughter-in-law Pooja Singh D/o Ram Pravesh Singh from all their movable and immovable properties and have severed all their relationship with them, as they are not under the control of my clients and are indulged in anti-family activities and because of their collusive behavior. If anybody deals with them in present or future, they may be doing so at their own risk and responsibility and my clients shall not responsible for any act or consequences done by them after this publication.

Iqbaluddin(Advocate),Chamber No.647, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054

## हिमाचल फ्यूचुरिस्टिक कम्युनिकेशंस लि.

CIN: L64200HP1987PLC007466
पंजी. कार्यालयः 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पलैक्स, चंबाघाट, सोलन-173213 (हिमाचल प्रदेश)
Tel: 91-1792-230644,
Fax: 91-1792-231902,
Email: secretarial@hfcl.com
Website: www.hfcl.com

### सूचना

सेबी सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (''सूचीयन विनियमन'') के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार 21 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली में तय की गई है जिसमें अन्य विषयों के साथ ही वित्त वर्ष 2019-20 के 30 सितम्बर 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिए स्टैंड एलॉन तथा समेकित दोनों आधार पर कम्पनी के वार्षिक अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 तथा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूतियों में कारोबार के विनियमन, निगरानी, रिपोर्टिंग के लिये कम्पनी की आंतरिक प्रक्रिया एवं आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार इन्सायडर्स सहित सभी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिये कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो 01 अक्टूबर, 2019 से ही बंद है तथा वह 24 अक्टूबर, 2019 को फिर से खुलेगी।

उक्त सूचना कंपनी की वेबसाईट https://www.hfcl.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट बीएसई लिमिटेडः http://www.bseindia.com तथा द नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड http://www.nseindia. com पर भी देखी जा सकती है।

एचएफसीएल लिमिटेड के लिये
(पूर्व में हिमाचल फ्यूचुरिस्टिक कम्युनिकेशंस लि.)
स्थानः नई दिल्ली हस्ता./-
तिथिः 9.10.2019 (मनोज बैद्य)
उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट) एवं कंपनी सचिव

### प्रपत्र सं. आईएनसी-26

केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत पते को परिवर्तित करने के लिए समाचार-पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
**केन्द्र सरकार उत्तरी क्षेत्र के समक्ष**
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खण्ड (अ) के मामले में
तथा
**कामधेनु टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड**
जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता **बी-1/67, फ्लैट सं. 301, टी/एफ, एल-टाइप, खसरा नं. 13/5, ब्लॉक बी-1, सेवक पार्क, उत्तम नगर, निकट चर्च, दिल्ली**-110059
.... याचिकाकर्ता
के मामले में

एतद्वारा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली''** से **''हरियाणा राज्य''** में परिवर्तित करने में सक्षम होने के लिए 17 सितम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में कम्पनी की संस्था के बहिर्नियम के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार से आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने वाला कोई भी सम्भावित व्यक्ति अपने हित तथा विरोध की पृष्ठभूमि की प्रकृति बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ **या तो एमसीए-21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर अथवा भेजे जाने के लिए पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के पास तथा एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी के पास इसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के चौदह दिनों के भीतर भेज सकता हैः

**बी-1/67, फ्लैट सं. 301, टी/एफ, एल-टाइप, खसरा नं. 13/5, ब्लॉक बी-1, सेवक पार्क, उत्तम नगर, निकट चर्च, दिल्ली**-110059

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
**कामधेनु टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड**
(नितिन साहनी)
दिनांक : 07.10.2019 निदेशक
स्थानः दिल्ली डीआईएन : 00317173

The Indian EXPRESS **Classifieds**
FROM ANYTHING TO EVERYTHING

# EXPRESS EDUCATION

**BHARTI CONCEPT**
**MATHS** by S.S. Bharti
SSC-T, $T_2$, Banking, CSAT & PCS & ALL GOVT. SERVICES
Batch Starts 10th Oct. 2019 At 11:30AM to 01:00PM
**GS**
Batch Starts 10th Oct. 2019 At 11:00AM to 12:30PM
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9
9136335283, 9250291082

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

**एम एस टी सी लिमिटेड** (भारत सरकार का उपक्रम)
**MSTC LIMITED** (A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)
जीवन विकास बिल्डिंग, 30/31 ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
फोन : 23214201, 23213945, फैक्स : 23216713
वाहनों की बिक्री

एमएसटीसी द्वारा ओरिएन्टल इंश्योरेंस क. लि., नई दिल्ली की ओर से सालवेज वाहनों (73 नः) की बिक्री के लिए दिनांक 01.11.2019 को ई-नीलामी (18373) आयोजित की जाएगी। विस्तृत विवरण के लिए कृपया श्री रमेश दत्त शर्मा, ओआईसीएल (मोबाइल नं. 8076316890, 9210572777) से सम्पर्क करें।
विस्तृत जानकारी हेतु www.mstcecommerce.com एवं www.mstcindia.co.in देखें

## महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050

### निविदा आमंत्रण सूचना

एमटीएनएल, नई दिल्ली की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:

1. सं. एजीएम (एमपीएल)/दू. वे स्पीकर क्लिप फीचर फोन/2019-20/01 दू. वे स्पीकर क्लिप फीचर फोन की आपूर्ति हेतु दो भागों (भाग-ए तकनीकी वाणिज्यिक तथा भाग-बी वित्तीय बोली) में ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत : रु. 1.587 करोड़)।

विस्तृत जानकारी हेतु कृपया वेबसाइट : http://www.eprocure.gov.in एवं http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर लॉग ऑन करें।

*पारदर्शिता ही हमारी पहचान है!*

## आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड

**(पहले कॅपिटल फर्स्ट होम फायनान्स लिमिटेड से पहचाने जाने वाली)** IDFC FIRST Bank
**सीआयएनः एल65110टीएन2014पीएलसी097792**
**पंजीकृत कार्यालयः** केआरएम टॉवर्स, 8वी मंझील, हॅरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई - 600031.
**दूरः** +91 44 4564 4000 **फॅक्सः** +91 44 4564 4022. **प्राधिकृत अधिकारीः** रोहित दुदेजा/ **संपर्क क्रमांकः** + 91 - 7838324723

### अपेंडिक्स-IV-A [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]
### अचल मालमत्ता के बिक्री के लिये बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पढे जाने वाले सिक्युरीटायझेशन अँड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनॅन्शियल अॅसेटस अँड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अॅक्ट, 2002 के अंतर्गत अचल मालमत्ता के बिक्री के लिये ई-निलामी सूचना.

सामान्य जनता और खास कर के कर्जदार (दारों) और हमीदार(दारों) से इसके जरीये सूचना दि जा रही है की सुरक्षित धनको के पास गिरवी रखे गये/ प्रभारित किये गये नीचे दिये अधिक विस्तार से दिये गये अचल जायदाद का फिजिकल पझेशन **कॅपिटल फर्स्ट होम फायनान्स लिमिटेड और अभी के आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने** लिया है जिसकी बिक्री 29-10-2019 के दिन ''जो है जहां है'', ''जो है जैसे है'' और ''जैसे है वैसे है'' इस आधार पर **हर्ष गुप्ता (कर्जदार) और नथुज स्वीट, विपिन गुप्ता अनिल कुमार गुप्ता, भूषण गुप्ता, सरोज गुप्ता (सहकर्जदार) से आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड (पहले कॅपिटल फर्स्ट होम फायनान्स लिमिटेड से पहचाने जाने वाली)** को बकाया राशी 02-02-2019 के अनुसार आयएनआर 8952491.63/- के पुनःप्राप्ती के लिये 29-10-2019 के दिन निलामी की जायेगी.

**आरक्षित राशी आयएनआर 1,12,50,000/- (रुपये एक करोड बारा लाख पचास हजार मात्र) और आयएनआर 11,25,000 (रुपये ग्यारह लाख पचीस हजार मात्र) बकाया राशी रहेगी.**

### अचल जायदाद का वर्णन

ए-98, (बेसमेंट), न्यू फ्रेंडस कॉलोनी, दिल्ली - 110065 का सभी खंड एवं भूखंड

बिक्री के शर्तोंके पुरे ब्यौरे के लिये आयडीएफसी फर्स्ट बँक के वेबसाईट का याने की www.idfcfirst-bank.com का संदर्भ ले.

**खंडनः** इस सूचना को केवल अचल जायदाद के बिक्री के लिये [पारित किया गया है और आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड को अचल जायदाद की जगह यदी कोई चल जायदाद होती है तो उसके बिक्री का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है.

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 10-10-2019 आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड
(पहले कॅपिटल फर्स्ट होम फायनान्स लिमिटेड से पहचाने जाने वाली)

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda POWER OF 3
(GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
पूर्व का विजया बैंक-अब बैंक ऑफ बड़ौदा
अग्रवाल टॉवर, हुडा चौक, पलवल शाखा, पलवल जिला, 121102
(भारत सरकार का उपक्रम) दूरभाष : 01275-240371
ई-मेल : vb8329@vijayabank.co.in

### कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/यों हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित नियम 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंक ऑफ बड़ौदा, पलवल शाखा, हरियाणा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारश्री तेजस बत्रा पुत्र रविन्दर पाल बत्रा (कर्जदार) तथा श्री रविन्दर पाल बत्रा (सह-कर्जदार) से 30.06.2019 तक सूचना में उल्लिखित बकाया रु. 18,79,107.29 (रुपये अठारह लाख उन्यासी हजार एक सौ सात और उनतीस पैसे मात्र) तथा 01.07.2019 से प्रभावी भावी ब्याज एवं आकस्मिक प्रभारों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए 24.07.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/जमानती तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित नियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 05 अक्टूबर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार/जमानती को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 30.06.2019 तक रु. 18,79,107.29 (रुपये अठारह लाख उन्यासी हजार एक सौ सात और उनतीस पैसे मात्र) तथा कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 01.07.2019 से प्रभावी भावी ब्याज एवं आकस्मिक प्रभारों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, पलवल शाखा, हरियाणा के अभियोग का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

### अचल सम्पत्ति का विवरण

म.नं. 165, वार्ड सं. 1, प्रकाश विहार कॉलोनी, निकट देहात बिजली बोर्ड, शहीद माही लाल स्मारक, पलवल-121101, हरियाणा पर स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग जिसकी माप 689 वर्ग फीट है,
जिसकी सीमा
पश्चिम की ओर : सड़क पूर्व की ओर : सतपाल सिंह का मकान
दक्षिण की ओर : हैप्पी सिंह का मकान उत्तर की ओर : सोहन पाल सिंह का मकान
स्थानः पलवल दिनांकः 05.10.2019 अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

## दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

**कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) II**
**जल सदन, लाजपत नगर, नई दिल्ली**
**एनआईटी सं. 23/एस-II/2019-20**
**प्रैस निविदा**

| क्रम सं. | कार्य का विवरण | आरक्षित मूल्य | ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि | ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से डाउनलोड एवं आरटीजीएस की अंतिम तिथि/समय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ईई(एस) II (एसी-41, जंगपुरा) के अंतर्गत एच. नं. 128 से. चक्की वाली गली, गाँव किलोकड़ी तक सीवरेज प्रणाली का सुधार | 2560958/- | 2019_DJB_181485_9 4.10.2019 | 24.10.2019 के 2.00 बजे अप. तक |
| 2. | ईई(एस) II (एसी-41, जंगपुरा) के अंतर्गत ग्राम किलोकड़ी के बाई लेन्स में सीवरेज प्रणाली का सुधार | 2522390/- | 2019_DJB_181485_10 4.10.2019 | 24.10.2019 के 2.00 बजे अप. तक |
| 3. | ईई(एस) II (एसी-51, कालकाजी) के अंतर्गत ओखला इंड. इस्टेट फेज-III में फैक्ट्री नं. 1 से फैक्ट्री नं. 31 तक वर्तमान पुराने/क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों का विस्थापन। | 2539566/- | 2019_DJB_181485_11 4.10.2019 | 24.10.2019 के 2.00 बजे अप. तक |
| 4. | ईई(एस) II (एसी-41, जंगपुरा) के अंतर्गत पुराने सीवर लाइन के विस्थापन द्वारा लेन नं. सी-118 से सी-90 तथा सी-90 से सी-130 तक सी ब्लॉक, लाजपत नगर-II की सीवरेज प्रणाली का सुधार। | 3420821/- | 2019_DJB_181485_12 4.10.2019 | 24.10.2019 के 2.00 बजे अप. तक |

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/427 कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) II

महानगर नई दिल्ली गुरुवार 10 अक्तूबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

# जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

# बीडीसी चुनाव का बहिष्कार करेगी कांग्रेस

जम्मू, 9 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर में 24 अक्तूबर को होने वाले ब्लॉक विकास परिषद (बीडीसी) चुनाव में शामिल होने के पूर्व में लिए फैसले को पलटते हुए कांग्रेस ने बुधवार को घोषणा की कि वह बीडीसी चुनावों का बहिष्कार करेगी।

विपक्षी पार्टी ने चुनाव के बहिष्कार के लिए राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 के ज्यादातर प्रावधानों को निष्क्रिय करने के केंद्र के फैसले के बाद राज्य प्रशासन के उदासीन रवैये और लंबे समय तक अपने वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में रखने को वजह बताया। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को मिले विशेष दर्जे को गत पांच अगस्त को वापस लिए जाने के बाद यहां यह पहला चुनाव होगा।

चुनाव के समय और मौजूदा सुरक्षा हालात को लेकर चिंता बाकी पेज 8 पर

**राज्य प्रशासन ने हमारे नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखा है और राजनीतिक गतिविधियां होने नहीं दी। इस कवायद में कांग्रेस को जानबूझकर निशाना बनाया गया।**

**हमने बीडीसी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों को पत्र जारी किए थे ताकि हम लोकतांत्रिक कवायद में योगदान कर सकें और हमारे कुछ उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किए।**

*-गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष*

## कश्मीर में खुले कॉलेज, नहीं पहुंचे छात्र

श्रीनगर, 9 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन के बुधवार को घाटी में कॉलेज खोलने के प्रयास नाकाम रहे क्योंकि छात्र कक्षाओं में नहीं पहुंचे। जम्मू-कश्मीर से पांच अगस्त को विशेष दर्जा वापस लिए जाने के फैसले को बुधवार को 66 दिन हो गए। कश्मीर के मंडल आयुक्त बाकी पेज 8 पर

# दो टूक : चीन ने पाक को दिया नजर रखने का भरोसा, विदेश मंत्रालय ने कश्मीर के जिक्र पर कहा

# आंतरिक मामले में टिप्पणी मंजूर नहीं

नई दिल्ली/बेजिंग, 9 अक्तूबर (भाषा)।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के कश्मीर पर चर्चा करने की खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने बुधवार को कहा कि इस मुद्दे पर नई दिल्ली के रुख से बेजिंग 'अच्छी तरह से अवगत' है और हमारे आंतरिक मामलों पर अन्य देश टिप्पणी नहीं करें। भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया शी और खान के बीच एक बैठक में कश्मीर पर चर्चा होने के बारे में चीनी सरकारी मीडिया में खबर आने के बाद आई है।

खबर के मुताबिक बैठक में शी ने खान से कहा कि कश्मीर में स्थिति की चीन निगरानी कर रहा है और उसने आशा जताई कि 'संबद्ध पक्ष' शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए मुद्दे का हल कर सकते हैं। शी ने यहां सरकारी अतिथिगृह में खान से मुलाकात के दौरान कहा कि वह नए दौर में साझे भविष्य वाला चीन-पाकिस्तान समुदाय स्थापित करने की खातिर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।

चीनी राष्ट्रपति ने खान को एक बैठक के दौरान भरोसा दिलाया कि अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय हालात में बाकी पेज 8 पर

## जिनपिंग-मोदी द्विपक्षीय विकास पर चर्चा करेंगे

नई दिल्ली/बेजिंग, 9 अक्तूबर (भाषा)।

**शिखर वार्ता**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तमिलनाडु के तटीय शहर मामल्लापुरम में 11-12 अक्तूबर को दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता करेंगे जिसमें वे कश्मीर के मुद्दे पर संबंधों में दरार आने के बावजूद विकास के व्यापक मार्गों की रूपरेखा तैयार करेंगे। जिनपिंग की करीब 24 घंटे की चेन्नई यात्रा से दो दिन पहले नई दिल्ली में सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी तरह की बातचीत का सवाल नहीं है क्योंकि यह भारत का संप्रभु विषय है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मामले में चीन के बाकी पेज 8 पर

फाइल फोटो

**हमने शी की खान के साथ बैठक के बारे में खबर देखी है जिसमें कश्मीर पर उनके बीच हुई चर्चा का भी जिक्र किया गया है। भारत का लगातार और स्पष्ट रुख रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। चीन हमारे रुख से अच्छी तरह से अवगत है। भारत के आंतरिक मामलों पर अन्य देश टिप्पणी नहीं करें।'**

*-रवीश कुमार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता*

# नशे के सौदागरों से मुठभेड़ में पुलिस की फजीहत, एक ग्रामीण की जान गई

लुधियाना, 9 अक्तूबर (जनसत्ता)।

कुख्यात नशा तस्कर कुलविंदर सिंह किंदा की धरपकड़ के लिए बुधवार सुबह हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ने वाले गांव देसू जोधा में बठिंडा पुलिस की सीआइए शाखा की कार्रवाई असफल साबित हुई और उसके चाचा जग्गा सिंह (50) की पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई। और तो और, पूरे वाकए में पंजाब पुलिस के सभी सातों जवानों की देसू जोधा के ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की जबकि पुलिस कांस्टेबल कमलजीत सिंह पीठ में गोली लगने से घायल हो गए।

**पकड़ा तस्कर भी भाग निकला, पुलिस की गांव वालों ने की पिटाई**

कुल मिलाकर इस धरपकड़ अभियान में पंजाब पुलिस के हाथ कुछ लगना तो दूर, उलटे यह कार्रवाई उसके लिए बड़ी फजीहत का सबब साबित हुई। पंजाब पुलिस पहले से दबोचे नशा तस्कर गगनदीप सिंह को अपने साथ हरियाणा के गांव में ले गई थी ताकि उसकी निशानदेही पर एक अन्य नशा तस्कर कुलविंदर किंदा को धरा जा सके लेकिन इस गफलत में दोनों तस्कर मौके से निकल भागे।

वहां से कोई नशीली खेप जब्त होना तो दूर, उलटा गुस्साए ग्रामीणों ने पंजाब पुलिस कर्मियों को घेरकर उनकी लाठी-डंडों, चप्पलों, लात-घूसों से धुन डाला, यहां तक कि उन्हें जमीन पर लिटाकर घसीटा गया। मौके पर पुरुषों-महिलाओं व बच्चों के हाथों पंजाब पुलिस कर्मियों की इस पिटाई के बाकी पेज 8 पर

# खुशखबरी : महंगाई भत्ता पांच फीसद बढ़ा, 50 लाख कर्मियों को फायदा

# केंद्रीय कर्मियों को दिवाली का तोहफा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत को 5 फीसद बढ़ाने का निर्णय किया है। इससे दिवाली से पहले 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल्य-वृद्धि की क्षति-पूर्ति के लिए मूल वेतन/पेंशन के 12 फीसद की मौजूदा दर में 5 फीसद की वृद्धि करते हुए 1 जुलाई, 2019 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने हेतु अपनी मंजूरी दे दी है।

इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत 6,000 रुपए का सालाना लाभ लेने के लिए खाते को आधार से जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। रबी बाकी पेज 8 पर

### कैबिनेट के फैसले

**प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए का सालाना लाभ लेने के लिए खाते को आधार से जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ी।**

**रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में विदेशी प्रसारकों के साथ समझौते को मंजूरी।**

**आयुष्मान योजना के तहत 31 लाख से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज किया गया है।**

**बुधवार को कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 5 फीसद बढ़ाने का निर्णय किया गया। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और इसके अलावा 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। इस तरह से 5 फीसद वृद्धि से यह बढ़कर 17 फीसद हो गया है।**

*-प्रकाश जावडेकर, सूचना प्रसारण मंत्री*

## पीओके परिवारों को साढ़े पांच लाख

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (ब्यूरो)।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से आए विस्थापित 5300 परिवारों को प्रधानमंत्री द्वारा बाकी पेज 8 पर

# सीबीआइ को दो महीने का अतिरिक्त समय

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआइ के तत्कालीन विशेष निदेशक राकेश अस्थाना से कथित तौर पर जुड़े रिश्वत मामले में जांच पूरी करने के लिए एजंसी को और दो महीने का वक्त दे दिया। हालांकि न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने साफ किया कि जांच पूरी करने के लिए एजंसी को इसके बाद और वक्त नहीं दिया बाकी पेज 8 पर

### अस्थाना के खिलाफ जांच का मामला

**सीबीआइ ने कहा कि न्यायिक सहायता के लिए अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं। वहां से जवाब मिलने तक जांच पूरी नहीं की जा सकती।**

**इसके पहले भी जांच पूरी करने के लिए एजंसी को अतिरिक्त वक्त दिया जा चुका है।**

**न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने साफ किया कि एजंसी को इसके बाद और वक्त नहीं दिया जाएगा।**

# आवाज के नमूने देने के बाद जिला कारागार लाए गए चिन्मयानंद और पीड़िता

शाहजहांपुर, 9 अक्तूबर (भाषा)।

स्वामी चिन्मयानंद मामले में आवाज का नमूना लेने के लिए लखनऊ ले जाए गए स्वामी चिन्मयानंद और पीड़िता को आवाज का नमूना देने के बाद बुधवार को वापस जिला कारागार में भेज दिया गया।

जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि सुबह छह बजे पीड़िता को आवाज का नमूना देने के लिए लखनऊ विधि प्रयोगशाला ले जाया गया था जबकि चिन्मयानंद को नौ बजे ले जाया गया था।

रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद पीड़िता को स्थानीय पुलिस बुधवार सुबह छह बजे लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले गई।

विशेष जांच दल (एसआइटी) ने यहां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह की अदालत में स्वामी चिन्मयानंद, पीड़िता और उसके साथी संजय, विक्रम एवं सचिन की आवाज का सैंपल लेने की अर्जी दी थी, जिस पर चार अक्तूबर को सीजेएम ने आरोपियों की आवाज का नमूना लेने की इजाजत दे दी थी, लेकिन स्थानीय पुलिस बुधवार को चिन्मयानंद और पीड़िता को लखनऊ लेकर गई।

पुलिस ने बताया कि रंगदारी मांगने के आरोप में बंद पीड़िता और सचिन, विक्रम व संजय के दो वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें चिन्मयानंद को वाट्सऐप पर मैसेज भेज कर भेजकर पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की चर्चा शामिल है। इसके अलावा बाकी पेज 8 पर

## प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का मामला

# 50 हस्तियों पर राजद्रोह का मामला बंद किया पुलिस ने

मुजफ्फरपुर, 9 अक्तूबर (भाषा)।

'मॉब लिंचिंग' (भीड़ हत्या) की बढ़ती घटनाओं में हस्तक्षेप करने के लिए साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाली करीब 50 जानी-मानी हस्तियों के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मामला बंद करने का यहां पुलिस ने बुधवार को आदेश दिया।

मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि मामला बंद करने का उन्होंने आदेश दिया है क्योंकि अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप शरारतपूर्ण हैं और उनमें कोई ठोस आधार नहीं है।

मालूम है कि स्थानीय अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की एक याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पिछले हफ्ते सदर पुलिस थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी तीन अक्तूबर को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई। इसमें राजद्रोह, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, लोक बाकी पेज 8 पर

## हरियाणा की रैली में अमित शाह ने पूछा

# राहुल बताएं 370 के पक्ष में हैं या विरोध में

चंडीगढ़, 9 अक्तूबर (जनसत्ता/भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस के रुख की आलोचना की। शाह ने कहा कि राहुल साफ करें कि वह अनुच्छेद 370 के पक्ष में हैं या विरोध में। साथ ही रक्षा मंत्री द्वारा रफाल की 'शस्त्र पूजा' की आलोचना करने पर भी कांग्रेस को घेरा। शाह हरियाणा चुनाव के मद्देनजर रैलियों को संबोधित कर रहे थे।

भाजपा अध्यक्ष शाह ने कैथल में एक रैली में कहा, 'कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान निरस्त करने का विरोध किया। मैं राहुल से पूछना चाहता हूं कि वह अनुच्छेद 370 के पक्ष में हैं या विरोध में।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार द्वारा लिए गए हर निर्णय का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि 370 के ज्यादातर प्रावधान निरस्त करने का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। यह देश की सुरक्षा का मामला था लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ वोट डाला।'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रफाल की शस्त्र पूजा पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों का अप्रत्यक्ष बाकी पेज 8 पर

**गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लिए गए हर निर्णय का विरोध करती है कांग्रेस।**

**रफाल की रक्षा मंत्री द्वारा 'शस्त्र पूजा' की आलोचना करने पर भी कांग्रेस को घेरा शाह ने।**

**शाह ने कहा कि राहुल गांधी चाहे जितनी गालियां भाजपा को दें, लेकिन अगर कोई भारत माता को गाली देगा तो उसको सीधा जेल भेजा जाएगा।**

## दरअसल

## आपदा — गृह मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े — 1994 से अबतक सर्वाधिक बारिश दर्ज

# बारिश और बाढ़ में 2100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस साल मानसून की बारिश और इसके चलते आई बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 2,100 लोगों की मौतें हुई है। वहीं 46 अन्य लापता हैं। 22 राज्यों में 25 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

देश के करीब 357 जिलों को बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने अपने चपेट में लिया। महाराष्ट्र में सर्वाधिक लोगों की मौतें हुई जहां 399 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद पश्चिम बंगाल (227) का स्थान है।

अधिकारियों के मुताबिक देश भर में 738 लोग घायल हुए और करीब 20,000 पशु भी मारे गए। भारी बारिश और बाढ़ से 1.09 लाख मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 2.05 लाख मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और 14.14 लाख हेक्टेयर खेतों में फसलें बर्बाद हो गईं। एक अधिकारी ने बताया कि मानसून के दौरान कुल 2,120 लोगों की मौतें हुईं।

**357** जिलों को बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने अपने चपेट में लिया।

महाराष्ट्र में सर्वाधिक लोगों की मौतें हुई। **399**

**1.09** लाख मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।

## 20 तक मानसून की पूरे देश से वापसी

**पिछले चार महीने के दौरान मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से लगभग दस प्रतिशत अधिक बारिश हुई। अब दक्षिण पश्चिम मानसून की बुधवार को लगभग एक महीने विलंब से वापसी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने 20 अक्तूबर तक मानसून की पूरी तरह से वापसी का अनुमान जताया है। भारत में बारिश के लिए जिम्मेदार दक्षिण पश्चिम मॉनसून की हर साल एक सितंबर को वापसी शुरू हो जाती है और 30 सितंबर तक यह पूरी तरह लौट जाता है। इस साल मॉनसून की सबसे अधिक विलंब से वापसी शुरू हुई है।**

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की चार माह लंबी अवधि के दौरान भारत में बाकी पेज 8 पर

| मौसम | | | | |
|---|---|---|---|---|
| तापमान | नोएडा | गाजियाबाद | गुरुग्राम | फरीदाबाद |
| अधिकतम | 33.7 डि.से. | 33.7 डि.से. | 32.2 डि.से. | 34.0 डि.से. |
| न्यूनतम | 20.0 डि.से. | 20. डि.से. | 20.0 डि.से. | 20.0 डि.से. |



# बीएसएफ की बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, महिला की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

निजामुद्दीन इलाके में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की तेज रफ्तार बस ने बुधवार को स्कूटी से बेटी का इलाज कराने ले जा रहे परिवार को टक्कर मार दी। टक्कर में स्कूटी पर सवार बच्ची की मां की मौत हो गई जबकि पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बीएसएफ के बस चालक हवलदार रमेश चंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बस को जब्त कर पुलिस ने धारा 279, 337, 304 ए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जिला पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि बुधवार सुबह 11 बजकर 11 मिनट पर सूचना मिली कि हजरत निजामुद्दीन इलाके के लोधी फ्लाईओवर पर स्कूटी और बीएसएफ की टक्कर हुई है।

पुलिस के मुताबिक मदनगीर ए-टू ब्लाक के रहने वाले जमील आलम अपनी पत्नी और बेटी को स्कूटी पर लेकर बेटी का इलाज कराने कलावती अस्पताल जा रहे थे। आईटीओ जाने के रास्ते लोधी फ्लाईओवर पर पीछे से तेज गति से आ रही बीएसएफ की बस ने स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर में स्कूटी पर सवार तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए। कैट्स एंबुलेंस ने जमील आलम की पत्नी नीलोफर को मृत घोषित कर दिया जबकि जमील और सात साल की बेटी खुशी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बस प्रगति मैदान की तरफ अपने स्टाफ को छोड़ने जा रही थी। पूछताछ और जांच में पता चला कि हरियाणा नंबर-एचआर-55 एफ 1071 की यह बस बीएसएफ स्टाफ को लाने ले जाने का काम करती है। दुर्घटना के समय बीएसएफ की तिग्री से स्टाफ को लेकर प्रगति मैदान जाने के रास्ते पर यह हादसा हुआ। जमील का बयान पुलिस ने ले लिया है और बस को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

टक्कर मारने वाली बीएसएफ की बस

● इस दुर्घटना में पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हैं
● हादसे के समय परिवार बेटी का इलाज कराने जा रहा था

नीलोफर की फाइल फोटो।

# प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार से ईपीसीए ने मांगी कार्ययोजना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

बार-बार प्रदूषण बढ़ने के पूर्वानुमानों के बाद अब पर्यावरण की विशेष समिति (ईपीसीए) ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण के खिलाफ लड़ने की कार्य योजना मांगी है। इस कार्य योजना को तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार को 15 अक्तूबर तक का समय दिया गया है। प्रदूषण की तैयारियों को लेकर यह पत्र ईपीसीए के अध्यक्ष भूरे लाल ने दिल्ली सरकार को भेजा है। इस पत्र की प्रति मुख्य सचिव, पर्यावरण सचिव व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सचिव को भेजी गई है।

पत्र में दिल्ली सरकार को सबसे खराब प्रदूषण वाले क्षेत्रों के लिए विशेष योजना बनाने को कहा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में 19 जगहों को चिह्नित किया है। इन क्षेत्रों में ओखला, द्वारका, अशोक विहार, बवाना, नरेला, मुंडका, पंजाबी बाग, वजीरपुर, रोहिणी, विवेक विहार, आनंद विहार (मंडोली समेत), आरकेपुरम, जहांगीरपुरी और मायापुरी शामिल हैं। अलग योजना से इन क्षेत्रों के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। सरकार से जो योजना मांगी गई है। दिल्ली सरकार को कहा गया है कि इन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा और उसकी समय सीमा क्या होगी। इसकी जानकारी भी रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

दिल्ली सरकार को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कचरा नहीं जलाया जाए। इसके अतिरिक्त प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीजल जनरेटर के प्रयोग पर भी रोक लगा दी गई है। यह रोक दिल्ली व आसपास के राज्यों में होगी। जिन आपात स्थिति में जनरेटर का प्रयोग हो सकेगा, इसके लिए संबंधित राज्यों को सूची जल्द ही भेजी जाएगी। आदेशों में सभी राज्यों में बिजली व्यवस्था सुचारू रखने के आदेश दिए गए हैं ताकि राज्य में जनरेटर का प्रयोग नहीं किया जाए। मलबा तोड़ने के लिए लगी मशीनों की जांच भी 15 अक्तूबर से शुरू की जाएगी ताकि धूल कणों की मात्रा को कम किया जा सके। दिल्ली सरकार समेत अन्य एजेंसियों को यह भी आदेश दिए गए हैं कि वे मार्गों पर धूल कणों में कमी लाने के लिए पानी का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त प्रदूषण में कमी लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी आम जनता को भी दी जाए ताकि उनका पूरा सहयोग सरकार को मिल सके।

### दशहरे पर प्रदूषण कम करने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई

दशहरे पर प्रदूषण में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी आयोजन समितियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए सभी संस्थाओं से अपील की थी। इस अपील के बाद दिल्ली के प्रदूषण स्तर में कमी देखी गई है। इस वजह से प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। यह पांच साल में सबसे कम रहा है। इस बार दशहरे का प्रदूषण स्तर का एक्यूआइ 173 था जबकि यह बीते वर्ष 326 तक पहुंच गया था। इसी प्रकार 2017 में यह स्तर 196, 2016 में 223 और 2015 में 292 दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार सर्दियों में होने वाले प्रदूषण में लड़ने की तैयारियां कर रही है। पटाखों के कारण स्थिति बिगड़ने पर सात सूत्रीय और सर्दी के लिए 5 सूत्रीय व्यवस्था बनाई गई है। सरकार ने 50 लाख मास्क खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जो प्रदूषण स्तर बढ़ने पर आम जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर भाजपा नेता विजय जौली ने कहा कि प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के सभी दावे झूठे हैं। इस मामले में दिल्ली सरकार जो भी दावे कर रही है, वे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी वायु प्रदूषण खतरनाक व हानिकारक स्तर पर है। संगम विहार में पीएम 2.5 का स्तर 332 के स्तर तक दर्ज किया गया है। इस वजह से आम जनता को सांस व अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।

# काली पट्टी बांधकर काम करेंगे जेएनयू के कर्मचारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कर्मचारी गुरुवार को हाथों पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके अलावा शाम चार बजे प्रशासनिक भवन के सामने स्थित प्रांगण से एक विरोध मार्च भी निकाला जाएगा। जेएनयू कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष बंसत लाल शर्मा के मुताबिक भारत सरकार की ओर से स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस पिछले तीन सालों से नहीं मिल पा रहा है। इस साल भी अब तक बोनस देने की घोषणा नहीं की गई है।

# ओएलएक्स पर सस्ती कार बेचने का लालच देकर ठगी करने के आरोप में दो गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

दिल्ली पुलिस ने दो ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो ओएलएक्स पर लग्जरी कार को सस्ती कीमत पर बेचने का लालच देकर लोगों से ठगी करते थे। आरोपियों के ठगी करने का तरीका अलग था। वे खासतौर से दिल्ली के बाहर के लोगों से ही सौदा करते थे और उन्हें यहां के होटल में ठहराकर रकम लेकर फरार हो जाते थे। आरोपियों में मेहताब पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहा है जबकि आकिब चुनाव लड़ चुका है। दोनों ही राजनीति में रसूख रखते हैं। पुलिस अब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर इनके गिरोह से जुड़े अन्य ठगों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। हत्थे चढ़े दोनों आरोपी मेहताब और आकिब मेरठ के जिला किठौर स्थित असिलपुर के रहने वाले हैं।

### एक आरोपी पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहा है बल्कि दूसरा चुनाव लड़ चुका है

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मेहताब ने अपने फूफा की कार को बेचने के लिए उसका ओएलएक्स पर फोटो डाला था। उसने जानबूझ कर इसकी कीमत काफी सस्ती रखी थी ताकि लोग उससे संपर्क करें और वह उन्हें जाल में फंसाकर चूना लगाए।

# 'जनता ने फिर से भाजपा सरकार बनाने का मन बना लिया है'

फरीदाबाद, 9 अक्तूबर (जनसत्ता)।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने बुधवार को पृथला विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सोहनपाल छोकर के समर्थन में मोहना अनाज मंडी में एक बड़ी जनसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने 21 अक्तूबर को कमल का बटन दबाकर सोहनपाल छोकर को जिताने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने फिर से भाजपा सरकार बनाने का मन बना लिया है। इसलिए पृथला विधानसभा में हमारी सरकार ने विकास का जो सिलसिला शुरू किया है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर यहां से भाजपा की जीत हुई तो हमें और ताकत मिलेगी और हम पूरे क्षेत्र का विकास करा पाएंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास नारे के साथ काम करती है, पिछली बार जिस विधानसभा में हमारी पार्टी की जीत नहीं हुई हमने वहां भी विकास कराने का पूरा प्रयास किया। पृथला विधानसभा में भी हमारी पार्टी का विधायक न होते हुए भी हमने क्षेत्र का पूरा ख्याल रखा। अगर इस बार यहां से भाजपा की जीत होगी तो और तेजी से विकास होगा और क्षेत्रवासियों की सभी समस्याएं खत्म होंगी।

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसलिए पृथला की जनता को भी इस बार अपने क्षेत्र में भाजपा को वोट देकर सरकार के हाथों को मजबूत करना चाहिए। अगर यहां से भाजपा की जीत हुई तो विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

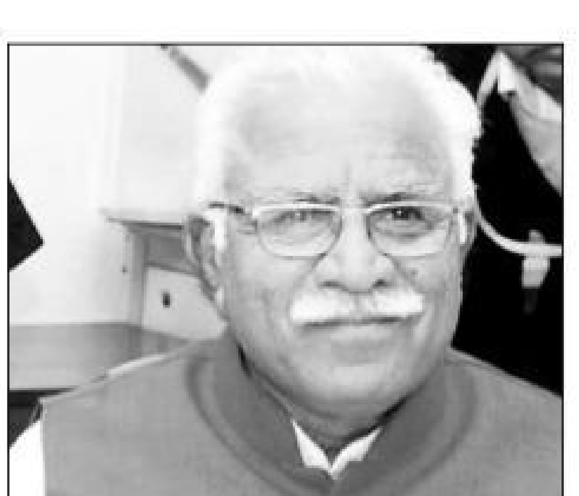
पृथला में सोहनपाल छोकर के समर्थन में खट्टर ने जनसभा को संबोधित किया।

### जजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा में शामिल

इस अवसर पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जननायक जनता पार्टी (जजपा) के प्रदेश उपाध्यक्ष बलदेव अलावलपुर अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने सोहनपाल छोकर को चुनाव जिताने की अपील की।

# डेनमार्क जलवायु शिखर सम्मेलन महापौर स्तर के प्रतिभागियों के लिए था : जावडेकर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

केंद्र सरकार ने डेनमार्क में होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अनुमति नहीं देने के फैसले को सही ठहराया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि डेनमार्क में होने वाला सम्मेलन महापौर स्तर के प्रतिभागियों के लिए था। इसलिए केंद्र सरकार ने इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री को जाने की अनुमति नहीं दी।

वे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बाद एक प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। वहीं, उन्होंने इस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के मंत्री को मंजूरी दिए जाने के मामले में कहा कि मुख्यमंत्रियों के लिए अलग प्रोटोकॉल होता है इसलिए यह निर्णय लिया गया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाए जाने के दावों को खारिज किया है। ज्ञात हो कि आम आदमी पार्टी ने फैसले को दुर्भावना से लिया गया फैसला बताया था।

### मुख्यमंत्री की यात्रा रद्द करना दिल्ली का अपमान : संजय सिंह

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डेनमार्क यात्रा को रद्द करने को आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की जनता का अपमान कहा है। 'आप' नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यात्रा को रद्द किया जाना केंद्र सरकार की गलत भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश में किसी मुख्यमंत्री की यात्रा को रद्द करने का यह पहला उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की यात्रा भी रद्द कर चुकी है। उन्होंने बताया कि औपचारिक रूप से केंद्र सरकार ने डेनमार्क की यात्रा को रद्द कर दिया है लेकिन इस यात्रा को रद्द करने का कारण नहीं बताया है। मुख्यमंत्री डेनमार्क घूमने -टहलने नहीं जा रहे थे और उन्हें डेनमार्क में दुनिया भर के महापौर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे थे। इस अवसर पर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को वंचित किया है। सवा माह पहले इसके लिए आवेदन किया था जबकि इसके बाद आवेदन करने वाले पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री को अनुमति दी है।

### मुख्यमंत्री के लिए नहीं था डेनमार्क सम्मेलन : गोयल

डेनमार्क में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्तर का नहीं था। भाजपा नेता विजय गोयल ने कहा कि इस सम्मेलन में विश्व के महापौर शामिल हो रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री के जाने की अनुमति को 'आप' मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार को स्वयं पहल करनी चाहिए थी कि वे दिल्ली के तीनों महापौर से बात करती और उन्हें इस सम्मेलन में जाने का मौका देती।

# मुठभेड़ में दो कांस्टेबल और एक बदमाश घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

वारदात करने के इरादे से आए दो बदमाशों के साथ दिल्ली पुलिस की मंगलवार रात मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई जिसमें दो कांस्टेबल मामूली रूप से घायल हो गए। एक बदमाश भी घायल हो गया। काफी देर तक दोनों तरफ से हुई गुत्थमगुत्थी में दो बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसमें एक बदमाश पर आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ और गुत्थमगुत्थी के बाद गिरफ्तार बदमाशों के पास से देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और पुलिस टीम पर चलाई गई गोली के खाली खोखे भी बरामद किए गए।

# निगम ने बकाया संपत्ति कर जमा नहीं कराने पर 416 संपत्तियां कुर्क कीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने देय संपत्तिकर के भुगतान न करने पर एक अप्रैल से अब तक 416 संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। इन संपत्तियों पर कुल 2775.42 लाख रुपए की राशि बकाया है। हालांकि 82 संपत्तियां का 367.60 लाख रुपए के भुगतान के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम से कुर्क मुक्त कर दिया गया है। निगम ने 15 दिनों में 125 संपत्तियां कुर्क की हैं जिन पर 1090.55 लाख रुपए का संपत्तिकर बकाया था जबकि 28 संपत्तियों को 2262.04 लाख रुपए के संपत्तिकर के भुगतान के बाद मुक्त किया गया है।

निगम ने इस बाबत सभी संपत्ति धारकों को सलाह दी है कि वे अपने नियत संपत्ति कर का समय से भुगतान करें अन्यथा उन्हें दंड और ब्याज के साथ अपने देय संपत्ति कर का भुगतान करना होगा और उनके बैंक खाते या संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है।

निगम के सभी संपत्तिकर कार्यालय राजपत्रित अवकाश के अलावा हर शनिवार को सामान्य सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। दोपहर एक बजे से डेढ़ बजे तक भोजनावकाश रहेगा। निगम ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर एक विशेष टीम का गठन किया है जो उपलब्ध जानकारी एकीकृत करने का कार्य करेगी।

**औद्योगीकरण पर जोर** — औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में 7.10 फीसद और फेज- 3 में 15 फीसद बढ़ा आबंटन भाव

# नोएडा में औद्योगिक भूखंडों की आबंटन दर बढ़ी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 9 अक्तूबर।

रोजगार बढ़ाने के लिए औद्योगीकरण पर प्रदेश सरकार के जोर से इतर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 और फेज-3 की आबंटन दरों में 7.10 से 15 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 के भूखंड आबंटन दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्राधिकरण की 197वीं बोर्ड बैठक में रखे गए आबंटन दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। दर बढ़ाने पर अधिकारियों का तर्क है कि प्रस्तावित बाजार दरों से आबंटन भाव काफी कम है।

उत्तर प्रदेश के विकास के आइने के रूप में पहचाने जाने वाले औद्योगिक महानगर नोएडा में उत्पादन करने वाले प्रमुख तौर पर तीन क्षेत्र हैं। इसमें पुराने औद्योगिक क्षेत्र (सेक्टर-1 से 11) फेज-1 और तेजी से आईटी साफ्टवेयर व हार्डवेयर आदि इकाइयों की पहचान बना फेज-3 क्षेत्र शामिल है। औद्योगिक भूखंडों की कीमत के लिहाज से वर्तमान में फेज-3 का बाजार भाव सबसे ज्यादा है। 1976 में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के गठन के बाद सबसे पहले फेज-1 में औद्योगिक भूखंड आबंटित किए गए थे। करीब 40 साल पहले काटे गए यहां के भूखंडों की आबंटन दर सबसे ज्यादा है लेकिन फेज-3 का बाजार भाव काफी ज्यादा है। बोर्ड बैठक में गठित समिति ने औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 और फेज-2 के औद्योगिक भूखंडों की आबंटन दर और अगस्त माह में प्रस्तावित सर्किल दर का तुलनात्मक अध्ययन किया। यह अध्ययन 4000, 4001-20 हजार, 20001- 60 हजार और 60 हजार वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों की श्रेणियों में किया गया। इस अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर फेज- 1 औद्योगिक सेक्टरों की प्रस्तावित दर में 7.10 फीसद की बढ़ोतरी की गई। फेज-2 औद्योगिक सेक्टर विकसित किया जा रहा है। निवेश को बढ़ावा देने के लिहाज से यहां की आबंटन दरों में बदलाव नहीं किया गया है। वहीं फेज-3 के सेक्टरों का बाजार भाव प्राधिकरण की आबंटन दर से चार से पांच गुना अधिक पाया गया है। इस कारण समिति ने फेज-3 क्षेत्र के औद्योगिक भूखंडों के भाव में 15 फीसद की बढ़ोतरी की है। यानी उद्यमियों को फेज-1 और फेज-3 में औद्योगिक भूखंड खरीदने के लिए अधिक रकम खर्च करना होगी जबकि निवेशकों के लिए फेज-2 औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर मौका देने के लिए आबंटन भाव पहले के बराबर रखे गए हैं।

● फेज-2 औद्योगिक क्षेत्र को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए नहीं बढ़ाई दर
● अधिकारियों का तर्क, अभी भी बाजार भाव से काफी कम है आबंटन भाव

प्रस्तावित बढ़ोतरी के कारण फेज-3 में चार हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखंड का आबंटन 11,290 रुपए की जगह 13 हजार रुपए होगा, जबकि इस श्रेणी के भूखंड का यहां बाजार भाव करीब 55 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर है। इसी तरह फेज-1 इलाके में चार हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखंड का आबंटन 30,610 रुपए की जगह 32,785 रुपए प्रति वर्गमीटर होगा।

## खबरों में शहर

### 'राइट टू इंग्लिश' बात

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 9 अक्तूबर।

राइट टू इंग्लिश-विषय पर 14वें अंतरराष्ट्रीय इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन का आयोजन बुधवार को सेक्टर-125 स्थित एमिटी विश्वविद्यालय में किया गया। 12 अक्तूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत फिजी दूतावास के राजदूत योगेश पुंजा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय अरोड़ा, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की उपाध्यक्ष प्रीति हिंगोरानी, एमिटी की वीसी डॉ. बलविंदर शुक्ला आदि ने किया। इस अवसर पर सम्मेलन आधारित पुस्तिका, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल-ईएलटीआइए एन एपिक जर्नी- कममेरोटिव आदि का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर एमिटी इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया।

### चलती मेट्रो के आगे कूदा व्यक्ति, घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन मेट्रो पर उत्तम नगर पूर्वी स्टेशन पर बुधवार को एक व्यक्ति ट्रेन की पटरी पर कूद गया। चलत ट्रेन की टक्कर से घायल संजीव अरोड़ा नामक व्यक्ति को तुरंत दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसके परिजन उसे बीएल कपूर अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वह अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह तनाव में था। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के चलते इस कॉरिडोर पर सेवाएं कुछ देर के लिए बाधित हुईं, बाद में इसे सामान्य कर दिया गया।

### कार की टक्कर से युवक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 9 अक्तूबर।

सेक्टर-40 यूटर्न के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक को कार ने टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना सेक्टर-39 पुलिस ने घायल को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर की जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

### बैंक की सहायक प्रबंधक ने की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 9 अक्तूबर।

सेक्टर-70 स्थित पैन-ओएसिस सोसायटी के फ्लैट में 24 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती सेक्टर-62 के एक बैंक में सहायक प्रबंधक पद पर कार्यरत थी। फ्लैट में पुलिस को एक सूसाइड नोट मिला है। जिसमें आत्महत्या के लिए किसी का दोष नहीं होने की बात लिखी है। साथ ही उसमें लिखा है कि वह तनाव के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है। पुलिस ने सूसाइड नोट कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

### भवनों में छोटे मरम्मत कार्यों के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं : निगम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि भवनों में छोटे मरम्मत कार्यों के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। मास्टर प्लान 2021 और भवन उपनियमों के प्रावधानों के मुताबिक लिए गए इस फैसले में घरों में पलस्तर और पैच मरम्मत, छत की मरम्मति और नवीकरण, रंग-रोगन, फाल्स सिलिंग, खिड़कियों और वेंटीलेटर संबंधित अन्य कार्य के लिए निगम से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। निगम का कहना है कि बशर्ते कि विशेष परिस्थितियों में उपनियमों की सामान्य निर्माण आवश्यकताओं, संरचनात्मक स्थिरता और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं।

## आज के कार्यक्रम

### सभा/संगोष्ठी

इंडिया हेबीटेट सेंटर : दास्तानगोई पर चर्चा, गुलमोहर हाल, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

### नृत्य

इंडिया हेबीटेट सेंटर : ओड़ीसी और कथक, द स्टेन आडिटेरियम, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

### प्रदर्शनी

ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसायटी : डॉ जूही शुक्ला की कला प्रदर्शनी, सोसायटी परिसर, 1, रफी मार्ग, सुबह 11 बजे से।

DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF

# AMBA ENTERPRISES LIMITED

**Registered Office: : Gala No. 430, 4th Floor, Blue Rose Industrial Estate, Western Express Highway, Near Metro, Borivali (East), Mumbai-400066, Maharashtra, India Tel No.: 022- 28624345/ 9322266893 / 9820785258 Website: www.ambaltd.com ; Email Id: ambaltd@gmail.com**

**CIN: L99999MH1992PLC067004**

**In compliance with Regulations 3(1) read with Regulations 13(4), 14(3) and 15(2) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011**

**Open Offer for acquisition up to 32,91,725 Equity Shares from the shareholders of M/S. AMBA ENTERPRISES LIMITED ("TARGET COMPANY") by**

**KETAN HARILAL MEHTA ("ACQUIRER 1") AND CHHAYA K. MEHTA ("ACQUIRER 2") (HEREIN AFTER ACQUIRER 1 AND ACQUIRER 2 ARE COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS")**

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 32,91,725 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES ("OPEN OFFER SHARES") OF FACE VALUE OF ₹ 5 (RUPEES FIVE ONLY) EACH REPRESENTING 26.00% OF THE EQUITY SHARE CAPITAL/VOTING CAPITAL OF M/S. AMBA ENTERPRISES LIMITED (HEREINAFTER REFERRED TO AS "TARGET COMPANY" OR "AEL"), FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW), AT A PRICE OF ₹11/- (RUPEES ELEVEN ONLY) PER EQUITY SHARE, BY KETAN HARILAL MEHTA (HEREIN AFTER REFERRED TO AS "ACQUIRER 1") AND CHHAYA K. MEHTA (HEREIN AFTER REFERRED TO AS "ACQUIRER 2") (HEREIN AFTER ACQUIRER 1 AND ACQUIRER 2 COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS") PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH REGULATION 3(1) OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS").

This Detailed Public Statement ("DPS") is being issued by CapitalSquare Advisors Private Limited, the Manager to the Offer ("Manager" or "CSAPL"), on behalf of the Acquirers, in compliance with regulations 13(4), 14(3), 15(2) and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") and pursuant to the Public Announcement ("PA") dated October 01, 2019 in terms of Regulations 3(1) of the SEBI (SAST) Regulations with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), BSE Limited ("BSE" or the "Stock Exchange") and the Target Company at its registered office through letters dated October 01, 2019 in terms of Regulation 14(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

For the purposes of this DPS, the following terms shall have the meaning assigned to them below:

'Business Day' means any day other than a Saturday, Sunday or any day on which banks in India or the SEBI is permitted to be closed.

'Identified Date' means the date falling on the 10th (tenth) working day prior to the commencement of the tendering period, for the purpose of determining the Public Shareholders to whom the Letter of Offer shall be sent.

'Public Shareholders' shall means all registered and unregistered public shareholders of the Target Company who owned equity shares at any time prior to the closure of tendering period, including the beneficial owners of the equity shares held in dematerialized form and physical form except acquirer and PAC including persons deemed to be acting in concert with terms of regulation 7(6) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.

'Voting Share Capital' means the fully diluted equity voting share capital of the Target Company as of the 10th working day from the closure of the tendering period of the Offer.

## I. DETAILS OF ACQUIRERS, SELLERS, TARGET COMPANY

### A. INFORMATION ABOUT THE ACQUIRERS:

**A.1. Mr. Ketan Harilal Mehta (hereinafter referred to as "Acquire 1"):**

(i) Mr. Ketan Harilal Mehta, s/o Harilal Govindlal Mehta, aged about 48 years is presently resident at B-1101, Siddhivinayak Tower, Eksar Village, Krishna Garden, Borivali (West), Mumbai – 400092, Maharashtra, India. Contact no.: +91 79772 65525/022- 28624345, Email id: chhayaimpex@gmail.com. His Permanent Account Number (PAN) under Indian Income Tax Act is AFHPM0792B. His Aadhar Number is 2316 8601 4506. He has completed Diploma in Mechanical Engineer from university of Maharashtra in the year May 1989. He has approximately 25 Years of Experience in field of trading and manufacturing of transformer lamination.

(ii) As on the date, Mr. Ketan Harilal Mehta holds 18,13,578 representing 14.32% Equity Shares Capital in the Target Company.

(iii) Acquirer 1 and Acquirer 2 hold the relationship of Husband and wife.

(iv) Presently, Mr. Ketan Harilal Mehta holding directorship in the following mention companies :

| Sl.No. | Name of the Companies | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Amba Enterprises Limited | Director |
| 2 | Chhaya Info-Tech Industries Private Limited | Director |
| 3 | Apex Buildcom India Private Limited | Director |
| 4 | Ashtavinayak Filmmaker Private Limited | Director |

(v) The Acquirer 1 is forming part of Promoter and Promoter Group of the Target Company. As on date of this DPS, the Acquirer 1 is on the Board of Directors of the Target Company.

(vi) The Net Worth of Mr. Ketan Harilal Mehta is ₹ 9,21,59,198/- (Rupees Nine Crore Twenty One Lakh Fifty Nine Thousand One Hundred and Ninety Eight Only) as on September 18, 2019, certificated vide certificate dated September 21, 2019 issued by U.D. Kachare & Co. Chartered Accountant having registered office at C-6, Saraswati Apartment, Laxmi Nagar, Carter Road No.3, Borivali (East), Mumbai-400 066, Maharashtra, India, Tel: +91-22-2805 7040/ 2865 1947, email id: udkachare@gmail.com.

(vii) Neither the Acquirer 1 nor any of the entities with whom he is associated are in securities related business and registered with SEBI as market intermediary.

(viii) As on the date, Acquirer1 has confirmed that he is not declared as a fugitive economic offender under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018

(ix) He has not been not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued u/s 11B of the SEBI Act or under any other Regulations made under the SEBI Act.

(x) As on the date, Acquirer 1 has confirmed that he is not categorized in the list of wilful defaulters of any bank, financial institution, or consortium thereof in accordance with guidelines on willful defaulters issued by Reserve Bank of India.

(xi) There are no Person Acting in Concert in relation to the offer within the meaning of 2(1)(q)(1) of the regulation.

**A.2 Mrs. Chhaya K. Mehta (hereinafter referred to as "Acquire 2"):**

(i) Mrs. Chhaya K. Mehta, W/o Ketan H. Mehta, aged about 46 years is presently resident at B -1101, Siddhivinayak Tower, Eksar Village, Krishna Garden, Borivali (West), Mumbai – 400092, Maharashtra, India. Contact no.: +91 93222 66893/022- 28624345, Email id: chhayaimpex@gmail.com. Her Permanent Account Number (PAN) under Indian Income Tax Act is ACLPM4811A. Her Aadhar Number is 8816 6650 7304. She has completed her Commerce Graduation from University of Bombay in the year April 1993. She is Housewife.

(ii) As on the date, the Acquirer 2 holds 13,20,000 representing 10.43% Equity Shares Capital in the Target Company.

(iii) Acquirer 1 and Acquirer 2 hold the relationship of Husband and wife.

(iv) Presently, Mrs. Chhaya K. Mehta holding directorship in the following company :

| Sl.No. | Name of the Companies | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Chhaya Info-Tech Industries Private Limited | Director |

(v) The Acquirer 2 is forming part of Promoter and Promoter Group of the Target Company. As on date of this DPS, there is/are no nominee(s) of the Acquirer 2 on the Board of Directors of the Target Company.

(vi) The Net Worth of Mrs. Chhaya K. Mehta is ₹ 4,24,22,805 (Rupees Four Crore Twenty Four Lakh Twenty Two Thousand Eight Hundred and Five Only) as on September 18, 2019, certificated vide certificate dated September 21, 2019 issued by U.D. Kachare & Co. Chartered Accountant having registered office at C-6, Saraswati Apartment, Laxmi Nagar, Carter Road No.3, Borivali (East), Mumbai-400 066, Maharashtra, India, Tel: +91-22-2805 7040/ 2865 1947, email id: udkachare@gmail.com,.

(vii) Neither the Acquirer 2 nor any of the entity with whom she is associated are in securities related business and registered with SEBI as market intermediary.

(viii) As on the date, Acquirer 2 has confirmed that she is not declared as a fugitive economic offender under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018

(ix) She has not been not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued u/s 11B of the SEBI Act or under any other Regulations made under the SEBI Act.

(x) As on the date, Acquirer 2 has confirmed that she is not categorized in the list of wilful defaulters of any bank, financial institution, or consortium thereof in accordance with guidelines on willful defaulters issued by Reserve Bank of India.

(xi) There are no Person Acting in Concert in relation to the offer within the meaning of 2(1)(q)(1) of the regulation.

### B. INFORMATION ABOUT THE SELLING SHAREHOLDERS

(i) The details of the selling shareholders (the "Selling Shareholders"), who have entered into the Share Purchase Agreement with the Acquirers and the Target Company (as detailed below in Part II of this DPS), are as stated hereunder:

| Sl. No. | Name & Address of Sellers | Nature | Shares Holding Prior to SPA | Part of the Promoter/ Promoter Group(Yes/ No) | % to paid Equity Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Aslam Yasin Lashkaria<br>Beverly Hills Royal Empire Chs Ltd, 2605/06 T-36<br>T-37 Lokhandwala Road, Shastri Nagar, Andheri West, Mumbai 400053, Maharashtra India | Individual | 94,958 | No | 0.75 |
| 2 | Mrs. Zahida Parveen Aslam Lashkaria<br>Beverly Hills Royal Empire Chs Ltd, 2605/06 T-36<br>T-37 Lokhandwala Road, Shastri Nagar, Andheri West, Mumbai 400053, Maharashtra India | Individual | 97,540 | No | 0.77 |
| 3 | Mr. Mohd. Aslam Lashkaria<br>2803 Green Height Off. Link Road Behram Baug<br>Jogeshwari West Mumbai-400102, Maharashtra India | Individual | 1,05,600 | No | 0.83 |
| 4 | Mr. Bhupendra Amritlal Kansara<br>34, Om Shivam, 3rd floor, N.S. Road No.6,<br>JVPD Scheme, Mumbai – 400056, Maharashtra India | Individual | 1,26,202 | No | 1.00 |
| 5 | Mrs. Asha Bhupendra Kansara<br>34, Om Shivam, 3rd floor, N.S. Road No.6,<br>JVPD Scheme, Mumbai – 400056, Maharashtra India | Individual | 2,02,795 | No | 1.60 |
| 6 | Rushi Chintaman Mali<br>Chintamani Mali House, Shimpoli Road No.406,<br>Shimpoli Village, Borivali (West), Mumbai-400092, Maharashtra India | Individual | 48,629 | No | 0.38 |
| 7 | Neelima Rishi Mali<br>Chintamani Mali House, Shimpoli Road No.406,<br>Shimpoli Village, Borivali (West), Mumbai-400092, Maharashtra India | Individual | 71,320 | No | 0.56 |
| | **Total** | | **7,47,044** | | **5.90** |

(ii) Accordingly, upon completion of the sale and purchase of the Sale Shares (as defined above) under the SPA, Sellers will not hold any Equity Shares in the Target Company.

(iii) As on date, the Sellers do not belong to any Group.

(iv) The Sellers do not form part of Promoter and Promoter Group of the Target Company.

(v) The sellers as mentioned above has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of the SEBI Act, 1992, as amended or under any other regulation made under the SEBI Act, 1992.

### C. INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY – M/s. AMBA ENTERPRISES LIMITED (AEL)

(i) The Target Company was incorporated as "AMBA ENTERPRISES LIMITED" under the provisions of the Companies Act, 1956 on June 01, 1992 vide Certificate of Incorporation no 11-67004 issued by Registrar of Companies, Maharashtra. The CIN of AEL is L99999MH1992PLC067004. The registered office of the Target Company is presently situated at Gala No. 430, 4th Floor, Blue Rose Industrial Estate, Western Express Highway, Near Metro, Borivali (East), Mumbai - 400 066, Maharashtra, India. Tel No.: 022- 28624345/ 9322266893 / 9820785258, Email Id: ambaltd@gmail.com. Website: www.ambaltd.com.

(ii) The Authorised Share Capital of AEL is ₹ 15,00,00,000/- comprising of 3,00,00,000 equity shares of ₹ 5/- each. The Issued, Subscribed & Paid-up Capital of the AEL is ₹ 6,33,02,400/- comprising of 1,26,60,480 equity shares of ₹ 5/- each.

(iii) As on date the Target Company does not have any partly paid equity shares. There are no outstanding warrants or options or similar instruments, convertible into equity shares at a later stage. No shares are subject to any lock in obligations.

(iv) Presently the entire equity shares capital of AEL are listed at BSE Limited. Earlier the entire equity shares capital of AEL were listed on Ahmedabad Stock Exchange Limited (ASEL) and Pune Stock Exchange Limited (PSEL). The equity shares of the Target Company are placed under Group 'X' having a scrip code of "539196" & Scrip Id: AEL on the BSE Limited. The equity shares of AEL are listed on BSE Limited on June 26, 2015. The equity shares of AEL are frequently traded on BSE Limited within the meaning of explanation provided in Regulation 2(j) of the SEBI (SAST) Regulations. The ISIN of the Target Company is INE829P01020. The Target Company has already established connectivity with Central depositories Services (India) Limited (CDSL) and National Securities Depository Limited (NSDL).

(v) The key financial information of the Target Company unaudited for the period ended April-June 2019 and based on audited financial statements for financial year ended on , March 31, 2019; March 31, 2018; March 31, 2017; are as follows are as follows:

**(Amount in ₹ Lakhs except EPS)**

| Particulars | For the Period ended June 30, 2019 (Unaudited) | As on Year ended 31.03.2019 (Audited) | As on Year ended 31.03.2018 (Audited) | As on Year ended 31.03.2017 (Audited) |
|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 3091.00 | 8919.00 | 7350.70 | 4963.62 |
| Net Income i.e. Profit/ (Loss) After Tax | 28.70 | 111.00 | 139.10 | 102.88 |
| EPS* (in ₹) | 0.23 | 0.88 | 1.10 | 0.81 |
| Net worth /Shareholder's Funds | 1645.08 | 1616.00 | 1529.65 | 1403.53 |

* Not Annualized

(vi) The present Board of Directors of AEL are as follows:

| Sl. No. | Name | DIN | Designation |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Ketan Harilal Mehta | 01238700 | Executive Director - Chairperson |
| 2. | Mrs. Sarika Sumit Bhise | 06987209 | Executive Director |
| 3. | Mr. Dhirendra Popatlal Mehta | 07891935 | Non-Executive - Independent Director |
| 4. | Mr. Dhir Haresh Mehta | 05209857 | Non-Executive - Independent Director |
| 5. | Mr. Atul Mohanlal Thakkar | 07540785 | Non-Executive - Independent Director |

### D. DETAILS OF THE OPEN OFFER

(i) The Acquirers are making an Open Offer to acquire 32,91,725 equity shares of ₹ 5/- each representing 26.00% of total equity and voting share capital of the Target Company, at a price of ₹ 11/- (Rupees Eleven Only) per equity share (the "Offer Price") aggregating to a total consideration of Rs. 3,62,08,975/- (Rupees Three Crores Sixty Two Lakhs Eight Thousand and Nine Hundred and Seventy Five only) ("Maximum Open Offer Consideration") payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9(1)(a) of the SAST Regulation, subject to the terms and conditions set out in the PA, DPS and the letter of offer ("LOF / Letter of Offer") subject to the terms and conditions mentioned hereinafter.

(ii) This open offer is made under SEBI (SAST) Regulations, 2011 to all the shareholders of the Target Company as on November 13, 2019 ("Identified Date"), other than parties to the Share Purchase Agreement and the Acquirer under Regulation 7(6) of the Regulations.

(iii) The payment of consideration shall be made to all the shareholders, who have tendered their shares in acceptance of the Open Offer within ten working days of the expiry of the tendering period. Credit for consideration will be paid to the shareholders who have tendered shares in the Open Offer by crossed account payee cheques/ pay order/ demand drafts/electronic transfer. It is desirable that shareholders provide bank details in the Form of Acceptance cum Acknowledgement, so that the same can be incorporated in the cheques / demand draft / pay order.

(iv) To the best of knowledge and belief of the Acquirers, as of the date of this DPS, there are no other statutory approvals required for this Open Offer. However, if any other statutory approvals are required or become applicable at a later date before the completion of this offer, this offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals. The Acquires will not proceed with the offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation.

(v) This Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of the Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations and is not a competitive bid in terms of the Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations 2011.

(vi) The offer is not pursuant to any global acquisition resulting in an indirect acquisition of shares of the Target Company.

(vii) The Manager to the Offer i.e Capital Square Advisors Private Limited does not hold any equity shares in the Target Company as on the date of appointment as Manager to the Offer. They declare and undertake that they shall not deal in the equity shares of the Target Company during the period commencing from the date of their appointment as Manager to the Offer to the expiry of 15 Days from the date of closure of this Open Offer.

(viii) This DPS is being published in the following newspapers:

| Publication | Language | Edition |
|---|---|---|
| Financial Express | English | All Edition |
| Jansatta (Hindi) | Hindi | All Edition |
| Mumbai Mitra | Marathi | Mumbai Edition |

(ix) The equity shares will be acquired by the Acquirers free from all lien, charges and encumbrances and together with all the rights attached to, including all the rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.

(x) In terms of Regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers do not have any intention to alienate any material assets of the Target Company whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise for the period of 2 (Two) years from the closure of this Open Offer, except (a)in the ordinary course of business of the Target Company; and (b) on account of regulatory approvals or conditions or compliance with any law that is binding on or applicable to the Target company.

(xi) The Equity Shares are listed on BSE Limited. As per Regulation 38 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended ('SCRR'),the Target Company is required to maintain at least 25% Public Shareholding, on continuous basis for listing. Pursuant to completion of this Offer, assuming full acceptance, the Public Shareholding in the Target Company will not fall below the minimum public shareholding requirement as per SCRR as amended and the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

## II. BAKGROUND TO THE OFFER

(i) The Acquirers intend to acquire 7,47,044 equity shares pursuant to Share Purchase Agreement ('SPA') dated October 01, 2019 at a price of ₹11/- (Rupees Eleven only) aggregating to ₹ 82,17,484/- (Rupees Eighty Two Lakhs Seventeen Thousand Four Hundred and Eighty Four Only) (referred to as "Sale Shares"), details of which are as follows

| Name of Sellers | No. of Equity Shares | % of Shares / Voting Rights | Name of Acquirers | No. of Equity Shares | % of Shares / Voting Rights |
|---|---|---|---|---|---|
| Aslam Yasin Lashkaria | 94,958 | 0.75% | Ketan H. Mehta and Chhaya K. Mehta | 7,47,044 | 5.90% |
| Zahida Parveen Aslam Lashkaria | 97,540 | 0.77% | | | |
| Mohd. Aslam Lashkaria | 1,05,600 | 0.83% | | | |
| Bhupendra Amritlal Kansara | 1,26,202 | 1.00% | | | |
| Asha Bhupendra Kansara | 2,02,795 | 1.60% | | | |
| Rushi Chintaman Mali | 48,629 | 0.38% | | | |
| Neelima Rushi Mali | 71,320 | 0.56% | | | |
| **Total** | **7,47,044** | **5.90%** | **Total** | **7,47,044** | **5.90%** |

Pursuant to the execution of the SPA, this mandatory Open Offer is being made by the Acquirers in compliance with the Regulation 3(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

(ii) The Acquirers belong to the Promoter and Promoter Group of the Target Company.

(iii) This Open Offer is being made in accordance with Regulation 9(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

(iv) The prime objective of the Acquirers behind the acquisition are to consolidate their holding in the Target Company. The Acquirers propose to continue the existing business of the Target Company.

(v) This Open Offer is for acquisition of 26.00% of total equity and voting share capital of the Target Company. After the completion of this Open Offer and pursuant to transfer of equity shares so acquired under SPA, the Acquirers shall hold the majority of the Equity Shares.

(vi) The Acquirers propose to continue existing business of the Target Company and may diversify its business activities in future with prior approval of the shareholders.

## III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

The Current and proposed shareholding of the Acquirers in the Target Company and the details of their acquisition are as follows:

| Details | Acquirers | |
|---|---|---|
| | No. of Equity Shares | % of Shares/ Voting Rights |
| Shareholding as on the PA date | 31,33,578 | 24.75% |
| Shares agreed to be acquired under SPA(s) | 7,47,044 | 5.90% |
| Shares acquired between the PA date and the DPS date | Nil | Nil |
| Shares to be acquired in the Offer [assuming full acceptance] | 32,91,725 | 26.00% |
| Post Offer shareholding (*)(on diluted basis, as on 10th working day after closing of tendering period) | 71,72,347 | 56.65% |

* Assuming all the shares which are offered are accepted in the Open Offer.

## IV. OFFER PRICE

(i) The Equity Shares of the Target Company are listed at the BSE Limited (BSE). The shares are placed under Group 'T' having a scrip code of "539196" & Scrip Id: AEL on the BSE. The ISIN of the Target Company is INE829P01020.

(ii) The total trading turnover in the Equity Shares of the Target Company on the BSE based on trading volume during the twelve calendar months prior to the month of PA (October, 2018 to September, 2019) is as given below:

| Stock Exchange | Total No. of Equity Shares traded during the Twelve calendar months prior to the month of PA | Total No. of listed equity shares of the Target Company | Total Trading Turnover (as % of total equity shares Listed) |
|---|---|---|---|
| BSE | 16,24,232 | 1,26,60,480 | 12.83% |

*(Source: www.bseindia.com)*

(iii) Based on the above information, equity Shares of AEL is frequently traded shares within the meaning of explanation provided in Regulation 2 (j) of the SEBI (SAST) Regulations.

(iv) The Offer Price has been determined taking into account the parameters as set out under regulation 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations, as under:

| Sr. No. | Particulars | Price (In ₹ per share) |
|---|---|---|
| (a) | The highest negotiated price per Equity Share of the Target Company for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make a public announcement of an open offer | 11.00 |
| (b) | The volume-weighted average price ("VWAP") paid or payable per Equity Share for acquisitions, whether by the Acquirer or PACs, during the fifty-two weeks immediately preceding the date of the public announcement | 10.99 |
| (c) | The highest price paid or payable per Equity Share for any acquisition, whether by the Acquirer or PACs, during the twenty-six weeks immediately preceding the date of the public announcement | 10.40 |
| (d) | The volume-weighted average market price per Equity Share for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the Stock Exchange where the maximum volume of trading in the Equity Shares of the Target Company is recorded during such period and such shares being frequently traded | 9.47 |
| (e) | Where the shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer and the manager to the open offer taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies | Not Applicable |

In view of the parameters considered and presented in the table above, in the opinion of the Acquirers and Manger to the Offer, the Offer Price of ₹ 11/- per equity share being the highest of the prices mentioned above is justified in terms of Regulation 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations.

(v) As on date there is no revision in Open Offer price or Open Offer size. In case of any revision in the Open Offer price or Offer Size, the Acquirers shall comply with Regulation 18 of SEBI (SAST) Regulations and all other applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations.

(vi) If there is any revision in the offer price on account of future purchases / competing offers, it will be done only up to the period prior to One (1) working days before the date of commencement of the tendering period and would be notified to shareholders.

(vii) If the Acquirers have acquired or agrees to acquire any Equity Shares or Voting Rights in the Target Company during the offer period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the Offer Price, the Offer Price shall stand revised to the highest price paid or payable for any such acquisition in terms of Regulation 8(8) of Regulations. Provided that no such acquisition shall be made after the third working day prior to the commencement of the tendering period and until the expiry of the tendering period. Further, in accordance with Regulations 18(4) and 18(5) of the Regulations, in case of an upward revision to the Offer Price or to the Offer Size, if any, on account of competing offers or otherwise, the Acquirers shall (i) make public announcement in the same newspapers in which this DPS has been published; and (ii) simultaneously notify to SEBI, BSE Limited, and the Target Company at its registered office. Such revision would be done in compliance with other formalities prescribed under the Regulations.

(viii) If the Acquirers have acquired Equity Shares of the Target Company during the period of twenty-six weeks after the tendering period at a price higher than the Offer Price, the Acquirers shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all shareholders whose shares have been accepted in the Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another Open Offer under Regulations, or pursuant to SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being negotiated acquisition of shares of the Target Company in any form.

## V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

(i) In terms of Regulation 25(1), the Acquirers have adequate financial resources and has made firm financial arrangements for the implementation of the Offer in full out of their own sources/ Networth and no borrowings from any Bank and/ or Financial Institutions are envisaged. CA U.D. Kachare Proprietor of U.D. Kachare & Co., Chartered Accountants, (Membership No. 038046, having its office at C-6, Saraswati Apartment, Laxmi Nagar, Carter Road No.3, Borivali (East), Mumbai-400 066, Maharashtra, India Tel. No +91-22-2805 7040/ 2865 1947; Email: udkachare@gmail.com vide certificate dated September 21, 2019 stated that sufficient resources are available with Acquirers for fulfilling the obligations under this Offer in full.

(ii) The maximum consideration payable by the Acquirers to acquire 32,91,725 fully paid-up equity shares at the Offer Price of ₹11/- (Rupees Eleven Only) per equity share, assuming full acceptance of the Offer would be ₹ 3,62,08,975/- (Rupees Three Crores Sixty Two Lakhs Eight Thousand Nine Hundred and Seventy Five Only). In accordance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers have opened an Escrow Account under the name and style of "AEL- Open Offer Escrow Account" with HDFC Bank Limited, Bank House, Lower Parel, Mumbai-400013 Maharashtra, India ("Escrow Banker") and have deposited of ₹91,00,000/- (Rupees Ninety One Lakhs Only) being more than 25% of the total consideration payable in the Open Offer, assuming full acceptance.

(iii) The Manager to the Offer is authorized to operate the above mentioned Escrow account to the exclusion of all others and has been duly empowered to realize the value of the Escrow Account in terms of the SEBI (SAST) Regulations.

(iv) Based on the aforesaid financial arrangements and on the confirmations received from the Escrow Banker and the Chartered Accountant, the Manager to the Offer is satisfied about the ability of the Acquirers to fulfill its obligation in respect of this Offer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.

(v) In case of upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size, the Acquirers shall deposit additional appropriate amount into an Escrow Account to ensure compliance with Regulation 18(5) of the Regulations, prior to effecting such revision.

## VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

(i) To the best of knowledge and belief of the Acquirers, as of the date of this DPS, there are no other statutory approvals required for this Open Offer. However, if any statutory approvals are required or become applicable at a later date before the completion of this offer, this offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals. The Acquires shall make necessary applications for such statutory approvals. In the event of non-receipts of any of such statutory approvals which may become applicable for purchase of Equity shares under this offer, the Acquires shall have the right to withdraw the offer in accordance with the provisions of regulation 23(1) of the Regulation.

(ii) In the event of withdrawal of this offer, for reasons outside the reasonable control of the acquirers, a public Announcement will be made within two (2) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and copy of such Public Announcement will also be sent to SEBI, Stock Exchange and to the Target Company at its Registered Office.

(iii) In case of delay in receipt of any statutory approval, SEBI may, if satisfied that delay in receipt of the requisite approvals was not due to any willful default or neglect of the Acquirers or failure of the Acquirers to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirers agreeing to pay interest to the shareholders as directed by SEBI, in terms of Regulation 18(11) of SEBI (SAST) Regulations. Further, if delay occurs on account of willful default by the Acquirers in obtaining the requisite approvals, Regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable to forfeiture.

(iv) NRI and OCB holders of Equity Shares, if any, must obtain all requisite approvals required to tender the Equity Shares held by them in this offer (including, without limitation, since the Equity Shares validly tendered in this offer will be acquired by a resident individuals), and submit such approval along with the Forms of Acceptance-cum-Acknowledgement and other documents required to accepts this offer. Further, if holders of the Equity Shares who are not person resident in India (including NRIs, OCBs, FIIs, FPIs) and had required any approvals in respect of the equity Shares held by them, they will be required to submit copies of such previous approvals, along with the other documents required to be tendered to accepts this offer. If such approval are not submitted, the Acquires reserves the right to reject such Equity Shares tendered pursuant to this offer.

## VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY:

| Activities | Date | Day |
|---|---|---|
| Date of the PA | October 01, 2019 | Tuesday |
| Publication of Detailed Public Statement in newspapers | October 10, 2019 | Thursday |
| Last date of filing of the Draft Letter of Offer with the SEBI | October 17, 2019 | Thursday |
| Last date of a Competing Offer | November 01, 2019 | Friday |
| Identified Date* | November 13, 2019 | Wednesday |
| Date by which the Letter of Offer will be dispatched to the shareholders | November 20, 2019 | Wednesday |
| Last date for revising the Offer Price / Offer Size | November 26, 2019 | Tuesday |
| Last date by which Board of the Target shall give its recommendation | November 25, 2019 | Monday |
| Advertisement of Schedule of Activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending the same to SEBI, Stock Exchanges and Target Company | November 26, 2019 | Tuesday |
| Date of commencement of tendering period (Open Date) | November 27, 2019 | Wednesday |
| Date of closing of tendering period (Close Date) | December 10, 2019 | Tuesday |
| Date by which all requirement including payment of consideration would be completed | December 24, 2019 | Tuesday |

*Note: Schedule of Activity may be changed on the basis of SEBI approval.*

**Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirer and Sellers) are eligible to participate in the Offer any time before the Closure of the Offer.*

## VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON RECEIPT OF LETTER OF OFFER

(i) All owners of Equity Shares holding Equity Shares in dematerialized form are eligible to participate in the Offer any time before closure of the tendering period.

(ii) Persons who have acquired the Equity Shares of the Target Company but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date or unregistered owners or those who have acquired the Equity Shares of the Target Company after the Identified Date or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.

(iii) The Open Offer will be implemented by the Acquirers through Stock Exchange Mechanism as provided under the SEBI (SAST) Regulations and the SEBI circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 issued by SEBI and as amended via SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 and BSE notice no. 20170202-34 dated February 2, 2017 in each case as amended from time to time.

(iv) BSE Limited ("BSE") shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering Offer Shares in the Open Offer.

(v) The Acquirers have appointed Shreni Shares Private Limited as "Buying Broker" for the Open Offer through whom the purchase and settlement of the Offer Shares tendered in the Open Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

| | |
|---|---|
| **Name of Buying Broker** | Shreni Shares Private Limited |
| **Address** | A-102, Sea Lord CHS, Above Axis Bank, Ram Nagar, Borivali (West), Mumbai-400 092, Maharashtra, India. |
| **Tel No** | 022 28088456 |
| **Email id** | shrenishares@gmail.com |
| **Contact Person** | Parth Shah |

(vi) All public shareholders who desire to tender their equity shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock brokers ("Selling Brokers") within the normal trading hours of the secondary market, during the tendering period.

(vii) The detailed process of Stock Exchange will be provided in the Letter of Offer which shall be mailed to the Public Shareholder of the Target Company.

## IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THE OPEN OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER THAT WOULD BE MAILED TO THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANYAS ON THE IDENTIFIED DATE.

## X. OTHER INFORMATION:

(i) The Acquirers along with its Directors, accept full responsibility for the information contained in the Public Announcement/ Detailed Public Statement and also for the obligations of the Acquirers as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011and subsequent amendments made thereof.

(ii) The Acquirers have appointed Purva Sharegistry (India) Pvt. Ltd, as the Registrar to the Offer. The contact details are as mentioned below:

| | |
|---|---|
| **Name of Registrar to the Offer** | Purva Sharegistry (India) Pvt. Ltd |
| **Address** | Unit no. 9, Shiv Shakti Ind. Estt., J .R. Boricha Marg, Opp. Lodha Excelus, Lower Parel (E), Mumbai-400011,Maharashtra, India. |
| **Tel No** | +91-22-2301 8261 / 2301 2518 |
| **Email id** | support@purvashare.com |
| **Contact Person** | Deepali Dhuri |

(iii) This Detailed Public Statement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

**ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS**

CAPITALSQUARE Teaming together to create value

**MANAGER TO THE OFFER:**
**CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED**
208, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11, CTS 70, Andheri (E), Mumbai 400093, Maharashtra, India. **Tel:** +91-22-66849999 **Fax:** +91-22-66849998
**Website:** www.capitalsquare.in **Email Id:** tanmoy.banerjee@capitalsquare.in
**Contact Person:** Mr. Tanmoy Banerjee **SEBI Registration No**: INM000012219

**For and on behalf of the Acquirers:**

**Sd/-** **Sd/-**

**Mr. Ketan Harilal Mehta** **Mrs. Chhaya Ketan Mehta**

**Place: Mumbai**

**Date: October 09, 2019**

Sunjeet Comm.

जनसत्ता



# संकट में संस्था

मंदी का असर सिर्फ देशों की अर्थव्यवस्था पर ही नहीं दिख रहा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर माने जाने वाला वैश्विक निकाय संयुक्त राष्ट्र भी घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस वैश्विक संस्था ने पैसे की कमी की बात कही हो। कई साल से ऐसा हो रहा है जब साल के आखिर में इसके बजट पास होने की बात आती है तो हमेशा कटौती पर जोर दिया जाता है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने अपने सालाना बजट में साढ़े अट्ठाईस करोड़ डालर से ज्यादा की कटौती थी। संयुक्त राष्ट्र कोई कमाऊ संस्था नहीं है। उसका खर्चा सदस्य देशों के योगदान से ही चलता है। लेकिन लंबे समय से समस्या यह बनी हुई है कि सदस्य देश अपने हिस्से का योगदान नहीं दे रहे हैं। जो देश दे रहे हैं वे भी कटौती कर रहे हैं। ऐसे में संस्था के पास पैसे की आवक घट रही है और संकट बढ़ता जा रहा है। सवाल यह उठता है कि यह विश्व संस्था अपने को कैसे बचा पाएगी। अगर पैसा नहीं होगा तो धीरे-धीरे कामकाज ठप होते जाएंगे और यह निष्प्रभावी होती चली आएगी।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने हाल में संस्था की माली हालत पर जिस तरह से चिंता व्यक्त की है और सदस्य देशों को चेताया है, वह गंभीर स्थिति का संकेत है। अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसे के लाले पड़ रहे हैं। गुतारेस ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में काम करने वाले सैंतीस हजार कर्मचारियों को इस बारे में बता दिया है कि अब वेतन और भत्तों में कटौती होगी। अबकी बार यह नौबत इसलिए आई है कि इस साल के जरूरी बजट का जो पैसा सदस्य देशों से आना था, उसका अभी तक सत्तर फीसद ही आया है। पिछले महीने संगठन को तेईस करोड़ डॉलर की नगदी का संकट झेलना पड़ा। ऐसी ही हालत इसी महीने भी बनी रहेगी। सवाल है ऐसे में किया क्या जाए? सिर्फ वेतन और भत्तों में कटौती से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए महासचिव ने खर्च में कमी के लिए दूसरे उपायों की भी बात कही है। जैसे सम्मेलनों और बैठकों को टाला जाएगा, इनमें कमी की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी अंकुश लगाया जाएगा। कुल मिला कर संस्था के कामकाज पर असर पड़ना तय है।

आज बदलते विश्व में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो गई है। शांति मिशनों से लेकर क्षेत्रीय विवादों के समाधान तक में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। छोटे से छोटा देश तक अपने विवादों के समाधान की उम्मीद लिए संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा इसलिए खटखटाता है कि उसे पता है कि इस संस्था का बुनियादी मकसद ही विश्व शांति के लिए काम करना है। दुनिया के देशों में कानूनी विवाद सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, तो यूनिसेफ जैसी संस्था की अपनी बड़ी भूमिका है। ऐसे में अगर इन संस्थाओं के बजट में कटौती होती है तो इसका नुकसान बड़े देशों के बजाय छोटे मुल्कों को ज्यादा होगा। संयुक्त राष्ट्र के ज्यादातर शांति मिशन तीसरी दुनिया के देशों में या फिर पश्चिम एशिया के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे हैं। ऐसे में खर्च में कटौती का खमियाजा उन देशों के नागरिकों को ही उठाना पड़ेगा। अगर संयुक्त राष्ट्र को बचाए रखना है तो सदस्य देशों को अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठना होगा और योगदान के मसले पर राजनीति बंद करनी होगी।

# आतंक के खिलाफ

अफगानिस्तान में अमेरिकी सुरक्षा बलों के साथ लंबे समय से जारी अभियान में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन सच यह है कि आज भी वहां तालिबान को इतना कमजोर नहीं किया जा सका है कि आश्वस्त हुआ जा सके। हालांकि बड़े कद के आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें आने के बाद आतंकी समूहों के प्रभाव में थोड़ी कमी जरूर देखी जाती है। इस लिहाज से देखें तो वहां एक संयुक्त अभियान में अल कायदा के एक बड़े सरगना आसिम उमर को मार गिराए जाने को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा। दरअसल, पिछले महीने की तेईस तारीख को हेलमंद प्रांत के मूसा कला में अमेरिकी सुरक्षा बलों ने तालिबान के परिसर पर छापा मारा था। उसी अभियान के दौरान उमर मारा गया। वह अफगानिस्तान में भारतीय उपमहाद्वीप का प्रमुख था। यों अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय का कहना है कि वह पाकिस्तानी नागरिक था, लेकिन ऐसे दावे भी सामने आए हैं कि वह भारत में पैदा हुआ है। पर इतना तय है कि उसकी उपयोगिता को देखते हुए ही उसे इस समूचे इलाके का प्रमुख का दायित्व सौंपा गया होगा और निश्चित रूप से भारत में हुईं आतंकी हमलों में भी उसकी बड़ी भूमिका रही होगी।

करीब महीने भर पहले अमेरिकी खुफिया स्रोतों यह जानकारी सामने आई थी कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में अमेरिका के एक आतंकरोधी कार्रवाई के दौरान अल कायदा के सरगना रह चुके उसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की मौत हो गई। इसके साथ ही यह भी माना गया कि अब तालिबान का वह दौर खत्म हुआ, जिसमें वह खुद को सांकेतिक रूप से उसामा बिन लादेन के साथ जुड़ा हुआ मानता था। हमजा बिन लादेन के बाद अब आसिम उमर के मारे जाने की खबर के बाद न केवल तालिबान का बचा हुआ नेतृत्व कमजोर होगा, बल्कि उसकी गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन यह मान कर निश्चिंत हो जाना शायद तालिबान को फिर से तैयार होने का मौका मुहैया कराने की तरह होगा। इसलिए आतंक विरोधी कार्रवाई में एक निरंतरता की जरूरत होगी। सही है कि उसामा बिन लादेन को मार कर अमेरिका ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। तब माना गया था कि अब इस समूचे उपमहाद्वीप पर तालिबान का वर्चस्व और असर खत्म हो जाएगा और इसका समूची दुनिया पर असर पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि अब भी वहां तालिबान के कई ऐसे बड़े कद के आतंकी मौजूद हैं, जो उसकी कमान संभाल रहे हैं और अफगानिस्तान और वहां से इतर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं।

यह किसी से छिपा नहीं है कि चुनावों के पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में किस पैमाने का आतंक मचाया। अमूमन हर रोज दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबरें आती रहीं। इससे यही जाहिर होता है कि तालिबान या दूसरे आतंकवादी समूहों से लड़ाई के नाम पर अफगास्तिान में अमेरिकी सुरक्षा बलों के लंबे अभियान के बावजूद वहां आतंकवाद की जड़ों को बहुत कमजोर नहीं किया जा सका है। हाल में अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनावों के दौरान जितनी कम संख्या में लोग बाहर निकले, उससे साफ था कि आज भी वहां तालिबान का खौफ किस कदर हावी है। दरअसल, तालिबान ने इस बार फिर चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा की थी और लोगों को वोट न देने की हिदायत दी थी। सवाल है कि अफगानिस्तान में 'सब कुछ ठीक कर देने' के दावे के साथ अमेरिका और दूसरे देशों की ओर से सालों से चल रहा बहुस्तरीय अभियान आज भी वहां के आम लोगों के बीच सुरक्षा का भाव नहीं भर सका है तो इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है?

## कल्पमेधा

भलाई जितनी अधिक की जाती है,
उतनी ही अधिक फैलती है।
- मिल्टन

# बचाना होगा हिमखंडों को

प्रमोद भार्गव

**बढ़ते तापमान को रोकना आसान काम नहीं है, बावजूद इसके हम अपने हिमखंडों को टूटने और पिघलने से बचाने के उपाय औद्योगिक गतिविधियों को विराम देकर कर सकते हैं। पर्यटन के रूप में मानव समुदाय की जो आवाजाही बढ़ रही है, उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। इसके अलावा वाकई हम अपनी बर्फीली शिलाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारी ज्ञान परंपरा में हिमखंडों की सुरक्षा के जो उपाय उपलब्ध हैं, उन्हें भी महत्त्व देना होगा।**

दक्षिणी ध्रुव के बर्फीले अंटार्कटिका में हजारों साल से बर्फ के विशाल हिमखंड के रूप में मौजूद हिमखंड का एक भाग पिछले दिनों टूट गया। हिमखंड का टूटा हिस्सा इतना विशालकाय था कि इस पर दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद को बसाया जा सकता है। वैज्ञानिक इसके टूटने की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे। हालांकि हिमखंडों का टूटना कोई नई बात नहीं है। इनके टूटने और बनने का क्रम चलता रहता है। लेकिन पचास साल बाद किसी हिमखंड का इतना बड़ा हिस्सा पहली बार टूटा है। इसलिए इसे जलवायु परिवर्तन की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। यह भी इत्तेफाक है कि यह हिमखंड उस समय टूटा, जब संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण सम्मेलन कुछ दिन पहले ही संपन्न हुआ है। इसी सम्मेलन में स्वीडिश किशोरी ग्रेटा थुनबर्ग ने अपने पंद्रह साथियों के साथ पृथ्वी के बढ़ते तापमान को लेकर तीखा गुस्सा जताया था।

ऐसा माना जाता रहा है कि किसी भारी हिमखंड के टूटने की घटना के बाद ही धर्मग्रंथों में दर्ज महाप्रलय की घटना घटी थी। इस घटना को ज्यादातर लोग काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके चित्र या अन्य प्रमाण नहीं हैं। परंतु अब जो हिमखंड टूटा है, उसकी उपग्रह से ली गई तस्वीरें और वीडियो भी बना लिए गए हैं। टाइटैनिक जहाज भी ऐसे ही हिमखंड के टुकड़े से टकरा कर नष्ट हो गया था। ये घटनाएं चिंता का सबब बन रही हैं, जिन्हें प्रलय की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। भारत पहले से ही हिमालय के हिमखंडों के टूटने की घटनाओं से दो-चार हो रहा है। कुछ समय पहले ही गोमुख के विशाल हिमखंड का एक हिस्सा टूट कर भागीरथी यानी गंगा नदी के उद्गम स्थल पर गिरा था। इन टुकड़ों को गोमुख से अठारह किलोमीटर दूर भागीरथी के तेज प्रवाह में बहते देखा गया। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के वनाधिकारी ने इस हिमखंड के टुकड़ों के चित्रों से इसके टूटने की पुष्टि की थी। ग्लेशियर वैज्ञानिक इन घटना की पृष्ठभूमि में कम बर्फबारी होना बता रहे हैं। इस कम बर्फबारी की वजह धरती का बढ़ता तापमान बताया जा रहा है। इससे हिमखंडों में दरारें पड़ गई थीं और इनमें बरसाती पानी भर जाने से हिमखंड टूटने लग गए। अभी गोमुख हिमखंड का बायीं तरफ का एक हिस्सा टूटा है। उत्तराखंड के जंगलों में हर साल लगने वाली आग ने भी हिमखंडों को कमजोर करने का काम किया है। आग और धुएं से बर्फीली शिलाओं के ऊपर जमी कच्ची बर्फ तेजी से पिघलती चली गई। इस कारण दरारें भर नहीं पाईं। अब वैज्ञानिक यह आशंका भी जता रहे हैं कि धुएं से बना कार्बन यदि शिलाओं पर जमा रहा तो भविष्य में नई बर्फ जमना मुश्किल होगी। यदि कालांतर में धरती पर गर्मी इसी तरह बढ़ती रही और ग्लेशियर टूटते रहे तो इनका असर समुद्र का जलस्तर बढ़ने और नदियों के अस्तित्व पर पड़ना तय है। गरमाती पृथ्वी की वजह से हिमखंडों के टूटने का सिलसिला जारी रहा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे कई छोटे द्वीप और तटीय शहर डूब जाएंगे। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक यह निश्चित नहीं कर पाए हैं कि इन घटनाओं को प्राकृतिक माना जाए या जलवायु संकट का परिणाम माना जाए।

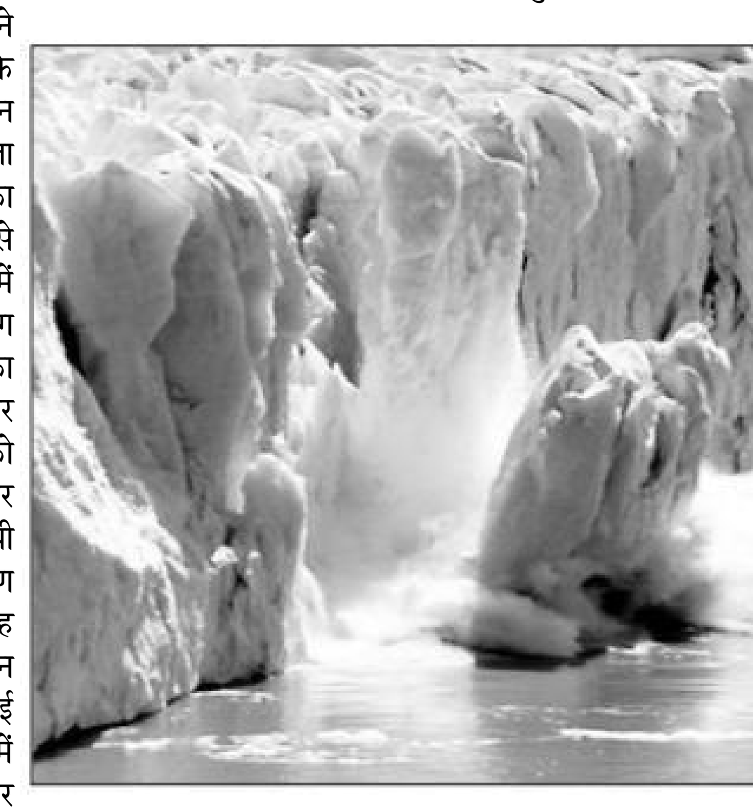

कुछ समय पहले आस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में बताया था कि बढ़ते तापमान से बढ़े समुद्र के जलस्तर ने प्रशांत महासागर के पांच द्वीपों को जलमग्न कर दिया है। इन द्वीपों पर मानव बस्तियां नहीं थीं। दुनिया के नक्शे से गायब हुए ये द्वीप थे- केल, रेपिता, कालातिना, झोलिम और रेहना। पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में यह सालोमन द्वीप समूह का हिस्सा थे। पिछले दो दशकों में इस क्षेत्र में समुद्र के जलस्तर में सालाना दस मिली की दर से बढ़ोत्तरी हो रही है। ग्रीनलैंड के पिघलते ग्लेशियर समुद्री जलस्तर को कुछ सालों के भीतर ही आधा मीटर तक बढ़ा सकते हैं।

शताब्दियों से प्राकृतिक रूप में हिमखंड पिघल कर नदियों की अविरल जलधारा बनते रहे हैं। लेकिन भूमंडलीकरण के बाद प्राकृतिक संपदा के दोहन पर आधारित जो औद्योगिक विकास हुआ है, उससे उत्सर्जित कार्बन ने इनके पिघलने की तीव्रता को बढ़ा दिया है। एक शताब्दी पूर्व भी हिमखंड पिघलते थे, लेकिन बर्फ गिरने के बाद इनका दायरा निरंतर बढ़ता रहता था। इसीलिए गंगा और यमुना जैसी नदियों का प्रवाह बना रहा। किंतु 1950 के दशक से ही इनका दायरा तीन से चार मीटर प्रति वर्ष घटना शुरू हो गया था। गंगोत्री के हिमखंड अब हर साल तेजी से पिघल रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति उत्तराखंड के पांच अन्य हिमखंडों- सतोपंथ, मिलाम, नीति, नंदादेवी और चोराबाड़ी की है। भारतीय हिमालय में कुल 9975 हिमखंड हैं। इनमें नौ सौ उत्तराखंड के क्षेत्र में आते हैं। इन हिमखंडों से ही ज्यादातर नदियां निकली हैं, जो देश की चालीस प्रतिशत आबादी को पेय, सिंचाई और आजीविका के अनेक संसाधन उपलब्ध कराती हैं। लेकिन हिमखंडों के पिघलने और टूटने का यही सिलसिला बना रहा तो देश के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वह इन नदियों से जीवन-यापन कर रही पचास करोड़ आबादी को रोजगार और आजीविका के वैकल्पिक संसाधन दे सके।

बढ़ते तापमान के कारण अंटार्कटिका का हिमखंड टूटा तो अब है, लेकिन इसके पिघलने और बर्फ के कम होने की खबरें निरंतर आ रही थीं। यूएस नेशनल एंड आइस डाटा सेंटर ने उपग्रह के जरिए जो चित्र हासिल किए हैं, उनसे ज्ञात हुआ है कि एक जून 2016 तक यहां एक करोड़ दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फ थी, जबकि 2015 में यहां औसतन एक करोड़ सत्ताईस लाख वर्ग किमी क्षेत्र में बर्फ थी। सोलह लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो समुद्री बर्फ कम हुई है, यह क्षेत्रफल ब्रिटेन को छह बार जोड़ने के बाद बनने वाले क्षेत्रफल के बराबर है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के इलाकों को आर्कटिक कहा जाता है। इस क्षेत्र में आर्कटिक महासागर, कनाडा का कुछ हिस्सा, डेनमार्क का ग्रीनलैंड, रूस का एक हिस्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का, आइसलैंड, नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड शामिल हैं। भारत से यह इलाका 9863 किलोमीटर दूर है। रूस के उत्तरी तटीय इलाकों में समुद्री बर्फ लुप्त हो रही है। इस क्षेत्र में समुद्री गर्मी निरंतर बढ़ने से अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ सालों में यह बर्फ भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

बढ़ते तापमान को रोकना आसान काम नहीं है, बावजूद इसके हम अपने हिमखंडों को टूटने और पिघलने से बचाने के उपाय औद्योगिक गतिविधियों को विराम देकर कर सकते हैं। पर्यटन के रूप में मानव समुदाय की जो आवाजाही बढ़ रही है, उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। इसके अलावा वाकई हम अपनी बर्फीली शिलाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारी ज्ञान परंपरा में हिमखंडों की सुरक्षा के जो उपाय उपलब्ध हैं, उन्हें भी महत्त्व देना होगा। हिमालय के शिखरों पर रहने वाले लोग आजादी के दो दशक बाद तक बरसात के समय छोटी-छोटी क्यारियां बना कर पानी रोक देते थे। तापमान शून्य से नीचे जाने पर यह पानी जम कर बर्फ बन जाता था। इसके बाद इस पानी के ऊपर नमक डाल कर जैविक कचरे से इसे ढक देते थे। इस प्रयोग से लंबे समय तक यह बर्फ जमी रहती थी और गर्मियों में इसी बर्फ से पेयजल की आपूती की होती थी। इस तकनीक को हम 'वाटर हार्वेस्टिंग' की तरह 'स्नो हार्वेस्टिंग' भी कह सकते हैं। हालांकि पृथ्वी के ध्रुवों में समुद्र के खारे पानी को बर्फ में बदलने की क्षमता प्राकृतिक रूप से होती है। बहरहाल, हिमखंडों के टूटने की घटनाओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है।

# कसौटी पर इंसानियत

आशा सागर

## दुनिया मेरे आगे

जो लोग अस्सी के दशक में पैदा हुए वे जानते समझते हैं कि कैसे एक छोटे-से काल में हमारी पूरी संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, मान्यताओं और चिर-परिचित वातावरण ने करवट बदल ली। जब हम अपनी बचपन की स्मृतियों में लौट कर जाते हैं तो वहां बहुत कुछ पाते हैं याद करने को। उन दिनों बीता हुआ हर दिन नया-सा था, अपने में बहुत कुछ संजोए हुए। उसमें खेल थे, रंग थे, रंगोली थी, पेड़ थे, पेड़ों की छांव थी। इमली, जंगल जलेबी, गूलर जैसे न जाने कितने फलदार पेड़-पौधे अब आधुनिकता की बलि चढ़ गए हैं। इन पेड़ों के साथ थी इनके फलों के तोड़े जाने की बहुत सारी कहानियां। या फिर कहानियां दादी और नानी की जो हर रात हमें सोने से पहले सुनने को मिलती थीं। तब बहुत सारे दोस्त होते थे, सचमुच वाले दोस्त, फेसबुक जैसे नहीं। वे हमें रोज मिलते थे। हम बहुत सारी बातें करते थे आमने-सामने बैठ कर, घंटों। तब हमें धूप नहीं चुभती थी और न ही बारिश में छाता लेकर जाने की आदत थी। 'सनस्क्रीन' जैसी किसी चीज के बारे में हम जानते तक नहीं थे। अपने पड़ोस के सब लोगों को जानते थे और वे सब हमें।

आज इतने सालों बाद जब हम अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि हर पल बीतता जीवन हर रोज लगभग एक जैसा ही हो गया है। नौकरी में आने से पहले नौकरी को लेकर एक अलग तरह की अवधारणा मन में होती है। नौकरी एक तमगा लगती है जो हमारे ज्ञान और हमारी क्षमता को जैसे 'प्रमाण-पत्र' देती है। वह हमें एक नया आयाम लगती है, जिससे हम अपनी क्षमताओं को एक नया रूप, नया आकार और नई ऊंचाई दे सकते हैं। मगर आज नौकरी के कोई आठ साल बीत जाने पर मैं यह कह सकती हूं कि वह कोई तमगा नहीं है, कोई उपलब्धि भी नहीं है। ये जीविकोपार्जन और हमारे द्वारा किए जाने वाले कुछ निश्चित क्रियाकलापों का लेखा-जोखा भर है।

इस नौकरी को और नीरस करता है वहां का वातावरण। इस वातावरण में ही जैसे कुछ अलग और अप्राकृतिक है जो वहां काम करने वालों को थोड़ा कम मानवीय बनाता है। वहां एक अलग तरह का दबाव-सा है- अदृश्य-सा, एक डर है- हमेशा पुकारे जाने का। शायद पुकारे जाने का भी नहीं, बल्कि उसके बाद कहे या सुने जाने वाले शब्दों का! शायद शब्दों का भी नहीं, बल्कि उन शब्दों को कहे जाने के लहजे का! क्या कोई भी काम, कोई भी लक्ष्य इतना जरूरी हो सकता है कि उसे करते हुए मानवीय संवेदनाओं की उपेक्षा को उचित ठहराया जा सके?

लोक प्रशासन का अध्ययन करते हुए हम अनेक सिद्धांत पढ़ते हैं जो उत्साह, सकारात्मकता, उत्पादन और कार्यक्षमता को बढ़ाने, संगठन को चलाने के न जाने कितने नियम हमें बताती है। इन सिद्धांतों को समय-समय पर कार्यशाला या सेमिनार के नाम पर हमारे आपके सामने परोसा जाता है, जहां बड़े-बड़े संवाद होते हैं, मीमांसा की जाती है, नए ढांचे बनते हैं और शुरू होती है एक नई कवायद। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ढांचा बदलने से नींव नहीं बदलती और न ही नींव में पड़ी दरार। काम करने वाले लोग वही रहते हैं।

लोग केवल हाड़-मांस का ढांचा भर नहीं हैं जो सिर्फ काली-पीली किताबों से मिले अपने ज्ञान के साथ किसी दफ्तर द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हैं। उसे पूरा करने से आगे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है- मानव बने रहने की जिम्मेदारी। ऊपर लोक प्रशासन के जिन सिद्धांतों की मैंने चर्चा की, उन सभी में यह अध्याय नहीं लिखा गया। काम करने की जगह सिर्फ कुछ जरूरी कहे जाने वाले कामों को पूरा करने के लिए नहीं होनी चाहिए और न ही ये केवल जीविकोपार्जन के लिए होनी चाहिए। यह एक ऐसी जगह होनी चाहिए, जहां हर व्यक्ति कल के मुकाबले आज ज्यादा भरा हुआ हो। भरा हुआ होना एक भारी और महत्त्वपूर्ण शब्द है। काम करने की जगह ऐसी हो, जहां उसकी क्षमताओं में वृद्धि हो; जो उसे एक खुले मैदान जैसी लगे, न कि चारदिवारी की कैद जैसी। वहां आत्मसम्मान मिले जहां जाकर वह खुश हो। जहां जाकर उसे लगे कि वह अपने सीखे हुए का सार्थक इस्तेमाल कर सकता है और उसके किए कामों को सिर्फ उसकी जिम्मेदारी मान कर अनदेखा नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि उसे उसका श्रेय भी मिलेगा।

दरअसल, हम इस पूरी व्यवस्था में कहीं उत्पीड़ित हैं तो कहीं उत्पीड़क भी। तो अगली बार अपने सहयोगियों और सहकर्मियों से मिलते हुए सबसे पहले मुस्कुराना और उनका हालचाल पूछना मत भूलिएगा। हम सबकी यह कोशिश शायद इस दुनिया को रहने लायक एक बेहतर जगह बना सके। हम मनुष्य एक लंबी यात्रा पर हैं जिसमें मशाल एक से दूसरे को देने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं।

## गहराता संकट

पश्चिम एशिया के देश सीरिया और गहरे संकट में फंस सकता है। अमेरिका ने एलान कर दिया है कि वह सीरिया से दो हजार अमेरिकी सैनिकों निकालेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी नहीं करा पाए तो उन्होंने अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए सीरिया से सैनिकों की वापसी का एलान कर डाला। जबकि उनके दल के ही सांसद ऐसा करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने पर कुर्द लड़ाकाओं के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इस्लामिक स्टेट से यही सगंठन अमेरिका के साथ मिल कर लड़ता रहा है। अमेरिका के हटते ही तुर्की की सेना इन पर हमला कर देगी, क्योंकि कुर्दों को तुर्की अपना दुश्मन मानता है। उधर, ईरान और रूस जो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को समर्थन दे रहे हैं, वे भी कुर्दिश लड़ाकुओं पर हमला कर देगें। इस तरह सीरियाई तानाशाह को और लंबे समय तक शासन करने का मौका मिल जाएगा। इस्लामिक स्टेट जैसे आंतकी गुट पहले से ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। ट्रंप का यह निर्णय सीरिया को और ज्यादा संकट में डालने वाला साबित होगा।

● *जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर, बिहार*

## अब कार्रवाई हो

भारत को लंबे इंतजार के बाद स्विट्जरलैंड सरकार से स्विस बैंक में खाता रखने वाले भारतीय खाताधारकों का ब्योरा मिला है। लेकिन यह कवायद देश के लिए तभी सार्थक हो पाएगी, जब स्विस बैंक में कालाधन जमा करवाने वाले भारतीय सफेदपोश लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दशकों से आम सुनने में आता रहा है कि भारत के बड़े-बड़े चेहरों ने अपना पैसा स्विस बैंक में जमा करवाया हुआ है, लेकिन अब हकीकत सामने आ गई है। केंद्र सरकार को चाहिए कि यदि कानूनी तौर पर संभव हो तो स्विस बैंक में पैसा रखने वाले भारतीय लोगों के नाम और उनके खाते में जमा राशि को सार्वजनिक करे और इस पैसे को देश में वापस लाकर गरीब लोगों की भलाई व विकास पर खर्च करे।

● *राजीव शर्मा, कोटकपूरा, पंजाब*

## संतुलन जरूरी

पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है। इस जरूरत की पूर्ति तभी होगी, जब बीच का रास्ता तलाशा जाएगा। पहले तो यह देखा जाए कि कम से कम पेड़ काटने पड़ें, फिर यह सुनिश्चित किया जाए कि जितने पड़े काटे जाएं, उससे कहीं अधिक न केवल लगाएं जाएं, बल्कि उनकी देखभाल भी की जाए। अगर यह जिद पकड़ी जाएगी कि चार पेड़ भी न कटने पाएं, भले ही विकास के काम न हों तो इससे बात नहीं बनेगी। यह ठीक नहीं कि विकास की कई योजनाएं पर्यावरण संबंधी सवालों से दो-चार होने के कारण अटकी पड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ की तो लागत भी बढ़ गई है। निश्चित रूप से विकास की चिंता करते समय पर्यावरण की भी चिंता करनी होगी, लेकिन केवल तभी नहीं जब किसी योजना-परियोजना की राह में कुछ वृक्ष आ रहे हों।

● *हेमन्त कुमार, गोराडीह, बिहार*

**किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश**

**आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com**

## आपदा की मार

इस बार पटना में भारी बारिश से कई घर पांच-छह फीट तक पानी में डूब गए। लगभग पूरे शहर का यही हाल था। इस बार बिहार में बारिश और बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष मानसून के दौरान हुई बारिश और बाढ़ से करीब दो हजार लोगों की मौत हुई और छियालीस लोग लापता है। बिहार में अब भी बाढ़ के हालात हैं। अभी बिहार में चुनाव नहीं है, इसलिए सरकार को भय भी नहीं अपनी सत्ता के खोने का। यदि चुनाव होते तो भय भी होता और तब सरकार सत्ता बचाने के लिए विचार-विमर्श जरूर करती।

● *अनुज यादव, दिल्ली विवि*

## कुदरत का कहर

देश में अगस्त और सिंतबर के महीने कुदरत ने हर राज्य में अपना कहर दिखाया, चाहे पंजाब हो, बिहार हो या कोई भी अन्य राज्य, सब पर आपदा ने अपना कहर बरपाया। इससे बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो गई और दूसरी तरफ महंगाई भी शीर्ष पर पहुंच गई और इसी आपदा के कारण प्याज भी मंहगा हो गया। परंतु सरकार ने वक्त रहते कदम नहीं उठाए, इसी के कारण देश को निर्यात तक रोकना पड़ा। सरकार चाहती तो इस पर पहले कदम उठा सकती थी। जो व्यापारी इस प्रकार के समय में कम दाम में चीजें खरीद कर महंगे में बेचते हैं, सरकार को ऐसे समय में इस पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि इसी के कारण असल महंगाई शुरू होती है। दूसरा, किसी भी आपदा से बचने के लिए सरकार के पास ठोस व कारगर समाधान होने चाहिए ताकि इस प्रकार के समय में न ही किसानों को तंगी हो और न ही आमजन को और न ही हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़े क्योकि इस आपदा और प्याज की कमी के कारण भारत ने इस का निर्यात रोक दिया और भारत में ही सबसे अधिक प्याज की फसल उगाई जाती है जिससे निसंदेह हमारे देश को घाटा हुआ है।

● *जानवी बिट्ठल, जलंधर*

## बेटों की तस्करी!

दिल्ली की एक आइवीएफ क्लीनिक पर छापा क्या पड़ा, देश का क्रूर चेहरा सामने आ गया। दिन के उजाले में सरकार की नाक के नीचे बेटों की तस्करी का धंधा फलता-फूलता रहा। भारत में भ्रूण परीक्षण कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है। लिहाजा क्लिनिक के कॉल सेंटर ने गुपचुप भ्रूण परीक्षण की सुपारी ली और बदले में दिए दुबई के टिकट। ऑनलाइन साइट से खुल्लम-खुल्ला लुका-छिपी का खेल खेला गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। निश्चित रूप से बेटों की चाहत में गैरकानूनी और महंगे धंधे में देश के धनाढ्य लोगों का हाथ होना तय है। इस देश में अपराधियों का एनकाउंटर तो हो जाता है, मगर सफेदपोशों की पहचान तक मुमकिन नहीं होती। ऐसे गोरखधंधे में शामिल अस्पतालों और लाभार्थियों की तुरंत धर-पकड़ की जानी चाहिए, ताकि बेटियों के साथ होते अन्याय पर अंकुश लग सके।

● *एमके मिश्रा, रातू*

## इंटीरियर डिजाइनर के जरूरी है फर्नीचर डिजाइनिंग की जानकारी

इंटीरियर डिजाइनर बिना फर्नीचर डिजाइन की जानकारी काम नहीं कर सकता है। दूसरी ओर, फर्नीचर डिजाइनर आराम से इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम कर सकता है। फर्नीचर डिजाइनर को डोर फ्रेम, अलमारियां, मिश्रित मोल्डिंग, ट्रिम आदि बनाना आना चाहिए। फर्नीचर डिजाइनर घर के हर कोने के हिसाब से नए तरह का फर्नीचर डिजाइन कर सकता है जिससे घर में चार चांद लग जाते हैं।

## सूचनापट्ट

### दाखिले

*इग्नू, दिल्ली*

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के आयुर्विज्ञान स्कूल के तहत चलने वाले बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में दाखिले प्रवेश परीक्षा के आधार पर होंगे। यह परीक्षा 9 नवंबर को होगी। इसके लिए आवेदन और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। प्रवेश विवरणिका इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्षेत्रीय कार्यालयों से भी इसे खरीदा जा सकता है।

**अंतिम तिथि : 10 अक्तूबर, 2019**

*मद्रास विवि, चेन्नई*

मद्रास विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन विभाग ने एमएल डिग्री पाठ्यक्रम दाखिले के लिए आवेदन मांगे हैं। गैर सेमेस्टर पाठ्यक्रम की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में कराई जाएगी। इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए तीन या पांच साल की एलएलबी की डिग्री होना अनिवार्य है। आवेदन फॉर्म डाक के माध्यम से मंगाए या विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउननोड किया जा सकता है। डाक से आवेदन फॉर्म मंगाने के लिए 250 रुपए का मांग पत्र, जो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के नाम पर हो, भेजना होगा।

**अंतिम तिथि : 15 अक्तूबर, 2019**

### प्रवेश परीक्षा

*जेईई-मेन*

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई-मेन) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। जेईई-मेन 6 से 11 जनवरी 2020 के बीच होगी। परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) कराती है। बीटेक और बीई के लिए परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। बीआर्क पाठ्यक्रम में तीन पेपर होंगे। पहला पेपर गणित और दूसरा पेपर एप्टीट्यूट का कंप्यूटर आधारित होगा जबकि तीसरा पेपर ड्राइंग का होगा जो कलम-कागज आधारित होगा। बी प्लानिंग के लिए होने वाले तीनों पेपर कंप्यूटर आधारित ही होंगे। किसी एक पाठ्यक्रम में दाखिले की परीक्षा के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्लूएस उम्मीदवारों को 650 रुपए और एससी, एसटी, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 325 रुपए को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। किन्हीं दो पाठ्यक्रमों में दाखिले के परीक्षा के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्लूएस उम्मीदवारों को 1300 रुपए और एससी, एसटी, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 650 रुपए को ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

**अंतिम तिथि : 10 अक्तूबर, 2019**

### योग्यता परीक्षा

*सीएसआइआर-यूजीसी नेट*

कनिष्ठ शोधार्थियों (जेआरएफ) और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर)- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) का आयोजन 15 दिसंबर को होगा। इस परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) कराएगी। दो पालियों में होने वाली इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए देश भर में 224 केंद्रों स्थापित किए जाएंगे। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य और सामान्य ईडब्लूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपए, नॉन क्रीमीलेयर के ओबीसी को 500 रुपए और एससी, एसटी व दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपए का भुगतान करना होगा।

**अंतिम तिथि : 10 अक्तूबर, 2019**

*यूजीसी नेट*

कनिष्ठ शोधार्थियों (जेआरएफ) और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) 2 से 6 दिसंबर तक होगी। परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) कराएगी। दो पालियों में इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए देश भर में 224 केंद्रों स्थापित किए जाएंगे। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य और सामान्य ईडब्लूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपए, नॉन क्रीमीलेयर के ओबीसी को 500 रुपए और एससी, एसटी व दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपए का भुगतान करना होगा।

**अंतिम तिथि : 10 अक्तूबर, 2019**

# थाली में बटोरतीं सेहत

मीना

**ल**हलहाते खेत, खिलखिलाते फूल और भुरभुरी मिट्टी की खुशबू देखकर कोई भी किसान सुकून की सांस लेगा। खेती के लिए जमीन की सेहत बनी रहे इसके लिए आज की महिलाएं जैविक खेती में लगी हैं। कीटनाशक और जहरीले उर्वरकों का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म होने के डर से एक बार फिर महिलाएं खेती की उसी परंपरा की ओर लौट रही हैं जो उनकी पहले की पीढ़ी करती थी। एक बार फिर हम पत्तों की पत्तल, मिट्टी का कुल्हड़, जौ, बाजरा, मक्का जैसा मोटा अनाज और स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत होते हुए सेहतमंद भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। अब महिलाएं हमारी थाली की सेहत बनाए रखने के लिए जैविक खेती में जुटी हैं।

## दादा-परदादा की परंपरा को अपनाया

'आज से पांच साल पहले जब मैंने धान की रोपाई की थी तब जमीन में पानी होने के बाद भी पांव जमीन में नहीं धंसते थे लेकिन जैविक खेती करने के बाद हमारे पांव धंस जाते हैं, अब मेरी जमीन नरम हो गई है।' एक एकड़ जमीन में खेती करने वाली मध्य प्रदेश की सरिता बताती हैं कि अब मेरी जमीन वैसी है जैसी मेरे दादा-परदादा रखते थे। सरिता बताती हैं कि उन्हें जैविक खेती का प्रशिक्षण एक संस्था से मिला। वे बताती हैं कि लोगों को लगता है कि जैविक खेती अधिक महंगी है लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें उतना ही खर्च अपनी दवाओं पर करना पड़ता है। इसके अलावा उस खेती के लिए जो रसायन डाले जाते हैं वो भी महंगे होते हैं। तो किसान को कुछ बचता नहीं। ऐसे में जैविक खेती में जो सामग्री प्रयोग की जाती है वह हमारे आसपास के जंगल से मिल जाती है। इस खेती में पांच प्रकार के पत्तों का प्रयोग करते हैं जिससे फसल को जानवर नहीं खाते और पैदावार भी अच्छी होती है। यह खेती हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। वे बताती हैं कि रासायनिक खेती में अगर रसायन थोड़ा ज्यादा हो जाए तो फसल पीली पड़ जाती है लेकिन अगर जैविक खेती में ऐसा होता है तो उससे फसल बरबाद नहीं होती। सरिता कहती हैं कि जैविक खेती की मार्केटिंग उतनी मजबूत नहीं है जितनी रासायनिक खेती की। यही वजह है कि इसके बारे में ज्यादा किसान नहीं जानते।

सरिता बताती हैं कि खेती का ज्यादातर काम जैसे रोपाई, कटाई, बिंदाई आदि महिलाएं करती हैं। लेकिन उनको समाज किसान नहीं मानता। गांव के स्तर पर जो मुखिया माना जाता है वो पुरुष होता है। क्योंकि जिसके नाम पर पट्टा होता है वही किसान माना जाता है। जिन महिलाओं के नाम जमीन होती है वे या तो तो विधवा होती हैं या भाई नहीं रहा तो बहन को दी जाती है। सरकार ने महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री सस्ती रखी है तो गांव में कुछ महिलाओं के नाम पर जमीन है लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम है।

महिला किसान

## पीढ़ी को बचाने के लिए जैविक खेती

राजस्थान में कृषि और पशुपालन के काम में लगीं हेमलता रावत कहती हैं कि जैविक खेती करने के लिए पर्यावरण के पूरे तंत्र को शामिल करना पड़ता है। लोग आजकल पशु पालते नहीं हैं। इस वजह से इसका चक्र पूरा चल नहीं पाता। पहले पशुओं से मिले गोबर की खाद बनती थी। फिर वो खेतों में जाती थी। तब उसका उत्पादन होता था। अब पशुपालन से लोग हट गए हैं इस वजह से जैविक खाद उनके पास होती नहीं है। और उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है। इस वजह से लोग इसे कम करना पंसद करते हैं लेकिन जो पीढ़ी आ रही है उसको जब खेती से मुनाफा होता नहीं है तो वे दूसरे कामों की ओर चले जाते हैं।

वे कहती हैं कि अब यह भी देखा जा रहा है कि उच्च वर्ग के लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो रहे हैं। वो जैविक खेती से बनी सामग्री को खरीद सकते हैं लेकिन जो गरीब किसान है उसको जैविक खेती में उतना फायदा नहीं मिल पाता इस वजह से रासायनिक खेती करता है, लेकिन जिस दिन किसान जैविक खेती को लेकर जागरुक हो जाएगा, तो वह धीरे-धीरे अपनी पुरानी खेती की व्यवस्था की ओर लौटने लगेंगे। वे कहती हैं कि हमें जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को और अधिक नुकसान झेलना पड़ेगा।

## 'पशु चाट' से पशु होते हैं स्वस्थ

बिहार के नवादा की कारी देवी जैविक खेती के लिए बकरी पालन भी करती हैं। वे कहती हैं कि पहले मेरी बकरियां स्वस्थ नहीं रहती थीं लेकिन जैविक खाद्य की वजह से वे अब ठीक रहती हैं। पहले बकरियों को खाना और आवास ठीक नहीं मिलता था लेकिन अब बकरी के मुंह पर सूजन, आंख-नाक से पानी गिरने के लिए हम लोगों ने पशु चाट बनाई है। जिससे वे ठीक रहती हैं। जैविक खेती से जो घास बचती है वही घास बकरियों का खाना बनती है। इससे उनका स्वास्थ्य और भी ठीक रहता है।

## घर पर बनाती हैं खाद

जैविक खेती करने वाली महिलाओं ने उस धारणा को भी तोड़ा है जिसमें यह कहा जाता था कि महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं। बिहार के नवादा जिले की रंजू देवी तीन साल से जैविक खेती कर रही हैं। वे बताती हैं कि जैविक खेती के लिए जो खाद बनाई जाती है उसमें मैं सात किलो मुर्गी का मल, दो किलो चुल्हे की राख, एक किलो सरसों की खल्ली डालकर पानी डालती हूं फिर उसको हलुआ की तरह बना लेती हूं। जब उसमें कीड़ा पड़ जाता है तब वह खाद बन जाती है। फिर पौधों की जड़ों पर डाल देते हैं। ये डीएपी का काम करता है। वे बताती हैं कि पढ़े लिखे लोग केवल कॉपी में हिसाब लिखते रह जाते हैं लेकिन अनपढ़ ने अगर कोई हिसाब दिमाग में बैठा लिया तो भूलते नहीं हैं।

वे कहती हैं कि पहले खेतों में डीएपी डालते थे जिससे तरह-तरह की बीमारी फैलती थी। लेकिन जैविक खेती करने पर ऐसा नहीं होता है। रंजू कहती हैं कि जैविक खेती करने से मेरे खेत में तितली, मधुमक्खी आदि भी खूब आते हैं, जिससे मेरे खेतों की खूबसूरती बढ़ गई है।

## इन उपायों को अपनाकर तनाव को भगाएं दूर

परामर्श

**प**ढ़ाई, करिअर से लेकर व्यक्तिगत विकास और परिवार को समय देने से लेकर दफ्तर के काम को सही समय पर पूरा करने तक हमें प्रतिदिन तनाव का शिकार बना रहे हैं। तनाव को कम करने के सही और कारगर तरीके नहीं अपनाने की से यह हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। इसकी वजह से विशेषकर दफ्तर में काम करने वाले लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें आंखों का खिंचाव, अनिद्रा, कमर दर्द आदि शामिल है। आज हम तनाव को दूर भागने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं।

**सांसों पर ध्यान देना :** याद कीजिए आखिरी बार आपने आपनी सांसों पर कब ध्यान दिया था। शायद आपको याद नहीं आएगा क्योंकि आज की भागदौड़ से भरी जिंदगी में हमारे पास इसके लिए समय ही नहीं है। जबकि इस बात को सभी जानते हैं कि सांसें कितनी महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए जब भी आप तनाव में आएं, सबसे पहले लंबी सांस अपने फेफड़ों में भरें और धीरे-धीरे उसे छोड़ें। इस प्रक्रिया के दौरान पूरा ध्यान सांस के नाक में अंदर जाने और बाहर आने पर केंद्रित रखें। आप पाएंगे कि धीरे-धीरे आप तनाव से बाहर आ रहे हैं।

**विचारों को लिखना :** तनाव को दूर करने के लिए काफी लोग लेखन का सहारा लेते हैं। तनाव के समय आपके मन-मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, उसे कागज पर उतारने की कोशिश करें। इससे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। बाद में जब भी आप उस कागज को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उस समय तनाव की कोई खास वजह नहीं थी। यानी उस स्थिति में बिना तनाव लिए भी काम किया जा सकता था।

**व्यायाम :** व्यायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम न सिर्फ अपनी ऊर्जा को अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में उपयोग करते हैं बल्कि इससे हम तनाव से भी ध्यान हटा पाते हैं। व्यायाम करते समय शरीर कई प्रकार के हार्मोन का रिसाव करता है जो प्राकृतिक रूप से दर्दनिवारक होते हैं। इतना ही नहीं व्यायाम से अनिद्रा जैसी स्थिति से भी छुटकारा मिल जाता है।

**ध्यान करना :** हमारे मस्तिष्क से ही हमें तनाव होता है। ध्यान से मस्तिष्क को शांत किया जा सकता है। आप कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ समय के लिए आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा मोबाइल ऐप का भी सहारा लिया जा सकता है।

**सुबह की दिनचर्या को सरल बनाएं :** दिन की शुरुआत का असर पूरे दिन रहता है। इसलिए सुबह की दिनचर्या को जितना सरल बना सकते हैं, बनाएं। कोशिश करें कि सुबह कोई बैठक या ऐसे काम नहीं करें जिससे तनाव होने या बढ़ने की आशंका हो। सुबह शुरू हुआ तनाव पूरे दिन परेशान करता है।

**परिवार के लिए समय निकालें :** अकसर लोग तनाव की स्थिति में अपने परिवार से ही दूर भागने लगते हैं। यह सही नहीं है। परिवार के लोग ही हैं जो हमें हर स्थिति में संभालने के लिए आगे आते हैं। इसलिए परिवार के लिए जरूर समय निकालें। उनके साथ बाहर घूमने जाएं। कुछ मौज-मस्ती करें। इस तरह से तनाव खुद-ब-खुद भाग जाएगा।

युवा शक्ति डेस्क

# फर्नीचर डिजाइनिंग में भी बेहतर मौके

सुशील राघव

**फ**र्नीचर उद्योग में वृद्धि अन्य उद्योगों से ज्यादा है और यह 15 फीसद से भी अधिक है। फर्नीचर उद्योग अपने उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा निर्यात करता है। यही वजह है कि बढ़ई कौशल या फर्नीचर डिजाइनर की मांग अच्छी है। इतना ही नहीं भारत में तेज गति से होता विकास और बड़ी संख्या में बनते घर और दफ्तर भी फर्नीचर डिजाइनरों के लिए बेहतर मौका लेकर आए हैं। इस क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की बहुत कमी रही है लेकिन अब कुछ नए पाठ्यक्रमों के आने से धीरे-धीरे प्रशिक्षितों की संख्या बढ़ी है। फर्नीचर डिजाइन के पाठ्यक्रम को करने के बाद व्यक्ति प्रबंधन स्तर तक की नौकरी भी पा सकता है। इतना ही नहीं इस पाठ्यक्रम के बाद अपना व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है।

### योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय से बारहवीं पास करने वाले विद्यार्थियों को इंटीरियर या फर्नीचर डिजाइन के बीडेस या बीवोक पाठ्यक्रम में दाखिला मिल सकता है। इतना ही नहीं बीवोक में कक्षा दस के बाद डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों को भी दाखिला दिया जाता है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम यानी एमवोक या एमडेस करने के लिए विद्यार्थी के पास संबंधित विषय में स्नातक डिग्री का होना जरूरी है।

### पाठ्यक्रम

- बीडेस (इंटीरियर डिजाइन)
- बीडेस (इंटीरियर डिजाइन एंड फर्नीचर डिजाइन)
- बीवोक (बढ़ई कौशल)
- बीवोक (फर्नीचर डिजाइन)
- बीवोक (इंटीरियर डिजाइन)
- एमडेस (इंटीरियर डिजाइन)
- एमवोक (बढ़ई कौशल)
- एमवोक (इंटीरियर डिजाइन)
- एमवोक (फर्नीचर डिजाइन)
- बीएससी (इंटीरियर डिजाइन)
- सर्टिफिकेट (वुडन फर्नीचर डिजाइन)

### आवश्यक कौशल

- रचनात्मक और व्यावहारिक कौशल
- उत्कृष्ट ड्राइंग कौशल
- कंप्यूटर डिजाइन सॉफ्टवेयर की जानकारी
- प्रस्तुति कौशल

अवसर

### इन पदों पर मिलेगी नौकरी

**फर्नीचर डिजाइनर :** छोटी जगह में बनते घरों और दफ्तरों की वजह से फर्नीचर डिजाइनरों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोगों की ओर से लगातार ऐसे फर्नीचर की मांग बढ़ रही है जिससे एक साथ कई कार्यों को पूरा किया जा सकता हो। जैसे जरूरत पड़ने पर किसी सोफे का बेड बनाया जा सके और फिर से सोफा बना दिया जाए। ऐसे अलग तरह के फर्नीचर बनाने का कार्य फर्नीचर डिजाइनरों का होता है।

**उत्पाद अन्वेषक :** फर्नीचर के लिए नई सामग्री को कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है? कैसे फर्नीचर को अधिक दिनों तक चलने वाला बनाया जा सकता है और कैसे उन्हें अत्याधिक किया जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ उत्पाद अन्वेषक के पास हो सकता है। फर्नीचर बाजार में इनकी बहुत आवश्यकता है।

**फर्नीचर संरक्षक :** प्राचीन समय के फर्नीचर को संरक्षित करने के लिए फर्नीचर संरक्षकों की जरूरत होती है। ये अपने ज्ञान, नई तकनीक और कौशल के माध्यम से पुराने फर्नीचर को न सिर्फ संरक्षित करते हैं बल्कि उसे उपयोग करने लायक भी बनाते हैं। संग्रहालयों, विश्वविद्यालयों आदि में इस पद पर नियुक्ति मिलती है। यहां वे पुराने फर्नीचर को संरक्षित करते हैं।

### वेतन

फर्नीचर डिजाइनर को शुरुआती तौर पर 15 से 20 हजार रुपए महीने मिल सकते हैं। अनुभव बढ़ने के साथ ही फर्नीचर डिजाइनर का वेतन भी बढ़ता जाता है और यह 40 हजार से लेकर एक लाख रुपए महीने तक भी हो सकता है। फर्नीचर बनाने वाली निजी कंपनियां अच्छा वेतन देती हैं। अपना व्यवसाय कर लाखों कमा सकते हैं।

### प्रमुख संस्थान

- वाईएमसीए, दिल्ली
- मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
- कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
- भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, जयपुर
- एनआइआइटी स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन एंड इंटीरियर डिजाइन, बंगलुरु
- एपीजे डिजाइन संस्थान, दिल्ली
- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अमदाबाद
- एमआइटी डिजान संस्थान, पुणे

### बढ़ई कौशल में भी पीएचडी

हमारे देश में बढ़ई के पेशे को वो आयाम नहीं मिला है, जिसका वो हकदार है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय कौशल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ने बढ़ई कौशल में पीएचडी कराने की शुरुआत की है। बीएसडीयू के कुलपति डॉक्टर सुरजीत सिंह पाबला के मुताबिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते दायरे, लोगों की बढ़ती जीवन शैली और बढ़ई कौशल में कुछ नया हासिल करने कि कोशिश देश को नई उचाइयों तक ले लाएंगे। उन्होंने बताया कि उनके यहां से उम्मीदवार बीवोक, एमवोक के बाद पीएचडी पाठ्यक्रम भी कर सकता है। इस पाठ्यक्रम की वजह से बढ़ई कौशल से लेकर फर्नीचर डिजाइनिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेंगे।

# रेडियो व टेलीविजन में विदेशी प्रसारकों से समझौता मंजूर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को बुधवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को पूर्व-प्रभाव से मंजूरी दी गई।

सरकारी बयान के अनुसार, विदेशी प्रसारकों के साथ समझौते से सार्वजनिक प्रसारक को नए दृष्टिकोण तलाशने, नई प्रौद्योगिकियों और कड़ी प्रतियोगिता से जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिए नई रणनीतियां बनाने, समाचार माध्यम के उदारीकरण और वैश्वीकरण में मदद मिलेगी। इसके तहत परस्पर आदान-प्रदान, सह-उत्पादक के माध्यम से तैयार किए गए कार्यक्रमों के प्रसारण से दूरदर्शन और आकाशवाणी के दर्शकों/श्रोताओं के बीच समता और समावेशन का वातावरण तैयार होगा। तकनीकी जानकारी, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और कामगारों के प्रशिक्षण से सार्वजनिक प्रसारकों को प्रसारण के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

● जावडेकर ने बताया कि सभी मानकों पर भारत ने एक तरह से आरोग्य सुविधाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति की है। माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी दर्ज की गई है और वर्तमान दर से यह गिरावट जारी रही तो भारत एसडीजी लक्ष्य को तय समय से काफी पहले हासिल कर लेगा।

भारत द्वारा आरोग्य सुविधाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति करने का दावा करते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को कहा कि सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के तहत 2030 तक कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य था। हम इससे पहले ही लक्ष्य हासिल करने जा रहे हैं। बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की प्रगति व मिशन के अधिकृत कार्यकारी समिति (ईपीसी) व मिशन संचालन समूह (एमएसजी) के निर्णयों से अवगत कराया गया। सरकार ने आरोग्य सुविधाओं में हाल के समय में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

जावडेकर ने बताया कि सभी मानकों पर भारत ने एक तरह से आरोग्य सुविधाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति की है। माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी दर्ज की गई है और वर्तमान दर से यह गिरावट जारी रही तो भारत एसडीजी लक्ष्य को तय समय से काफी पहले हासिल कर लेगा। दुनिया में मलेरिया से निपटने का भारत का प्रयास सफलता की बड़ी कहानी है और इसके कारण होने वाली मौत के मामलों में काफी कमी आई है। संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम को काफी मजबूत बनाया गया है। शिशुओं के लिए पोषण अभियान को आगे बढ़ाया गया है।

जावडेकर ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत 31 लाख से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज किया गया है और 3.5 करोड़ परिवारों को कार्ड मिला है। इसमें केवल दो राज्य पश्चिम बंगाल व दिल्ली ने सहभागिता नहीं की। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) को काफी मजबूत और सघन किया गया है। सभी जिलों में कुल 1,180 सीबीएनएटी मशीनें लगाई गई हैं। जो दवा प्रतिरोधी टीबी सहित टीबी के लिए तेजी से और सटीक निदान प्रदान करती हैं। इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में सीबीएनएटी का तीन गुना अधिक इस्तेमाल हुआ है। एक वर्ष में नए मामलों की पहचान में 16% वृद्धि हुई है।

इसमें कहा गया है कि 2018-19 के दौरान आशा, एमपीएचडब्लू, स्टाफ नर्स और पीएचसी-एमओ सहित कुल 1, 81,267 स्वास्थ्य कर्मियों को एनसीडी पर प्रशिक्षित किया गया। राज्यों ने एचडब्लूसी के संचालन के लिए गतिविधियां शुरू की हैं। नए टीकों के बीच, टेटनस और व्यस्क डिप्थीरिया (टीडी) वैक्सीन ने टेटनस टॉक्साइड (टीटी) वैक्सीन की जगह ले ली ताकि 2018 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वयस्कों में डिप्थीरिया प्रतिरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। 2018 में 17 अतिरिक्त राज्यों में मीजल्स-रूबेला (एमआर) टीकाकरण अभियान चलाया गया। जिसमें मार्च 2019 तक 30.50 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया। आशा कार्यकर्ताओं की दिनचर्या और आवर्ती प्रोत्साहन 1000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। आशा और आशा सुविधा प्रदाताओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (भारत सरकार द्वारा 330 रुपए का प्रीमियम) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा (भारत सरकार द्वारा समर्थित 12 रुपए का प्रीमियम) सुविधा प्रदान की गई।

# कांग्रेस ने तैयार की लोकलुभावन वादों की फेहरिस्त

## ग्यारह को जारी होगा कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

हरियाणा में फिर से अपनी हुकूमत कायम करने का दम भर रही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोकलुभावन वायदों की पूरी फेहरिस्त तैयार की है। इसके तहत सूबे के किसानों, महिलाओं, युवाओं, दुकानदारों सहित हर वर्ग को रिझाने का प्रयास किया गया है। पार्टी अपने चुनाव घोषणापत्र में प्रदेश के लाखों किसानों को मुफ्त बिजली देने और उनका कर्ज माफ करने की घोषणा कर सकती है। इसी प्रकार वह प्रदेश की महिलाओं के लिए सालों भर मुफ्त बस यात्रा राज्य सरकार की नौकरियों में सूबे के युवाओं के लिए 50 फीसद आरक्षण की व्यवस्था का वायदा भी कर सकती है।

सूत्रों ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 11 अक्तूबर को अपना घोषणापत्र जारी करेगी। उनकी मानें तो पार्टी दो एकड़ तक जोत वाले किसानों को बिल्कुल मुफ्त बिजली देने तथा प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा अपने चुनाव घोषणापत्र में कर सकती है। इसी प्रकार बेरोजगारी से परेशान सूबे के युवाओं के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 50 फीसद सीटें आरक्षित करने का वायदा भी कांग्रेस कर सकती है। पार्टी ने 58 साल तक के पुरुषों और 55 साल तक की महिलाओं को बुजुर्ग पेंशन के तौर पर प्रतिमाह 5100 रुपए देने संबंधी वादे को भी अपने घोषणापत्र का हिस्सा बनाया है।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस हरियाणा सड़क परिवहन की बसों में सालों भर महिलाओं को मुफ्त यात्रा उपलब्ध कराने की पेशकश भी करने जा रही है। इसके अलावा पार्टी राज्य के छोटे व मझोले किसानों को राहत देने के लिए पार्टी ने वस्तु सेवा कर (जीएसटी) की शर्तों में बदलाव करने का वायदा भी कर सकती है। इसी प्रकार मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर किए गए भारी भरकम जुर्माने की रकम को घटाने का वादा भी कांग्रेस अपने चुनाव घोषणापत्र में करने की तैयारी में है।

कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों अपनी चर्चित रोहतक रैली में यह कहा था कि यदि दिल्ली की सरकार अपने यहां महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का विकल्प दे सकती है तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं दे सकती। उन्होंने तभी यह वादा किया था कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को यह सुविधा दी जाएगी।

# पुलिस को नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए काम करना चाहिए : मोदी

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पुलिस को नागरिकों के दृष्टिकोण को समझना चाहिए और बल को नागरिकों के अनुकूल और स्वीकार्य बनाने के लिए काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को 2018 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों से मुलाकात के दौरान ये बातें कहीं।

प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों को राष्ट्र की बेहतरी के लिए समर्पण के साथ-साथ अथक रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, मोदी ने अधिकारियों से अपने दिन-प्रतिदिन के काम में सेवा भाव और समर्पण को शामिल करने के लिए कहा।

उन्होंने पुलिस बल को आम नागरिकों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया और कहा, 'प्रत्येक अधिकारी को पुलिस बल के बारे में नागरिकों के दृष्टिकोण को समझना चाहिए और पुलिस बल को नागरिकों के अनुकूल और स्वीकार्य बनाने के लिए काम करना चाहिए।' प्रधानमंत्री ने कहा कि अपराध की रोकथाम के बारे में पुलिस की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने आधुनिक पुलिस बल के सृजन में प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला।

मोदी ने आकांक्षी जिलों को सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए पुलिस की भूमिका के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने 2018 बैच में बड़ी संख्या में महिला पर्यवेक्षाधीन के शामिल होने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं की अधिक संख्या से पुलिस व्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में भी काफी सहयोग मिलेगा।

अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से अपने ऊपर विश्वास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आधिकारिक प्रशिक्षण के साथ-साथ आत्मविश्वास और निहित ताकत से उन्हें दिन-प्रतिदिन की चुनौतियों से निपटने में सहायता मिलेगी।

## आवाज के नमूने देने के बाद जिला कारागार लाए गए चिन्मयानंद और पीड़िता

पेज 3 का बाकी

होटलों में रुकने एवं भोजन आदि को लेकर भी चर्चा की गई थी। समझा जाता है कि इसी आवाज के परीक्षण के लिए पुलिस इन्हें लेकर लखनऊ गई। एसआइटी ने बताया था कि चिन्मयानंद ने पीड़िता से जनवरी से अब तक 200 बार बात की है। पीड़िता ने स्वामी की कॉल रिकॉर्डिंग भी एसआइटी को सौंपी है। इसीलिए स्वामी चिन्मयानंद की आवाज का परीक्षण कराना अहम साक्ष्य है। चिन्मयानंद मामले में एसआइटी को 22 अक्तूबर को रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष पीठ के सामने पेश करनी है।

## जिनपिंग-मोदी द्विपक्षीय विकास पर चर्चा करेंगे

पेज 3 का बाकी

राष्ट्रपति का कोई सवाल हुआ तो मोदी उन्हें जानकारी देंगे सूत्रों ने कहा कि दक्षिण भारत के इस प्राचीन तटीय शहर में यह शिखर वार्ता चीन के अमेरिका के साथ कारोबारी संबंधों में बढ़ती दरार की पृष्ठभूमि मेंहोगी। दोनों नेता व्यापार और कारोबारी संबंधों के विस्तार के तरीकों पर बात कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बातचीत में राजनीतिक संबंधों, व्यापार व करीब 3500 किलोमीटर लंबी चीन-भारत सीमा पर अमन चैन बनाए रखने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने बुधवार को घोषणा की कि शी और मोदी के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता चेन्नई के समीप प्राचीन तटीय शहर मामल्लपुरम में 11 और 12 अक्तूबर को होगी। इसके बाद शी 13 अक्तूबर को नेपाल की राजकीय यात्रा पर जाएंगे।

नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा कि आगामी अनौपचारिक शिखर सम्मेलन एक ऐसा अवसर होगा जब दोनों नेता द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के अत्यंत आवश्यक मुद्दों पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की धारणा थी कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के करीब दो महीने पहले लिए गए भारत के फैसले ने शिखर वार्ता की तैयारियों को प्रभावित किया। दोनों पक्षों ने चीनी नेता के चेन्नई पहुंचने से महज 50 घंटे पहले बुधवार को शी की भारत यात्रा की तारीख की घोषणा की ।

## आंतरिक मामले में टिप्पणी मंजूर नहीं

पेज 3 का बाकी

बदलावों के बावजूद चीन और पाकिस्तान के बीच मित्रता अटूट और चट्टान की तरह मजबूत है। सरकारी चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क (सीजीटीएन) की खबर के मुताबिक, 'राष्ट्रपति शी ने (खान को) भरोसा दिलाया है कि चीन कश्मीर में स्थिति की निगरानी कर रहा है।' चैनल ने शी को उद्धत करते हुए कहा, 'अपने वैध हितों की हिफाजत करने में पाकिस्तान का चीन समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि संबद्ध पक्ष शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए विवाद को हल कर सकते हैं।' चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने मंगलवार को कहा था कि कश्मीर मुद्दे का हल द्विपक्षीय तरीके से करना चाहिए। चैनल के अनुसार खान ने (कश्मीर में) हालात को और खराब होने और नियंत्रण में बाहर होने से रोकने के लिए और प्रयास किए जाने की अपील की'।

खान से मुलाकात के दौरान शी ने कहा कि पाकिस्तान को बेहतर बनाने और उसके तेज विकास में चीन वाकई मदद देना चाहता है। शिन्हुआ के मुताबिक शी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान में साझा समर्थन और सहायता की परंपरा है। उन्होंने कहा कि जब चीन परेशानी में था तब पाकिस्तान ने उसे निःस्वार्थ सहायता दी। अब चीन विकसित हो गया है, ऐसे में वह वास्तव में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है ताकि वह तेजी से विकास करे।

इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी प्रेस बयान के मुताबिक खान ने कश्मीर मुद्दे पर शी और चीन की सरकार द्वारा 'सिद्धांतों के अनुरूप रुख' अपनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। खान ने कहा कि चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया।हालांकि, चीन का यह रुख अनुच्छेद 370 पर भारत के कदम के बाद के हफ्तों में कश्मीर पर बेजिंग के रुख में अहम बदलाव का संकेत देता है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को भारत सरकार द्वारा पांच अगस्त को रद्द करने के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ने के बीच खान ने चीन यात्रा की है।

## कश्मीर में खुले कॉलेज, नहीं पहुंचे छात्र

पेज 3 का बाकी

बशीर खान ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि कश्मीर में तीन अक्तूबर को स्कूल और नौ अक्तूबर को कॉलेज फिर से खोल दिए जाएंगे। कॉलेजों में कर्मचारी तो पहुंचे लेकिन छात्र नहीं। प्रशासन की काफी कोशिशों के बावजूद स्कूलों में भी छात्र नहीं पहुंचे। बुधवार को पूरे कश्मीर में आम जनजीवन बाधित रहा। शहर में सार्वजनिक वाहन सड़कों से नदारद रहे, लेकिन जहांगीर चौक पर निजी वाहनों की आवाजाही के चलते भीषण जाम देखा गया। दुकानदारों ने दुकानें तड़के से लेकर सुबह करीब 11 बजे तक ही खोलीं। पूरी घाटी में लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल हैं, लेकिन कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में मोबाइल सेवाएं व इंटरनेट सेवाएं पांच अगस्त से निलंबित हैं।

## बारिश और बाढ़ में 2100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई

पेज 3 का बाकी

1994 से सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। महाराष्ट्र में बाढ़ से 22 जिले प्रभावित हुए। बंगाल के 22 जिले प्रभावित हुए। राज्य में 227 लोगों को जान गंवानी पड़ी। बिहार में 166 लोगों को जान गंवानी पड़ी और 1.96 लाख लोगों ने 235 राहत शिविरों में शरण ली। मध्य प्रदेश में 182 लोगों की मौतें हुई। वहीं, केरल में भारी बारिश और बाढ़ ने 181 लोगों की जान ली और 72 लोग घायल हो गए। गुजरात में 22 जिले प्रभावित हुए जहां 169 लोगों की मौतें हुई। कर्नाटक के 13 जिलों में बारिश और बाढ़ में 106 लोगों को जान गंवानी पड़ी। बारिश और बाढ़ ने असम में 97 लोगों की जान ली।

## 50 हस्तियों पर राजद्रोह का मामला बंद किया पुलिस ने

पेज 3 का बाकी

कार्य में बाधा पहुंचाना, शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना समेत कई धाराएं शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्य कांत तिवारी के आदेश के बाद इन हस्तियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। मालूम है कि निर्देशक अपर्णा सेन, अदूर गोपालकृष्णन और लेखक रामचंद्र गुहा समेत अन्य द्वारा जुलाई में प्रधानमंत्री को खत लिख मॉब लिंचिंग (पीट-पीटकर हत्या) की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई गई थी। निंदा करने वालों में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, सिनेमेटोग्राफर आनंद प्रधान, इतिहासकार रोमिला थापर और कार्यकर्ता हर्ष मंदर भी शामिल हैं। खत लिखने वालों के खिलाफ पिछले हफ्ते बिहार के मुजफ्फरपुर में कथित राजद्रोह को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

## बीडीसी चुनाव का बहिष्कार करेगी कांग्रेस

पेज 3 का बाकी

जताने के बावजूद कांग्रेस ने नेशनल पैंथर्स पार्टी के साथ पिछले सप्ताह बीडीसी चुनावों में हिस्सा लेने का फैसला किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में विश्वास करती है और कभी भी किसी चुनाव से दूर नहीं भागती है। हालांकि आज, हम राज्य प्रशासन के उदासीन रवैये और घाटी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगातार हिरासत में रखे जाने के कारण बीडीसी चुनावों का बहिष्कार करने को मजबूर हैं।' मीर खुद भी जम्मू में नजरबंद थे और उन्हें हाल में ही रिहा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन ने जानबूझकर मुख्यधारा की पार्टियों की राह में अड़ंगा लगाया ताकि भाजपा बीडीसी चुनाव जीत सके। मीर ने कहा, 'उन्होंने हमारे नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखा है और राजनीतिक गतिविधियां होने नहीं दी। इस कवायद में कांग्रेस को जानबूझकर निशाना बनाया गया।'

## पीओके परिवारों को साढ़े पांच लाख

पेज 3 का बाकी

2016 में घोषित पैकेज का लाभ प्रदान करने को बुधवार को मंजूरी दे दी। इन परिवारों ने शुरू में जम्मू-कश्मीर राज्य से बाहर रहने का विकल्प चुना था लेकिन बाद में वे लौटकर जम्मू-कश्मीर राज्य में बस गए। पूर्व में इन परिवारों को पैकेज का लाभ नहीं मिल सका था। पैकेज के तहत प्रति परिवार एकमुश्त 5.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया।

बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया कि साल 2016 में प्रधानमंत्री ने पीओके के विस्थापितों के लिए 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार पैकेज की घोषणा की थी। तब इसमें 5300 परिवार शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि वे जम्मू-कश्मीर से बाहर थे और उनका नाम नहीं आया था।

## सीबीआइ को दो महीने का अतिरिक्त समय

पेज 3 का बाकी

जाएगा। सीबीआइ ने जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा था। सीबीआइ की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने अदालत से कहा कि न्यायिक सहायता के लिए अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं। उनके जवाब का इंतजार है। उन्होंने कहा कि वहां से जवाब मिलने तक जांच पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने अदालत से कम से कम तीन महीने का वक्त देने का अनुरोध किया था। लेकिन तीन आरोपियों अस्थाना, डीएसपी देवेंद्र कुमार और कारोबारी मनोज प्रसाद के वकील ने इसका विरोध किया।

इसी वर्ष 11 जनवरी को अदालत ने जांच पूरी करने के लिए एजंसी को 10 हफ्ते का वक्त दिया था। यह अवधि पूरी होने के बाद एजंसी ने अदालत से और वक्त मांगा था। इस पर अदालत ने उन्हें चार महीने का वक्त और दिया था। मांस निर्यातक मोईन कुरैशी से जुड़े एक मामले के जांच अधिकारी रहे कुमार को हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू साना का बयान दर्ज करने में गड़बड़ी के आरोप के बाद गिरफ्तार किया गया था। साना ने मामले में राहत पाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। इस मामले में कुमार को 22 अक्तूबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 31 अक्तूबर को जमानत मिल गई थी।

## राहुल बताएं 370 के पक्ष में हैं या विरोध में

पेज 3 का बाकी

रूप से उल्लेख करते हुए शाह ने कहा, 'कांग्रेस के लोगों को यह चीज भी खराब लगी।' शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा कि वे वही बोलते हैं जो उन्हें सोनिया गांधी बोलने को कहती हैं। वहीं एक अन्य रैली में शाह ने कहा कि राहुल गांधी चाहे जितनी गालियां प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या भाजपा को दें, लेकिन अगर कोई भारत माता को गाली देगा तो उसको सीधा जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ परिवार का भला सोचा जाता है। विकास की इन्हें कोई चिंता नहीं होती। कांग्रेस से परिवारवादी लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं आम आदमी नहीं। शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौटाला पर हमला बोलते हुए कहा कि हुड्डा के शासनकाल में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हुड्डा की सरकार आती थी तो चौटाला की सरकार आती थी। चौटाला की सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चलती थी। हुड्डा की सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार होता था। लेकिन मनोहर सरकार ने गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के तंत्र पर ताला जड़कर हरियाणा की जनता को न्याय दिया है।

### कांग्रेस में नौकरियों की लगती थी खुली मंडी

लोहारू में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मनोहर सरकार की जमकर पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि जो काम हरियाणा में पिछले 48 वर्षों में नहीं हो पाया, मनोहर सरकार ने पांच साल में कर दिखाया। कांग्रेस के समय में तबादलों और नौकरियों की खुली मंडी लगती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने उस मंडी पर ताला लगाने का काम किया है। शाह ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा पर भ्रूण हत्या का कलंक था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान चलाकर इस कलंक से छुटकारा दिलाया।

## नशे के सौदागरों से मुठभेड़ में पुलिस की फजीहत, एक ग्रामीण की जान गई

पेज 3 का बाकी

वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उधर, सभी जख्मी पंजाब पुलिस कर्मियों को उपचार के लिए बठिंडा के मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि सिरसा पुलिस ने गगनदीप सिंह, कुलविंदर, जस्सा सिंह, तेजा सिंह पर मामला दर्ज कर लिया है और गांव देसू जोधा के करीब 50 ग्रामीणों की बठिंडा पुलिस की शिकायत पर हत्या प्रयास में धरपकड़ कर ली है।

बठिंडा रेंज के आइजी अरुण कुमार ने पत्रकारों से चर्चा में बताया, 'बठिंडा पुलिस की सीआइए शाखा ने दो दिन पहले ही गगनदीप सिंह को नशीले पदार्थों के साथ धरा था और बठिंडा-हरियाणा सीमा पर नशा आपूर्तिकर्ताओं का सुराग लगाने के लिए दूसरे नशा तस्कर कुलविंदर किंदा की धरपकड़ के लिए बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे बठिंडा की सीमा से सटे हरियाणा में सिरसा के गांव देसू जोधा में दबिश देने के लिए वहां दाखिल हो गए थे क्योंकि नशा तस्कर उसी गांव का रहने वाला है। जब वह छिपता-छिपाता गांव के अंदर जा दुबका तो पुलिस ने उसका पीछा किया। वहां जमा ग्रामीणों ने पंजाब पुलिस के जवानों को घेर लिया। इस बीच मौके का फायदा उठाकर दोनों नशा तस्कर वहां से निकल भागे। हमारे एक पुलिस जवान कमलजीत सिंह की पीठ में गोली लगी है जिसकी हालत अभी स्थिर है जबकि अन्य सातों पुलिस कर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। सिरसा पुलिस आरोपी ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।'

जब आइजी से जग्गा सिंह की मौत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सिरसा पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन पंजाब पुलिस ने नशा तस्करों की धरपकड़ के अभियान की जानकारी सिरसा पुलिस के साथ साझा नहीं की थी। वे तो नशा तस्कर का पीछा करते-करते गांव में दाखिल हो गए थे क्योंकि वह भागकर सिरसा के गांव में जा छिपा था। वैसे सादे कपड़ों में सीआइए टीम की अगुवाई सब-इंस्पेक्टर हरजीवन सिंह कर रहे थे, जो दो वाहनों में वहां पहुंचे थे जिसे ग्रामीणों ने नुकसान पहुंचाया और उसके शीशे तक तोड़ दिए थे।

# केंद्रीय कर्मियों को दिवाली का तोहफा

पेज 3 का बाकी

की खेती से कच्चे माल की खरीद को लेकर किसानों की मदद के इरादे से यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय किया गया।

महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार की गई है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया-बुधवार को कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 5 फीसद बढ़ाने का निर्णय किया गया। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और इसके अलावा 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस समय से 5 फीसद वृद्धि से यह बढ़कर 17 फीसद हो गया है।

वित्त वर्ष 2019-20 (जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक 8 महीने की अवधि के लिए) में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण सरकारी खजाने पर क्रमश : 15909.35 करोड़ रुपए और 10606.20 करोड़ रुपए का बोझ होगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 49.93 लाख कर्मचारी और 65.26 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष 8590.20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष और मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 (जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक 8 माह के लिए) में 5726.80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।

पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के कारण प्रतिवर्ष 7319.15 करोड़ रुपए और मौजूदा वित्त में 4870 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का भुगतान किया जाता है, ताकि वे वास्तविक मूल्य में ह्रास के कारण अपने रहन-सहन की लागत को पूरा कर सकें और अपने मूल वेतन/पेंशन को संरक्षित कर सकें। एक जनवरी और 1 जुलाई से एक वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते महंगाई राहत को संशोधित किया जाता है।

पीएम-किसान योजना के तहत सरकार 14 करोड़ किसानों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपए उपलब्ध करा रही है। यह राशि लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। एक अगस्त 2019 के बाद योजना का लाभ लेने के लिए खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य था। हालांकि असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के किसानों को मार्च, 2020 तक छूट दी गई थी। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा कि आधार को खातों से जोड़ने में समय लग रहा था। इसको देखते हुए मंत्रिमंडल ने खाते को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर, 2019 करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संख्या में उन किसानों को राशि तत्काल जारी की जा सकेगी जो आधार से जोड़ने की अनिवार्यता के कारण इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे।

मंत्री ने आगे कहा कि पीएम किसान अनूठी योजना है। इसके तहत करीब 14 करोड़ किसानों को 87,00 करोड़ रुपए मिलेगा। सात करोड़ किसान पहले ही योजना का लाभ उठा चुके हैं। केवल दो राज्य-दिल्ली और पश्चिम बंगाल-योजना से नहीं जुड़े हैं। जावडेकर ने कहा कि तारीख बढ़ाए जाने से किसान रबी फसलों की बुवाई से पहले कच्चा माल आसानी से खरीद सकेंगे। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 27,000 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

# आइएनएक्स मीडिया मामला : ईडी के सामने पेश हुए कार्ति चिदंबरम

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (भाषा)।

माना जा रहा है कि एजंसी ने मामले में ताजा घटनाक्रम पर ही कार्ति से पूछताछ की होगी। सीबीआइ ने 2007 में दूसरे देशों से करोड़ों रुपये का कोष प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआइपीबी) से मंजूरी दिलाने में अनियमितता बरतने के आरोप 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था।

आइएनएक्स मीडिया-धनशोधन मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम बुधवार को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कांग्रेस के सांसद कार्ति को मामले में ताजा पूछताछ के लिए समन किया गया था।

कार्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में पेश हुए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह दशहरे पर जांचकर्ताओं को 'हैलो' बोलने आए थे। कार्ति से पहले भी कई बार इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया।

सीबीआइ ने इसी मामले में उनके पिता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। ऐसा माना जा रहा है कि एजंसी ने मामले में ताजा घटनाक्रम पर ही कार्ति से पूछताछ की होगी।

सीबीआइ ने 2007 में दूसरे देशों से करोड़ों रुपये का कोष प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआइपीबी) से मंजूरी दिलाने में अनियमितता बरतने के आरोप 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था। मामले में ईडी ने पिछले साल भारत, ब्रिटेन और स्पेन में कार्ति की 54 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की थी।

## सुप्रीम कोर्ट करेगा इस सवाल पर विचार

# क्या दूसरे राज्य को सौंपी जा सकती है यौन उत्पीड़न की आंतरिक जांच

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है कि क्या हाई कोर्ट आंतरिक शिकायत समिति के पास यौन उत्पीड़न के आरोपों की लंबित जांच और इस घटना के बारे में पुलिस में दर्ज प्राथमिकी किसी अन्य राज्य को स्थानांतरित कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने इस सवाल पर विचार के लिए तमिलनाडु सरकार और अन्य विभागों व इससे संबंधित दूसरे लोगों को नोटिस जारी किए हैं।

न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी के पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आइपीएस अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों (महिला पुलिस अधिकारी और अन्य) को नोटिस जारी किए। भारतीय पुलिस सेवा के इस अधिकारी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और समाधान) कानून, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति द्वारा की जा रही जांच और वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी निष्पक्ष, स्वतंत्र और पक्षपात रहित जांच के लिए सारे मामले को तेलंगाना स्थानांतरित करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

पीठ ने आदेश में कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच की कार्यवाही और प्राथमिकी की जांच स्थानांतरित करने के हाई कोर्ट के अधिकार के मुद्दे पर (महिला पुलिस अधिकारी और अन्य को) नोटिस जारी किया जाता है। शीर्ष अदालत ने सारा मामला तेलंगाना स्थानांतरित करने के हाई कोर्ट के 28 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी है। पीठ इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करेगी।

इस मामले में तमिलनाडु में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात 44 वर्षीय महिला अधिकारी ने पिछले साल अगस्त में चेन्नई में तैनात वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। शिकायत की जांच के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई थी। बाद में महिला अधिकारी ने आइपीएस अधिकारी के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट के खंडपीठ ने आइपीएस अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के बाद आंतरिक शिकायत समिति की जांच और प्राथमिकी तेलंगाना में स्थानांतरित कर दी थी।

# दंपति का वैवाहिक रिश्ता खत्म किया अदालत ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे दंपति के वैवाहिक संबंधों को खत्म कर दिया। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें वैवाहिक रिश्ते जुड़ नहीं सकते हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि इस रिश्ते को बनाए रखने और संबंधित पक्षों में फिर से मेल मिलाप के सारे प्रयास विफल रहे हैं।

पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि अब इस दंपति के बीच रिश्ते जुड़ने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वे पिछले 22 साल से अलग-अलग रह रहे हैं। अब उनके लिए एक साथ रहना संभव नहीं होगा। अदालत ने प्रतिवादी पत्नी को भरणपोषण के लिए एक मुश्त राशि के भुगतान की भी बात कही। अदालत ने हाल में एक फैसले में पत्नी की इस दलील को अस्वीकार कर दिया था कि दोनों पक्षों की सहमति के बगैर अनुच्छेद 142 में प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके भी विवाह इस आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता कि अब इसे बचा कर रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। पीठ ने कहा कि यदि दोनों ही पक्ष स्थायी रूप से अलग-अलग रहने या तलाक के लिए सहमति देने पर राजी होते हैं तो ऐसे मामले में निश्चित ही दोनों पक्ष परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद के लिए सक्षम अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं।

# समुद्री तूफान पर रहेगी 'जेमिनी' की निगाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

समुद्री तूफान की अब वक्त से पहले सटीक जानकारी मिलेगी। देश के वैज्ञानिकों ने पथ प्रदर्शन और सूचना के लिए गगन इनेबल्ड मेरिनर इंस्ट्रूमेंट (जेमिनी) तैयार किया है। बुधवार को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने यह उपकरण देश के लिए जारी किया। इसकी मदद से सुनामी, समुद्री तूफान, तेज लहरों की सूचना और तेज हवाओं की सटीक सूचना समुद्र से सटे राज्यों को दी जा सकेंगी। उपकरण को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बंगलुरु में तैयार किया गया है।

डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि यह उपकरण सीधे सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। इसका सबसे अधिक लाभ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों को होगा। इसकी मदद से मछली पालन के लिए संभावित जगहों की जानकारियां भी उपलब्ध होंगी। आम जनता के लिए ये जानकारियां स्थानीय भाषा में उपलब्ध होंगी ताकि उन्हें किसी भी चेतावनी को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने बताया कि देश के अत्याधुनिक तंत्र की तारीफ हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में भी की है।

मंत्रालय के मुताबिक किसी भी समुद्री तूफान के समय में चेतावनी जारी की जाती है। तट से 10-12 किलोमीटर दूर चले जाने की स्थिति में उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। ये मछुआरे 50 समुद्री मील और कई बार मछलियां पकड़ने के लिए 300 समुद्री मील तक जाते हैं। इन्हें संदेश प्रसारित करने में बाधाएं आती है। सैटेलाइट सिस्टम से जुड़ जाने के बाद इनके पास समुद्र में चल रही सभी हलचलों की जानकारियां उपलब्ध रहेंगी।

मंत्रालय जीपीएस एडेड जियो औग्मेंटेड नेविगेशन (गगन) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) की मदद लेगा। गगन प्रणाली में तीन जियो सिंक्रोनस उपग्रह (जीसेट 8, जीसेट 10 और जीसेट 15) शामिल है। गगन फुट प्रिंट में पूरे हिंद महासागर को चौबीस घंटे कवर किया गया है।

**टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

TATA

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर-ए 1101 पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 (भारत)
शाखा पता : टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

**अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय सूचना**
**(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के तहत)**

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

**ऋण खाता सं. 8450995 तथा 7000430106 एवं 7000543711**
**श्री बायोकेमिकल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड**

निम्नलिखित ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (प्रतिभूत लेनदार) के पास गिरवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, 1. श्री बायोकेमिकल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जीएफ004, सीयर्स टॉवर, ओमेक्स हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010, 2. प्रकाश फूलचन्द छाबड़ा, 1203, कार्लटन टॉवर, ओमेक्स हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010, 3. लॉर्डसन्स एग्रो ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, जीएफ004, सीयर्स टॉवर, ओमेक्स हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010, 4. नेट इण्डिया एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय स्थान यूनिट नं. 003, सीयर्स टॉवर, ओमेक्स हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010, 5. युक्ति छाबड़ा, 1203, कार्लटन टॉवर, ओमेक्स हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010, 6. अंजली प्रकाश छाबड़ा पत्नी प्रकाश छाबड़ा, 1404, मेनारा टॉवर, ओमेक्स हाइट्स, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010, 7. वर्तिका खत्री, सी-21 के रोड, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश साथ ही फ्लैट सं. 905, 9वीं मंजिल, एल्डोरा-2, अपोलो डी.बी. सिटी, निपनिया, इन्दौर, मध्य प्रदेश, 8. देवेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र जवाहर लाल वर्मा, 448/133, आशापुरम कॉलोनी, निकट मंजू टंडन नर्सिंग होम, ठाकुरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226003, 9. तन्नू कोहली पत्नी चमन कोहली, एल-88, सेक्टर-डी, एल.डी.ए. कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226012 से 19 जुलाई, 2019 तक कुल राशि रु. 1,24,00,349.31/- (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख तीन सौ उनचास एवं इकतीस पैसे मात्र) की वसूली हेतु ''जैसे है जहाँ है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर 11 नवम्बर, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे वर्णित है।

जबकि प्रतिभूत आस्ति का विक्रय प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए किया जाना है और जबकि 19 जुलाई, 2019 तक समस्त लागतों, ब्याज आदि सहित रु. 1,24,00,349.31/- (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख तीन सौ उनचास एवं इकतीस पैसे मात्र) की राशि बकाया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विक्रय के किसी विलम्बन/अनिरन्तरता के उपस्थित होने पर कथित सम्पत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से कथित 11 नवम्बर, 2019 को 2 बजे अपराह्न 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 किया जायेगा। ज.ध.रा. के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित सम्पत्ति के क्रय हेतु मुहरबन्द ई-नीलामी कथित 9 नवम्बर, 2019 को 5 बजे अपराह्न तक टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किया जायेगा। सम्पत्ति का विक्रय ''जहाँ है जैसे है'' की स्थिति में किया जायेगा और जहाँ तक सुनिश्चित किया गया है कथित सम्पत्ति से सम्बद्ध दायित्व तथा दावे अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

**प्रतिभूत आस्ति का विवरण**

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) में स्थित प्लॉट सं. टीसीजी 2/2 तथा टीसीजी 5/5 पर प्रोजेक्ट ओमेक्स हाइट्स के साथ ''एम्पायर एस्टेट टॉवर'' में भूतल पर इकाई सं. 003 और जिसकी सीमा है : पूर्व : खुला आसमान, पश्चिम : खुला आसमान, उत्तर : लिफ्ट तथा लॉबी क्षेत्र, दक्षिण : प्रवेश/प्रवेश गलियारा।

**कब्जे का प्रकार निर्माणात्मक/भौतिक** : भौतिक

**आरक्षित मूल्य (रु.)** : रु. 1,15,00,000/- **धरोहर राशि (रु.)** : रु. 11,50,000/-

सम्पत्ति का विवरण जिसे अनुसूची में विक्रय हेतु रखा जायेगा। यदि उपर्युक्त बकाये की राशि, ब्याज तथा लागतें (विक्रय की लागत सहित) 'अधिकृत प्राधिकारी' को अदा कर दी जाती है अथवा उसकी सन्तुष्टि के लिए प्रमाण दिया जाता है कि ऐसे प्रतिभूत ऋण, ब्याज तथा लागतों की राशि को अदा कर दिया गया है तो विक्रय रोका भी जायेगा। विक्रय में जनसामान्य को अपनी निविदा व्यक्तिगत रूप से जमा करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। इस विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का कर्तव्य निर्वहन करने वाला कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति विक्रीत सम्पत्ति के अधिग्रहण या किसी हित के अधिग्रहण के प्रयास हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा नहीं कर सकेगा।

यदि ऋणकर्ता विक्रय की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. को बकाये की पूर्ण राशि का भुगतान करता है तो विक्रय रोका जा सकता है। यह विक्रय प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा :

ई-नीलामी प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित 11 नवम्बर, 2019 को 2.00 बजे अपराह्न से 3.00 बजे अपराह्न के बीज पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net या ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप के माध्यम से की जायेगी।

1. यहाँ नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट विवरणों को अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण संज्ञान में उल्लिखित किया गया है किन्तु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। संविदा राशि अथवा संविदाकार के कारण उत्पन्न होने वाले किसी विवाद की स्थिति में इस लॉट को पुनः नीलामी के लिए रखा जायेगा।
2. सम्पत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जायेगा।
3. संविदा की बढ़ोत्तरी राशि रु. 10,000/- होगी।
4. सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि दिल्ली में देय ''टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि.'' के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। असफल संविदाकारों को डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
5. उच्चतम संविदाकार को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह संविदा के लिए वैधानिक रूप से पात्र हो और बशर्ते कि उसके द्वारा संविदा की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से इतना अपर्याप्त हो कि यह ऐसा करने के लिए अपरामर्शनीय हो तो 'अधिकृत प्राधिकारी' का विशेषाधिकार होगा कि वह उच्चतम संविदा की स्वीकृति को मना कर दे।
6. कारणों को अभिलिखित करने हेतु, 'अधिकृत प्राधिकारी' विक्रय को स्थगित/अनिरन्तर करने का विशेषाधिकार रखेगा।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण 15 अक्टूबर, 2019 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के तुरन्त बाद क्रय राशि का पच्चीस प्रतिशत 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करना होगा और इस राशि के जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति को पुनः बिक्री के लिए रखा जायेगा।
9. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारम्भिक राशि कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की तिथि के 15वें दिन को या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद पहला कार्यालयी दिवस राशि जमा करने का दिन होगा। उपर्युक्त अवधि के भीतर भुगतान न कर पाने की स्थिति में विक्रय की नवीन घोषणा के निर्गमन के पश्चात सम्पत्ति का पुनः विक्रय किया जायेगा और तब तक जमा की गयी सभी राशि को टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. द्वारा जब्त कर लिया जायेगा और दोषी क्रेता सम्पत्ति या उस राशि के किसी भाग के प्रति कोई दावा नहीं कर सकेगा जिसे बाद में बेचा जा सकता है। सम्पत्ति का पुनः विक्रय अधिकृत प्राधिकारी के विशेष अधिकार क्षेत्र में होगा।
10. टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के संज्ञान में सम्पत्ति के दायित्व सम्बन्धी कोई ऋणभार : शून्य। सम्पत्ति से सम्बन्धित दावे, यदि कोई हो तथा इसकी प्रकृति एवं मूल्य से सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज : शून्य। उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. ई-नीलामी के विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद, दूरभाष : 07961200520/598/554/587/559/587/538, ई-मेल : Email: delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net, tilak@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. नोट : इच्छुक संविदाकार अधिकृत प्राधिकारी अजय पाण्डे, ई-मेल आईडी : Ajay.Pandey@tatacapital.com तथा मोबाइल नं. 9250009963 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
13. विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात https://sarfaesi.auctiontiger.net में प्रावधानित लिंक देखें।

स्थान : लखनऊ
तिथि : 10.10.2019

ह./-
अधिकृत प्राधिकारी,
टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

**कार्यालय वसूली अधिकारी**
**ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली**
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर. सी. सं. 325/16

**बिक्री उद्घोषणा**

**कार्पोरेशन बैंक बनाम मैसर्स जय पॉलीकैम इंडिया लि.**

**बिक्री की उद्घोषणा अन्तर्गत आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) बैंक और वित्तीय संस्थान की ऋण वसूली अधिनियम 1993**

**सीडी 1 मैसर्स जय पॉलीकैम इंडिया लि., (CIN: U72300DL1991PLC044884), पंजीकृत कार्यालय : ए-101, लाजपत नगर- I, नई दिल्ली -110024**
**सीडी 2 श्री सतिंदर सिंह मधोक, डी-97, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024**
**सीडी 3 श्री संदीप सिंह मधोक, डी-97, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली -110024**
**सीडी 4 सुश्री प्रकाश कौर, डी-97, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली -110024**
**सीडी 5 सुश्री हरनीत कौर, डी-97, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली -110024**
**सीडी 6 सुश्री सुमोहिता कौर, डी-97, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली -110024**
**सीडी 7 मैसर्स जसपार्क स्पेशलिटी केमिकल्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय : ए-101, लाजपत नगर- I, नई दिल्ली-110024**
**सीडी 8 मैसर्स सुंदरम सॉफ्टवेयर प्रा. लि., बी-115, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज- I, नई दिल्ली**

1. जहाँ पर पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण- I द्वारा वसूली प्रमाणपत्र सं 325/16, ओए सं 14/16 दिनांकित 31.08.2016 के द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार वाद के शुरुआत से रु.** 169,48,47,536.35 **साथ में दिनांक 01-12-2015 से चुकौती की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, साथ में खर्च लागत रु. 1,50,000/- बकाया है।**
2. और जहाँ पर अधोहस्ताक्षर ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार अनुसूची में संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. और जहाँ पर प्रतिवादी द्वारा **रु. 169,48,47,536.35 साथ में दिनांक 01-12-2015 से चुकौती की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, साथ में खर्च लागत रु. 1,50,000/-** प्रमाणपत्र देनदार से वसूल किया जाएगा।
4. सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के अभाव मे उक्त सम्पत्ति ई-नीलामी के द्वारा वेबसाईट : **website https://bankeauctions.com** पर **"ऑन लाईन ईलैक्ट्रॉनिक बिडींग" के माध्यम से दिनांक 11.11.2019 को अर्पा. 02.00 बजे से अर्पा. 03.00 बजे तक (अर्पाह्न 03.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है) किया जायेगा।**
5. उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री निम्नलिखितानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
6. सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीलामी समाप्त होने से पूर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं।
7. बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नही करेगा।
8. आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी। बिक्री उद्घोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अधोहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटी, गलत बयान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अधोहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।

8.1 **आरक्षित मूल्य रु. 1038 लाख (रु. दस करोड अड़तीस लाख मात्र) के नीचे सम्पत्ति नही बेची जाएगी और धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 104 लाख (रु. एक करोड चार लाख मात्र)**

8.2 **इच्छुक निविदादाताओं को रु. 104 लाख (रु. एक करोड चार लाख मात्र), धरोहर राशि पे आर्डर / डिमांड के रूप में, वसूली अधिकारी- II, डी आर टी- I, दिल्ली, खाता आर सी नं. 325/16 के पक्ष में दिल्ली में देय, दिनांक 08.11.2019 को सायं 03.00 बजे तक धरोहर राशि वसूली अधिकारी- II, डी आर टी- I, दिल्ली के ऑफिस में जमा करनी होगी। उसके उपरान्त प्राप्त धरोहर राशि (ई एम डी) विचारणीय नही होगी। सफल बोलीदाता के लिए उपरोक्त जमा को समायोजित कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं को उनकी धरोहर राशि (ई एम डी) ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद वसूली अधिकारी- II, डी आर टी- I, दिल्ली के ऑफिस से वापस कर दी जाएगी।**

8.3 इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होंने अपनी बोली (आरक्षित मूल्य से कम नही) साथ में दस्तावेज जैसे की पैन कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण इत्यादि **दिनांक 08.11.2019 को सायं 03.00** से पहले **वसूली अधिकारी- II, डी आर टी- I, दिल्ली के ऑफिस में जमा** कर दी है, ही **दिनांक 11.11.2019 को अर्पाह्न 02.00 बजे से अर्पाह्न 03.00 बजे तक** होने वाली ई-नीलामी में भाग ले सकते है। बोली यदि ई-नीलामी समाप्ति हेतु निर्धारित समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो उस दशा में ई-नीलामी बंद होने का समय 5 मिनट स्वतः बढ़ जायेगी।

8.4 निविदा राशि जहाँ से बिड राशि को बढ़ाया जाएगा **रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख केवल)** निविदा राशि पर अथवा निविदादाता द्वारा किसी विवाद पर लॉट के लिए नीलामी को तुरंत दोबारा प्रारंभ करवाया जाएगा।

8.5 किसी भी लॉट के सर्वोच्च/उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाऐगा बशर्ते की वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगाई गयी बोली आरसित मूल्य से कम नही है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो।

8.6 सफलतम/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी- II, ऋण वसूली अधिकरण- I, दिल्ली, खाता आर सी न. 325/16 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा ऑन लाईन निलामी के 24 घण्टे के अंदर तैयार करना होगा और धरोहर राशि को समायोजित करने के पश्चात् यह ऑनलाइन निलामी के बंद होने से तीन दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी।

8.7 सफलतम / उच्चतम बोलीदाता सम्पत्ति बिक्री मूल्य की बकाया 75 प्रतिशत राशि **वसूली अधिकारी- II, डी आर टी- I, दिल्ली, खाता आर सी न. 325/16 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा** सम्पत्ति की बिक्री की तिथि (उस दिन को छोडकर) से 15वें दिन या उससे पहले **वसूली अधिकारी- I, डी आर टी- I, दिल्ली** के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के पश्चात्) ऐसा किया जाऐगा। एवं 2 प्रतिशत रु. 1000/- तक और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण- I, दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में यदि पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उपरोक्तानुसार में वसूली अधिकारी के ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए)।

8.8 **यदि निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान नही किया जाता है, तो सम्पत्ति को बिक्री की नई उद्घोषणा के निर्गमन के बाद पुनः बेचा जाऐगा। बिक्री के खर्चों को चुकाने के बाद बची रकम यदि अधोहस्ताक्षरी इसे सही समझता है, तो सरकार के खाते में जब्त कर दी जायेगी तथा दोषी क्रेता सम्पत्ति के या उस राशि के किसी भी भाग जिसके लिए उसे बाद मे बेचा जा सकता है, के दावे जब्त कर लिए जायेंगें।**

9. **सम्पत्ति को "जहाँ है जैसा है आधार" पर बेचा जाएगा**
10. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

**सम्पत्तियों की अनुसूची**

| क्र. सं. | अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह-स्वामित्व में है। | सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है | किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है | विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बी-115, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज- I, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 1236.43 वर्ग गज, लीज़ सम्पत्ति बिना अवधि के पट्टे पर है। चौहद्दी : उत्तर में - 80' चौडी रोड, पूरब में - प्लॉट नं. बी-114, दक्षिण में - सर्विस लेन, पश्चिम में - प्लॉट नं. बी-116 | कोई सूचना प्राप्त नहीं | | |

मेरे समक्ष दिनांक 09.10.2019 को मोहर किया गया

हस्ता/- (जितेन्द्र कुमार), वसूली अधिकारी- II, डीआरटी- I, दिल्ली

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019
फोन: 011-41732000 / 41792800
वेबसाइट: www.ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

**सूचना**

यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आईएफसीआई लांग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बाण्ड सीरीज-II, III, IV और V प्रमाणपत्र निवेशकों को प्राप्त नहीं हुए हैं/गुम हो गए हैं:-

| क्र. सं. | धारक का नाम | फोलियो सं. | बांडों की सं. | विकल्प | प्रमाणपत्र सं. | डिस्टिंक्टिव सं. से-तक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **इन्फ्रा सीरीज-II (बीटल)** | | | | | | |
| 1 | विनोद पी | 2156988 | 4 | II | 2073013 | 429617 – 429620 |
| 2 | राजालक्ष्मी आर | 2156989 | 4 | II | 2073014 | 429621 – 429624 |
| 3 | राजेंद्र प्रसाद | 2056235 | 4 | II | 2028424 | 254775 – 254778 |
| 4 | गगन दीप नागपाल | 2033852 | 4 | I | 1005299 | 20825 – 20828 |
| 5 | गजानन पी मंजरामकर | 2008232 | 3 | II | 2003489 | 156966 - 156968 |
| **इन्फ्रा सीरीज-III (कार्वी)** | | | | | | |
| 1 | मेजर आशुतोष श्रीवास्तव | INA0006917 | 4 | I | 8146 | 32184-32187 |
| 2 | नाब्येंदु मण्डल | INA0301739 | 4 | III | 301986 | 7779-7782 |
| **इन्फ्रा सीरीज-IV (कार्वी)** | | | | | | |
| 1 | सैयद अमीर हसन रिजवी | INB0017258 | 4 | I | 17258 | 68655-68658 |
| 2 | पी श्रीनिवास राव | INB1020423 | 2 | I | 1020423 | 371894-371895 |
| 3 | शालिनी कुमार नायर | INB0036514 | 4 | I | 36514 | 144643-144646 |
| 4 | तपस कुमार दास | INB0206690 | 4 | III | 206690 | 26277-26280 |
| 5 | श्यामा पदा दत्ता रॉय | INB0045474 | 4 | I | 45474 | 179856-179859 |
| 6 | राम चन्द्रन नान | INB1026125 | 4 | I | 1026125 | 394246-394249 |
| 7 | जितेन्द्र गिरि | INB0004925 | 4 | I | 4925 | 19523-19526 |
| **इन्फ्रा सीरीज-V (कार्वी)** | | | | | | |
| 1 | ललिता सेठी | INC0106551 | 4 | II | 106551 | 25892-25895 |
| 2 | सन्तोष कुमार बिसोवी | INC0021054 | 4 | I | 21054 | 83286-83289 |
| 3 | आर वेणुगोपालन | INC0204261 | 4 | III | 204261 | 16840-16843 |
| 4 | दिलीप विष्णुपंत शिरमते | INC0207406 | 4 | III | 207406 | 29183-29186 |

उपर्युक्त बाण्डों के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आईएफसीआई लिमिटेड को आवेदन किए गए हैं। ऊपर निर्दिष्ट बाण्ड प्रमाणपत्रों की खरीद अथवा अन्यथा संव्यवहार करने के प्रति सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सचेत किया जाता है। यदि कम्पनी/रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि., नई दिल्ली को सीरीज-II और कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को सीरीज-III, IV और V के लिए इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो बाण्डधारकों को डुप्लिकेट बाण्ड प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाएंगे और आईएफसीआई लि. द्वारा तदनुरूपी मूल बाण्ड निरस्त कर दिए जाएंगे।

| मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि. | मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड |
|---|---|
| बीटल हाउस, तीसरा तल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली-110062 | कार्वी सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट नं 31 और 32, गाचीबॉली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032 |
| फोन: 011-29961282-83 | फोन: 040-23420818, |

आईएफसीआई लि. के लिए और उसकी ओर से

| मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि. | मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड |
|---|---|
| रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स | रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स |
| ह./- | ह./- |
| प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता | प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता |

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 09.10.2019

**कार्पोरेशन बैंक**
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालयः दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज़ रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110005, फोन : 011-28755514 / 28754642, 7042597411
ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

**अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस**
**धरोहर राशि तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 28.10.2019 को सांय 5.00 बजे तक**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,** आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता कॉर्पोरेशन बैंक से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 29.10.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

**अचल सम्पत्तियों का विवरण**

| क्र. स. | शाखा का नाम, पता, फोन नं. और ई-मेल आईडी | ऋणधारक/गारंटर का नाम | सम्पत्ति का विवरण | प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख | आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि | नीलामी की तिथि व समय | ईएमडी प्रेषण खाता और IFSC कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्रेटर कैलाश- II शाखा, श्री संजीव सिंगला मो. 9868303945, फोनः 011-29210667, 29212059, ईमेलः cb0286@corpbank.co.in | उधारकर्ताः मैसर्स एलएमएस टॉयर कम्पनी गारंटर्सः 1. श्री लवलेश मोहन सिंघला, 2. श्रीमती अनिता सिंघला 3. सौरभ सिंघला, 4. मकुल सिंघला 5. मैसर्स सिंघला पॉलीमर उधारकर्ताः 1. श्री लवलेश मोहन सिंघला, 2. श्रीमती अनिता सिंघला 3. मकुल सिंघला, 4. सौरभ सिंघला | सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पूर्ण सम्पत्ति मकान (प्लॉट नं.) 816-पी, सैक्टर-15, पार्ट-2, (सैक्टर 15- II), जिसे अब रिहायशी कॉलोनी अरबन ईस्टेट गुडगाँव कहते है, (हरियाणा) में स्थित, क्षेत्रफल 420 वर्ग मी. (502.32 वर्ग गज), यह सम्पत्ति अनिता सिंघला के नाम पर है। | ₹ 4,74,77,542.50 मांग सूचना दिनांक 05-04-2018 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि ₹ 1,81,19,869.00 मांग सूचना दिनांक 05-04-2018 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि | ₹ 605.00 लाख / ₹ 60.50 लाख / ₹ 2.00 लाख | 29-10-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार | खाता नं. 510101006119068 IFSC कोडः CORP0000286 |

कृप्या विक्रय की विस्तृत नियम व शर्तों के संदर्भ हेतु लिंक देखें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/lms_tyre_company_2.pdf और वेबसाईट : www.bankauctions.in देखें।

दिनांकः 09.10.2019, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

# दिल्ली में प्याज के बाद अब टमाटर 80 रुपए किलो

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्याज के बाद अब बुधवार को टमाटर का खुदरा मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। कर्नाटक सहित प्रमुख उत्पादक राज्यों में भारी बारिश की वजह से आपूर्ति प्रभावित हुई है जिससे टमाटर का दाम भी ऊंचाई पर पहुंच गया है। हालांकि, पिछले हफ्ते की तुलना में प्याज की कीमत में मामूली कमी आई है। दिल्ली में प्याज अब 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है।

व्यापारियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में टमाटर महंगा हो गया है क्योंकि इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है। मदर डेयरी के सफल बिक्री केंद्र पर टमाटर 58 रुपए प्रति किलोग्राम के दाम पर बेचा जा रहा है। वहीं स्थानीय दुकानदार गुणवत्ता और इलाके के हिसाब से टमाटर 60 से 80 रुपए किलोग्राम के भाव पर बेच रहे हैं।

केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में टमाटर का औसत खुदरा मूल्य एक अक्तूबर के 45 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर बुधवार को 54 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। आजादपुर मंडी के एक थोक व्यापारी ने कहा- पिछले कुछ दिनों में टमाटर के दाम तेजी से बढ़े हैं क्योंकि प्रमुख उत्पादक राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों और कुछ पहाड़ी राज्यों में पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई है, जिससे फसल का नुकसान हुआ है। इससे आपूर्ति बाधित हुई है। अन्य महानगरों में भी टमाटर के भाव चढ़े हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को टमाटर का भाव कोलकाता में 60 रुपए प्रति किलोग्राम, मुंबई में 54 रुपए किलोग्राम और चेन्नई में 40 रुपये किलो था।

इस बीच, सहकारी समितियों नाफेड, एनसीसीएफ और मदर डेयरी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्याज की आपूर्ति बढ़ाने की वजह से दिल्ली के खुदरा बाजारों में प्याज की कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे आ गई है। ये सहकारी समितियां 23.90 रुपए प्रति किलोग्राम की सस्ती दर पर प्याज बेच रही हैं। हालांकि, खुदरा बाजार में कीमत अभी भी अधिक है।

ये संस्थाएं केंद्र सरकार द्वारा रखे गए बफर स्टॉक से प्याज बेच रही हैं। बफर स्टॉक के 56,700 टन प्याज में से 18,000 टन प्याज को दिल्ली सहित विभिन्न बाजारों में उतारा गया है।

# लगातार छह दिनों की गिरावट के बाद सूचकांक ने लगाई 646 अंक की छलांग

मुंबई, 9 अक्तूबर (भाषा)।

कंपनियों के तिमाही परिणाम जारी होने से पहले बैंकिंग और वित्त क्षेत्र की कंपनियों में निवेशकों की लिवाली से बुधवार को स्थानीय शेयर बाजारों में लगातार छह दिनों की गिरावट का सिलसिला टूटा और सूचकांक में करीब साढ़े छह सौ अंक का उछाल आया।

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सूचकांक 645.97 अंक यानी 1.72 फीसद की तेजी के साथ 38,177.95 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 186.90 अंक यानी 1.68 फीसद की मजबूती लेकर 11,313.30 अंक पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार ने कारोबार की सतर्क शुरुआत की। बैंकिंग, वित्त व दूरसंचार कंपनियों में लिवाली आने से दोपहर के कारोबार में बाजार में तेजी आई। विश्लेषकों ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा से भी बाजार की धारणा को बल मिला।

सूचकांक की कंपनियों में इंडसइंड बैंक सर्वाधिक 5.45 फीसद की तेजी में रहा। इसके बाद तेजी में रहे अन्य शेयरों में भारती एअरटेल, आइसीआइसीआइ बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक, टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक का स्थान रहा। येस बैंक को सर्वाधिक 5.26 फीसद का नुकसान हुआ। इसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, एचसीएल टेक, आइटीसी, टीसीएस, इंफोसिस, ओएनजीसी और बजाज ऑटो के शेयर 2.65 फीसद तक की गिरावट में रहे।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- कई दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी लौटी और निफ्टी आराम से 11,300 अंक के स्तर को पार कर गया। सरकार की ओर से महंगाई भत्ता पांच फीसद बढ़ाने से त्योहारी मांग को बल मिलेगा। आने वाले समय में कंपनियों के तिमाही परिणाम बाजार की चाल तय करेंगे। निवेशकों को त्योहारी मांग और अच्छे मानसून के कारण बाजार में तेजी की उम्मीद है। बीएसई में दूरसंचार क्षेत्र के सूचकांक में सर्वाधिक 4.92 फीसद की तेजी रही। इसके बाद बैंकिंग सूचकांक में 3.67 फीसद, वित्त में 2.84 फीसद, धातु में 2.12 फीसद, रियल्टी में 1.99 फीसद, बेसिक मटीरियल्स में 1.95 फीसद और ईंधन में 0.98 फीसद की तेजी रही। हालांकि आइटी, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और टेक में 0.92 फीसद तक की गिरावट रही।

बीएसई का मिडकैप 1.38 फीसद और स्मॉलकैप सूचकांक 0.66 फीसद की बढ़त में रहा। मंगलवार को दशहरा के कारण शेयर बाजार बंद रहे थे। रुपया कारोबार के दौरान तीन पैसे की गिरावट के साथ 70.98 रुपए प्रति डॉलर पर चल रहा था। ब्रेंट क्रूड का वायदा 1.08 फीसद की बढ़त लेकर 58.77 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था।

## शिवकुमार से जुड़े मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए कर्नाटक कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष राजन्ना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (भाषा)।

कर्नाटक स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष केएन राजन्ना बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज मनी लॉड्रिंग के मामले के संबंध में राजन्ना को पेश होना पड़ा। राजन्ना भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और विधायक रह चुके हैं।

अधिकारियों ने कहा कि बैंक ने कुछ साल पहले शिवकुमार से जुड़ी एक चीनी कंपनी को करोड़ों रुपए का कर्ज दिया था। राजन्ना से इसी सिलसिले में पूछताछ की जाएगी।

## भारतीय स्टेट बैंक ने ब्याज दरों में की कटौती

मुंबई, 9 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने सभी परिपक्वता अवधि के ऋण पर सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) को 0.10 फीसद कम करने की बुधवार को घोषणा की। साथ ही बैंक ने एक लाख रुपए तक की जमा राशि पर ब्याज दर को भी 0.25 फीसद घटा दिया है।

बैंक ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। उसने कहा कि संशोधित एमसीएलआर 10 अक्टूबर से तथा संशोधित जमा ब्याज दर एक नवंबर से प्रभावी होगी। बैंक ने इस साल एमसीएलआर में यह छठी कटौती की है। यह कटौती रेपो दर से जुड़े ऋण पर प्रभावी नहीं होगी। इस कटौती के बाद एक साल के ऋण का एलसीएलआर कम होकर 8.05 फीसद पर आ गई है। बैंक ने कहा- त्योहारी मौसम को देखते हुए सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को फायदा देने के लिए हमने सभी परिपक्वता अवधि के ऋण पर एमसीएलआर 0.10 फीसद घटा दिया है।

# महाराष्ट्र बिक्री कर विभाग का आदेश बंबई हाई कोर्ट ने किया खारिज

मुंबई, 9 अक्तूबर (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र बिक्री कर विभाग के आदेश को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि माल व सेवा कर (जीएसटी) 'एक देश, एक कर सिद्धांत' पर आधारित है। बिक्री कर विभाग ने अपने आदेश में मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर स्थित शुल्क मुक्त दुकानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी से इनकार किया था।

हाई कोर्ट ने कहा कि ये दुकानें भुगतान किए गए माल व सेवा कर (जीएसटी) की पूरी राशि पर 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' पाने के पात्र हैं और इन दुकानों पर स्थानीय कर लगाए जाने से विदेश व्यापार प्रभावित होगा। इनपुट कर क्रेडिट (उत्पादन में प्रयुक्त कच्चेमाल और सेवाओं पर लगे कर के समायोजना की व्यवस्था) से कर पर कर का आघात खत्म होता है। न्यायाधीश रंजीत मोरे और न्यायाधीश भारती डांगरे की पीठ ने बिक्री कर उपायुक्त (मुंबई) के 10 जनवरी के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस करने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शुल्क मुक्त दुकानें हैं।

पीठ ने कहा कि पूर्व का आदेश मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 286 के प्रावधानों के खिलाफ है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य उन वस्तुओं की आपूर्ति पर कर नहीं लगाएगा जो राज्य के क्षेत्र से बाहर होती हैं। साथ ही आयात और निर्यात के जरिए होने वाली आपूर्ति के मामले में भी राज्य को कर लगाने का अधिकार नहीं है।

हाई कोर्ट ने सात अक्तूबर को अपने आदेश में कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सेवा देने वाली शुल्क मुक्त दुकानों पर अगर स्थानीय कर लगाए जाते हैं, इससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी जबकि यह माना जाता है कि ये वस्तुएं करों और शुल्क से मुक्त हैं।

अदालत ने कहा- इससे भारत में शुल्क मुक्त दुकानें अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर स्थिति अन्य शुल्क मुक्त दुकानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। इससे हमारा विदेश व्यापार प्रभावित होगा...। बिक्री कर आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने यह दलील दी है कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर स्थित शुल्क मुक्त दुकानों पर कर का बोझ या पाबंदी नहीं लगाई जा सकती।

# सोने में 315 रुपए की तेजी

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (भाषा)।

सोने के वैश्विक बाजार में मजबूती के संकेतों के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को इसका भाव 315 रुपए की तेजी के साथ 39,325 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोमवार सोने का बंद भाव 39,010 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी भी 1,010 रुपए की तेजी के साथ 47,330 रुपए प्रति किलोग्राम पर बोली गयी। सोमवार को इसका बाजार 46,320 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

## भेल को मिला 16अरब का ठेका

नई दिल्ली,9 अक्तूबर (भाषा)।

बिजली उत्पादन संबंधी उपकरण बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) को खुर्जा आधुनिक तापीय बिजली परियोजना के लिए टरबाइन जेनरेटर और अन्य संबद्ध उपकरणों की आपूर्ति के लिए 1,600 करोड़ रुपए का महत्त्वपूर्ण ठेका मिला है। कुल 1320 मेगावाट (660-660 मेगावाट की दो इकाइयां) की यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लगाई जा रही है।

भेल ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि कंपनी को कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच यह ठेका टीएचडीसी इंडिया लि. से मिला है। टीएचडीसी इंडिया भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसके तहत कंपनी को टरबाइन जेनरेटर और अन्य संबद्ध उपकरणों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, परीक्षण करना और उसे चालू करना है।

## गोवा : नए वाहन खरीद पर सड़क कर में 50 फीसद तक की छूट

पणजी, 9 अक्तूबर (भाषा)।

गोवा सरकार ने संकट से जूझ रहे वाहन क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देने के लिए 31 दिसंबर तक नए वाहनों की खरीद पर सड़क कर में पचास फीसद तक की कटौती करने की बुधवार को घोषणा की। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 31 दिसंबर 2019 तक नए वाहनों की खरीद पर सड़क कर 50 फीसद तक घटाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

गोवा के परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान राज्य में वाहनों के पंजीकरण में 15 से 17 फीसद की गिरावट आई है।


**अपोलो ट्रिकोट ट्यूब्स लिमिटेड**
CIN: 74900DL1983PLC014972
पंजीकृत कार्यालयः 37, हरगोविन्द एन्क्लेव, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092
कॉर्पोरेट कार्यालयः 36, कौशाम्बी, आनंद विहार टर्मिनल के निकट, वेब सिनेमा के पीछे, गाजियाबाद-201010
Web: www.apollotricoat.com
Ph. No. +91-121-4041400

**बोर्ड के बैठक की सूचना**

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 15 अक्टूबर, 2019 को 36, कौशाम्बी, आनंद विहार टर्मिनल के निकट, वेब सिनेमा के पीछे, गाजियाबाद-201010 में कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य विषयों के साथ ही विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे। विस्तृत सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.apollotricoat.com पर उपलब्ध है।

अपोलो ट्रिकोट ट्यूब्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
तिथिः 9.10.2019 सुरभि अरोड़ा
स्थानः गाजियाबाद कम्पनी सचिव

**नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड**
CIN: L65993DL1970PLC146414
पंजीकृत कार्यालय : 28, नजफगढ़ रोड, मोती नगर इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110015
फोन नं. (011)45021854, 45021812, फैक्स नं. (011)25928118, 45021982
निवेशकों हेतु ई-मेल आईडी : investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com

**सार्वजनिक सूचना - शेयर सर्टिफिकेट की गुमशुदगी**

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं। यदि इस सूचना के प्रकाशन के सात दिनों तक वैध आपत्ति नहीं मिली तो कम्पनी इनके स्थान पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी कर देगी।

जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड) के पुराने इक्विटी शेयर (11.7.1999 तक जारी)

| फोलियो सं. | शेयरधारक का नाम | सर्टिफिकेट नं. | विशिष्ट संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 433949 | कुलदीप कुमार जैन<br>सरिता जैन | 303138 | 28377676-28377765 | 90 |

जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड) के साथ विलय हुए तत्कालीन जिन्दल फेरो अलॉयज़ लिमिटेड के पुराने इक्विटी शेयर

| फोलियो सं. | शेयरधारक का नाम | सर्टिफिकेट नं. | विशिष्ट संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 429693 | कांतिलाल शंकरजी मोटा<br>रमिला कांतिलाल मोटा | 30742<br>56916 | 5524351-5524450<br>16591041-16591140 | 100<br>100 |
| 416791 | एम. गुनापाला पड़िवाल | 50395 | 15938941-15939040 | 100 |

कृते नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड
हस्ता/-
(दीपक गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
तिथि : अक्टूबर 9, 2019
स्थान : हिसार

**दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार**
कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) IV
ओ.एच.टी. ओ.आई.ए. फेज-II, गोविन्दपुरी के सामने, नई दिल्ली-20
ईमेलः eesouthiv498@gmail.com/टेली. 011-2638876
प्रैस एन.आई.टी. सं.: 65 एस-IV (2019-20)

| क्रम सं. | कार्य का विवरण | अनुमानित लागत (रु.) | ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि | ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ईई(दक्षिण)IV, एसी-52 के अंतर्गत तुगलकाबाद कंस्टीच्युएन्सी में डीआईटीई ओखला फे.-II से क्राउन प्लाजा रेड लाइट मा आनंदमयी मार्ग, ओखला फेज-I तक 24 इंच डाया वाटर लाइन का विस्थापन। | 2738441/- | 2019_DJB_181629_1<br>5.10.2019 | 30.10.2019 के 3.00 बजे अप. तक। |

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/426 कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) IV

**बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda** India's International Bank
अंचल तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाखा
4था तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
फोनः 011-25819564, 23781316, ईमेलः sardic@bankofbaroda.com

**कब्जा सूचना**
[प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

**जैसा कि,** वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 4.4.2018 जारी कर ऋणधारकों श्रीमती सीमा राजपूत, सुनील राजपूत, संजय राजपूत एवं गारन्टर श्री संजय मदान को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 4.4.2018 को रु. 11,83,046.02 (रुपये ग्यारह लाख तिरासी हजार छियालिस एवं पैसे दो मात्र) के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर पर ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 5 अक्टूबर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 4.4.2018 को रु. 11,83,046.02 (रुपये ग्यारह लाख तिरासी हजार छियालिस एवं पैसे दो मात्र) के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर पर ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप- धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

उक्त सम्पत्ति के नीचे की भूमि में फ्रीहोल्ड अधिकारों के साथ ग्राम पालम, महावीर एन्क्लेव के नाम से विदित कॉलोनी, नई दिल्ली- 110045 के क्षेत्र में स्थित श्रीमती सीमा राजपूत के नाम में खसरा नं. 83/13 के भाग में सम्पत्ति सं. ई-50, माप 119 वर्ग यार्ड्स के इक्विटैबल मार्टगैज का सभी भाग तथा हिस्सा तथा उक्त सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैः
**चौहद्दीः** पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः रोड, उत्तरः सम्पत्ति सं. ई-49, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति

तिथिः 5.10.2019, स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

**LIC MUTUAL FUND**
LIC Mutual Fund Asset Management Limited
(Investment Managers to LIC Mutual Fund)
CIN No: U67190MH1994PLC077858
Registered Office: Industrial Assurance Bldg; 4th Floor, Opp. Churchgate Station, Mumbai - 400 020.
Tel.No.: 022-66016000, Toll Free No.: 1800 258 5678, Fax No.: 022-22835606
Email: service@licmf.com • Website: www.licmf.com

**NOTICE-CUM-ADDENDUM No. 23 of 2019-2020**

NOTICE is hereby given that in accordance with Regulation 59A of SEBI ( Mutual Funds) Regulations, 1996 and SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018, the Half Yearly statement of schemes portfolio of LIC Mutual Fund ("LIC MF") for the Half year ended 30th September, 2019 has been hosted on the website of LIC MF viz. www.licmf.com and on the website of Association of Mutual Funds in India ("AMFI") viz. www.amfiindia.com.

Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of statement of schemes portfolio by any of the following modes:

1) Calling on toll free number: 1800-258-5678 from 9.00 a.m. to 6.30 p.m., Monday to Saturday; or
2) Sending an email on service@licmf.com; or
3) Sending a written request to any of the Investor Service Centers of LIC MF nearest to the unitholders; or
4) Unitholders can SMS on +91 9250 333 444 for statement of scheme portfolios
   • SMS "HEPF" for electronic copy or SMS "PHPF" for physical copy from their registered mobile number.

Investors/Unit holders are requested to take note of the same.

For LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED
Sd/-
Date : 09/10/2019
Place: Mumbai Authorised Signatory

**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**

**डीसीबी बैंक लिमिटेड** DCB BANK
7/56, 3रा तल, देशबन्धु गुप्ता रोड करोल बाग, नई दिल्ली-110005

**अचल सम्पत्ति के लिये कब्जा सूचना**
[नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन [अधिनियम, 2002 (2002 के 54)] के अंतर्गत डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7 जून, 2019 जारी कर ऋणधारक/सह-ऋणधारक/सह-आवेदकः शिवशंकर पाण्डेय तथा बलवती को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 68,34,988.17/- **(रुपये अड़सठ लाख चौंतीस हजार नौ सौ अठासी एवं पैसे सत्तरह मात्र)** वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 4 अक्टूबर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 71,20,672.40 **(रुपये इकहत्तर लाख बीस हजार छः सौ बहत्तर एवं पैसे चालिस मात्र)** तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये डीसीबी बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। आपका ध्यान उक्त अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार यदि आप बिक्री का सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व लागत, चार्जेज तथा खर्चे के साथ सभी बकाये भुगतान कर देते हैं तो प्रतिभूत परिसम्पत्ति विमोचित की जा सकती है। जान लें कि बिक्री सूचना के प्रकाशन के बाद प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने का अधिकार नहीं होगा।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**
78-ए, गली नं. 2, डाबरी एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110048

हस्ता./-
तिथिः 8.10.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली डीसीबी बैंक लिमिटेड

**प्रपत्र – 'जी'**
**अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण (पुनः द्वितीय)**
दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

**प्रासंगिक विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कार्पोरेट देनदार का नाम | प्रिमरोज़ इन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि | 03.05.2011 |
| 3. | प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है | रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा |
| 4. | कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या | U70101DL2011PTC218515 |
| 5. | कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता | प्लॉट नंबर, 251-बी, पहली मंजिल, एलआईजी फ्लैट पॉकेट-12 जसोला, नई दिल्ली-110025 |
| 6. | कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि | 04.01.2019 |
| 7. | अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि | **10.10.2019** (पहले 02.09.2019) |
| 8. | संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता : | इच्छुक पक्ष/भावी संकल्प आवेदक आईबीबीआई के विनियमन 36ए (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 ("CIRP विनियम") के उप विनियमन 7 के अनुसार अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगा। अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण के लिए पात्रता मानदंड, समाधान योजना को प्रस्तुत करने के लिए CIRP विनियमन के विनियमन 36ए के उप-विनियमन (3) (ए) में उल्लेखित है, जो कि 308, आरजी ट्रेड टॉवर, प्लॉट नंबर बी-7, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा -110034 में उपलब्ध है। यह ईमेल के माध्यम से mataassociates@gmail.com पर भेजकर भी प्राप्त किया जा सकता है। |
| 9. | धारा 29क के अधीन लागू अग्राह्यता के मानदंड : | रिजॉल्यूशन आवेदक पात्रता मानदंड के अनुसार अनुपालन करेगा, लेकिन दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29 ए के तहत निर्धारित मानदंडों तक सीमित नहीं है तथा वहीं बनाए गए नियम लागू हैं या जो बाद में समाधान योजना प्लान प्रस्तुत करने के लिए लागू हो सकते हैं और इस आमंत्रण को आगे बढ़ाने तथा/या इससे संबंधित/से संबंधित सभी मामलों के अंतर्गत आते हैं। धारा 29ए के तहत, अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण के अयोग्यता के मानदंडों का उल्लेख CIRP विनियमों के विनियमन 36ए के उप विनियमन (3)(ए) की समाधान योजना के अनुसार है, जो कि 308, आरजी ट्रेड टॉवर, प्लॉट नंबर बी-7, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा-110034 में उपलब्ध है। यह ईमेल के माध्यम से mataassociates@gmail.com पर भेजकर भी प्राप्त किया जा सकता है। |
| 10. | अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि | **28.10.2019** (पहले 30.09.2019) |
| 11. | संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि | **30.10.2019** (पहले 07.10.2019) |
| 12. | अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि | **31.10.2019** (पहले 14.10.2019) |
| 13. | संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि | **01.11.2019** (पहले 21.10.2019) |
| 14. | संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि | **02.11.2019** (पहले 14.10.2019) |
| 15. | समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि | समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन (आईएम) और गोपनीयता उपक्रम के प्रारूप के लिए अनुरोध mataassociates@gmail.com पर भेजा जाएगा। IM और डेटा रूम तक पहुँच IBC की धारा 29 (2) और CIRP विनियमों के विनियमन 36ए के उप विनियमन 7(ड़) के अनुसार निष्पादित गोपनीयता प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी, जो कि RP/CoC के एकमात्र विवेक पर है। |
| 16. | समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि | **05.11.2019** (पहले 31.10.2019) |
| 17. | समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि | समाधान योजना के साथ सभी सहायक सूचनाओं, दस्तावेजों और विभिन्न रूपों / हलफनामों / प्राधिकरणों के साथ समाधान योजना निम्नलिखित पते पर समाधान पेशेवर को प्रस्तुत की जाएगी: 308 आरजी ट्रेड टॉवर, प्लॉट नंबर बी -7, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा -110034. समाधान योजना सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी। सभी सहायक सूचनाओं, दस्तावेजों और विभिन्न रूपों / शपथ पत्रों / प्राधिकरणों को भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पासवर्ड संरक्षित पेन ड्राइव संलग्न करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समाधान योजना दस्तावेज विवरण अनुरोध पर प्रदान किये जाएंगे। |
| 18. | निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि | 11.11.2019 |
| 19. | समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर | **सीए अनिल माट्टा**<br>**आईपी पंजीकृत संख्या** : IBBI/IPA-001/IP-P00223/2017-18/10422 |
| 20. | समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है | **माट्टा एंड एसोसिएट्स,** चार्टर्ड अकाउंटेंट, 308, आरजी ट्रेड टॉवर, प्लॉट नंबर बी -7, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली -110034 **ईमेल:** mattaassociates@gmail.com |
| 21. | पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है | ऊपर की तरह |
| 22. | अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है | समाधान प्रोफेशनल **सीए अनिल माट्टा** के साथ, 308, आरजी ट्रेड टॉवर, प्लॉट नंबर बी -7 नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली -110034 |
| 23. | प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि | आईबीबीआई वेबसाइट पर – **10.10.2019**<br>अखबार प्रकाशन में – **10.10.2019** |

तिथि : 10.10.2019 **सीए अनिल माट्टा**
स्थान : नई दिल्ली अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
IBBI/IPA-001/IP-P00223/2017-18/10422

**कार बिक्री सूचना**
**अमीरा प्योर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन)**
पंजी. कार्या.: बी-1/ई-28, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110044

**ई-नीलामी**
**दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत कारों की बिक्री**
**नीलामी की तिथि एवं समयः सोमवार, 21 अक्टूबर, 2019 को 2 बजे अप. से 4.00 बजे अप. तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)**

आदेश तिथि 11 दिसम्बर, 2018 द्वारा माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-II द्वारा नियुक्त रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल द्वारा **अमीरा प्योर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड** (सीआईआरपी के अधीन) के स्वामित्व के कारों की बिक्री। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से की जाएगी।

| कारों का विवरण | ब्लॉक | आरक्षित मूल्य | धरोहर राशि की मात्रा |
|---|---|---|---|
| चल परिसम्पत्ति-होण्डा एकॉर्ड VTI-L2.4 (2011, सफेद, पेट्रोल, 36,200 कि.मी.) | ब्लॉक-1 | रु. 5,06,000/- (रुपए पाँच लाख छः हजार मात्र) | रु. 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) |
| चल परिसम्पत्ति-मर्सडीज बेंज 250 CDI (2014, सफेद, डीजल, 21,000 कि.मी.) | ब्लॉक-2 | रु. 19,20,000/- (रुपए उन्नीस लाख बीस हजार मात्र) | रु. 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) |
| चल परिसम्पत्तिः बीएमडब्ल्यू-सिरीज 750 एल (2009, सफेद, पेट्रोल, 54,500 कि.मी.) | ब्लॉक-3 | रु. 22,58,000/- (रुपए बाईस लाख अन्ठावन हजार मात्र) | रु. 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) |
| चल परिसम्पत्ति- लैंड रोवर 4.4 (2011, सफेद, डीजल 47,000 कि.मी.) | ब्लॉक-4 | रु. 24,75,000/- (रुपए चौबीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) | रु. 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) |

निरीक्षण की अंतिम तिथि एवं समयः 12 **अक्टूबर,** 2019 **(शनिवार) तथा** 13 **अक्टूबर,** 2019 **(रविवार)** 11.00 **बजे पूर्वा. से** 2.00 **बजे अप.**
बोली दस्तावेजों एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18 **अक्टूबर,** 2019 **को** 5.00 **बजे अप. से पूर्व**
**कृपया नोट करें:** विस्तृत नियम एवं शर्तें, ई-नीलामी निविदा दस्तावेज एवं ऑन लाइन नीलामी बिक्री के अन्य विवरण वेबसाईट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध हैं। आगे, स्पष्टीकरणों के लिए कृपया ई-मेलः amira.cirp@gmail.com पर अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें।

तिथिः 9.10.2019 आकाश सिंघल
स्थानः नई दिल्ली रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल
मै. अमीरा प्योर फूड्स प्रा. लि. (सीआईआरपी के अधीन कम्पनी)
पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279
खण्डेलवाल जैन एंड क., जी-8 एवं 9, हंस भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, ई-मेलः amira.cirp@gmail.com
सम्पर्क नं.: 011-23370091

**आन्ध्रा बैंक** (भारत सरकार का उपक्रम)
ओल्ड स्टेशन रोड़, एससीओ-5, जेल लैण्ड, सोहना चौक, गुडगाँव-122001
फोन नं०: 0124-2300494

**कब्जा सूचना**
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1)
अचल संपत्ति के लिए

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत **आन्ध्रा बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने माग सूचना तिथि **01.08.2019** जारी कर **ऋणधारक श्रीमती सोनिया और उमेश कुमार गुगलानी**, को सूचना की प्राप्ति की तिथि से **60 दिनों** के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु 12,84,304/– (बारह लाख चौरासी हजार तीन सौ चार मात्र)** वापस लौटाने का निदेश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, **05 अक्टूबर, 2019** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहा नीचे वर्णित सम्पति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समयके सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहा नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करे तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऋणधारकों पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

**अचल संपत्ति का विवरण**

**संपत्ति से सम्बधित सभी अंश और खण्ड :–**
**भूमि और भवन** – श्रीमती सोनिया (सम्पति की स्वामी) से संबंधित आवासीय जो मकान न. 264/24 (एम सी), 4 मरला मॉडल टाउन, गुडगाँव हरियाणा और **चौहदी –पूर्व में:** अन्य के मकान, **पश्चिम में:** संजय का मकान, **उत्तर में:** अन्य के मकान, **दक्षिण में:** गली

दिनांकः 05.10.2019 एजीएम/चीफ मैनेजर एण्ड प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः गुडगाँव आन्ध्रा बैंक

## भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
## CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम)
A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)
आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली–110020

कॉनकॉर CONCOR

### निविदा सूचना (केवल ई–टेंडरिंग मोड)

कॉनकॉर द्वारा ऑनलाइन खुली एकल निविदा प्रणाली के अंतर्गत "उत्तरी क्षेत्र में जोन–3 (यानी आईसीडी/लुधियाना, आईसीडी/घग्गर, डीसीटी/फिल्लौर, आईसीडी/बद्दी एवं पीएसडब्ल्यूसी/घग्गर में सिविल कार्यों की दिन प्रतिदिन मरम्मत और रख-रखाव" कार्य के लिए केवल ई–निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित करता है। निविदा दस्तावेज ऑनलाइन रु. 1000/– का भुगतान करने के बाद केवल वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

| | |
|---|---|
| निविदा संख्या | कॉन/उ.क्षे./अभि./Zone-3/2019 |
| अनुमानित लागत | ₹ 94.28 लाख (सभी मिलाकर) |
| पूर्णता अवधि | स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि के पश्चात 15वें दिन से 12 माह |
| धरोहर राशि जमा | ₹ 1,88,560/–, ई–भुगतान द्वारा |
| दस्तावेज का मूल्य | ₹ 1,000/– सभी करों एवं शुल्कों सहित, ई–भुगतान के माध्यम से |
| निविदा प्रोसेसिंग शुल्क | ₹ 5,310/– सभी करों एवं शुल्कों सहित, (अप्रतिदेय), ई–भुगतान के माध्यम से |
| बिक्री की तिथि (ऑनलाइन) | 10.10.2019 (11.00 बजे) से 30.10.2019 (17.00 बजे) तक |
| प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय | 31.10.2019 को 15.00 बजे तक |
| खोलने की तिथि एवं समय | 04.11.2019 को 15.30 बजे |

ग्राह्यता मानदंडों तथा अन्य विवरण के लिए www.concorindia.com अथवा eprocure.gov.in अथवा www.tenderwizard.com/CCIL लॉग ऑन करें। बोलीदाताओं से वेबसाइटस नियमित रूप से देखने का अनुरोध है। कॉनकॉर का बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

कार्यकारी निदेशक/उत्तरी क्षेत्र

---

## ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली,
### संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना

मामले में,

**ओए 514/2018**

**बैंक ऑफ बड़ौदा** — **आवेदक**
बनाम
**अनीता जग्गी एवं अन्य** — प्रतिवादीगण

**सेवा में,**

**डी–3. मै. उन्नती फार्चून होल्डिंग एलटीडी** (बिल्डर एंड डेवलपर) द्वारा उसके निदेशकों, **पंजी. कार्यालय:** टी–07 एलएल–02, कामनवेल्थ गेम गाँव नई दिल्ली–110092, **साथ ही:** 1103–बी, हैली रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001, कॉर्पो. ऑफः– बी–117, सेक्टर–67, नोएडा–201301, उ.प्र.

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 08.11.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, **25 सित. 2019** को दी गई।

**अधिकरण के आदेश से**
**सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, नई दिल्ली**

---

जनसत्ता हिन्दी, तिथि 14 मई, 2019 को पेज नं. 5 में प्रकाशित विज्ञापन के प्रकाशन के संदर्भ में यह विषय हिन्दी समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में पूर्व में प्रकाशित की गई थी। हम, पुनः इसी विज्ञापन को हिन्दी समाचार पत्र में हिन्दी में प्रकाशित कर रहे हैं तथा लिमिटेड कम्पनी से प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में कम्पनी की स्थिति में परिवर्तन के कारण जिस व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, उन्हें अपने दावे दाखिल करने के लिये आगे अवसर की स्वीकृति दे रहे हैं। दावे जमा करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, 2019 है।

**"प्रपत्र सं. आईएनसी–25ए"**
**सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिए**
**समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन**
**क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष**

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

तथा

मै. शशि सिंह एण्टरप्राईजेज लिमिटेड (कम्पनी का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय हैः बी–8, मैग्नम हाउस 1, कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, करमपुरा, नई दिल्ली–110005, आवेदक के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 10 मई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर, बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
तिथिः 9 अक्टूबर, 2019
स्थानः नई दिल्ली

नामः प्रकाश नारायण सिंह
पदनामः निदेशक
DIN: 00076392
पंजीकृत कार्यालयः बी–8, मैग्नम हाउस 1,
कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स,
करमपुरा, नई दिल्ली–110005

---

## प्रपत्र ए
## सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

### मैसर्स फोर फ्रैश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

| संबंधित विवरण | | |
|---|---|---|
| 1. | कार्पोरेट देनदार का नाम | मैसर्स फोर फ्रैश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि | 23/04/2008 |
| 3. | प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है | कम्पनी अधिनियम, 1956<br>रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली |
| 4. | कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या | U52390DL2008PTC177115 |
| 5. | कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता | प्रॉपर्टी नं. बी–9, चौथी मंजिल, आईटीएल ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली 110034 |
| 6. | कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि | 30.09.2019 (आदेश 07.10.2019 को ईमेल द्वारा प्राप्त हुआ) |
| 7. | ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि | 28.03.2020 |
| 8. | अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर | **आरती बालूजा**<br>**पंजीकृत संख्या:** IBBI/IPA-002/IP-N00780/2018-19/12378 |
| 9. | अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है। | एच–34/100, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085<br>**ईमेल आईडी:** ca.artibaluja@gmail.com |
| 10. | अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल | एच–34/100, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085<br>**ईमेल आईडी:** irpfourfresh@cabaluja.com |
| 11. | दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि | 21/10/2019 |
| 12. | अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई | नही |
| 13. | किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम) | लागू नही |
| 14. | (क) संबंधित प्रपत्र और<br>(ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है : | (क) वेबलिंक: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads<br>(ख) लागू नही |

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने दिनांक **30 सितम्बर, 2019** को **मैसर्स फोर फ्रैश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

**मैसर्स फोर फ्रैश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड** के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **21 अक्टूबर 2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि होम बायर्स श्रेणी का प्रपत्र सीए (श्रेणी का उल्लेख) में निदर्शित करेगा–लागू नही.

**दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।**

हस्ता/–
**आरती बालूजा**
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल

दिनांक : 10 अक्टूबर 2019
स्थान : नई दिल्ली
**पंजीकृत संख्या:** IBBI/IPA-002/IP-N00780/2018-19/12378

---

## FORM G - INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

| RELEVANT PARTICULARS | | |
|---|---|---|
| 1 | Name of the corporate debtor | Rayan Laboratories Private Limited |
| 2 | Date of incorporation of corporate debtor | September 20, 2006 |
| 3 | Authority under which corporate debtor is incorporated / registered | Registrar of Companies, New Delhi |
| 4 | Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor | U24234DL2006PTC211385 |
| 5 | Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor | **Regd. Office:** 30/31, Basement Old Rajender Nagar New Delhi-60 (Not in use)<br>**Principal Place:** Khasra No. 390, Matlab Pur, Roorkee, Uttrakhand |
| 6 | Insolvency commencement date of the corporate debtor | October 03, 2018 |
| 7 | Date of invitation of expression of interest | October 07, 2019 |
| 8 | Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at: | Details can be obtained by sending email at susheelgupta@hotmail.com |
| 9 | Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at: | Details can be obtained by sending email at susheelgupta@hotmail.com |
| 10 | Last date for receipt of expression of interest | October 21, 2019 |
| 11 | Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants | October 22, 2019 |
| 12 | Last date for submission of objections to provisional list | October 26, 2019 |
| 13 | Date of issue of final list of prospective resolution applicants | October 27, 2019 |
| 14 | Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants | October 26, 2019 |
| 15 | Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information | The RP will share the Evaluation Matrix, Information Memorandum, RFRP via e-mail after verification of KYC, capacity to invest, eligibility to invest, eligibility under section 29A and prequalification criteria as approved by CoC. |
| 16 | Last date for submission of resolution plans | November 06, 2019 |
| 17 | Manner of submitting resolution plans to resolution professional | In electronic form on email ID susheelgupta@hotmail.com and a hard copy in sealed envelope by speed post or hand delivery. |
| 18 | Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval | To be decided, but before November 14, 2019 |
| 19 | Name and registration number of the resolution professional | Name: Susheel Kumar Gupta<br>Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00846/2017-18/11419 |
| 20 | Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board | Name: Susheel Kumar Gupta<br>Address: B-66, Second Floor, CC Colony, Opp. Rana Pratap Bagh, Delhi - 7<br>Email Id: susheelgupta@hotmail.com |
| 21 | Address and email to be used for correspondence with the resolution professional | Email Id: susheelgupta@hotmail.com<br>Address: Susheel Kumar Gupta, 103, First Floor, 7255, Ajindra Complex, Shakti Nagar, Delhi – 7<br>Susheel Kumar Gupta, |
| 22 | Further Details are available at or with | susheelgupta@hotmail.com |
| 23 | Date of publication of Form G | October 10, 2019 |

Susheel Kumar Gupta
**Reg, No.:** IBBI/IPA-001/IP-P00846/2017-18/11419
**Regd. Address:** B-66, Second Floor, C C Colony, Opp. Rana Pratap Bagh, Delhi – 7
**Regd. E Mail Id:** susheelgupta@hotmail.com
Resolution Professional for Rayan Laboratories Private Limited
**Date:** October 7, 2019 | **Place:** Delhi

---

## ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली,
### संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना

मामले में,

**ओए 467/2018/डीआरटी–III**

**बैंक ऑफ बड़ौदा** — **आवेदक**
बनाम
**मयंक जैन एवं अन्य** — प्रतिवादीगण

**सेवा में,**

**डी–1. मयंक जैन**, निवासी 148, 2रा तल, गोपाल पार्क, कृष्णा नगर, दिल्ली–110051 **साथ ही:** मकान सं. 9, नीम चौराहा, फिरोजाबाद, **साथ ही:** सी–68, बेस्मेन्ट, सेक्टर–63, नोएडा–201301

**डी–2. नवीन जैन**, निवासी 148, 2रा तल, गोपाल पार्क, कृष्णा नगर, दिल्ली–110051 **साथ ही:** मकान सं. 9, नीम चौराहा, फिरोजाबाद, **साथ ही:** सी–68, बेस्मेन्ट, सेक्टर–63, नोएडा–201301

**डी–3. मै. आइडिया बिल्डर्स प्रा. केएलटीडी** (बिल्डर एंड डेवलपर) द्वारा उसके निदेशकों, **पंजी. कार्यालय:** सी–249, 1ला तल, निकट पार्क, विवेक विहार, नई दिल्ली–95

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 13.11.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, **25 सित. 2019** को दी गई।

**अधिकरण के आदेश से**
**सहायक रजिस्ट्रार**
**डीआरटी–III, नई दिल्ली**

---

## ऋण वसूली अधिकरण – III, दिल्ली के समक्ष
## संसद मार्ग, नई, दिल्ली – 110001

**बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना**

निम्नलिखित के मामले में

**ओ.ए. सं. 177/2019/डीआरटी–III**

**इण्डियन ओवरसीज बैंक** (आवेदक) **बनाम** **पूर्वी हॉस्पिटैलिटी एवं अन्य** (प्रतिवादीगण)

सेवा में,

| | |
|---|---|
| डी–1 | **पूर्वी हॉस्पिटैलिटी, स्वामी श्री परवीन दहिया** के माध्यम से, 9ए –11 एवं 9ए–12, मेट्रो वॉक सेक्टर 10, रोहिणी, नई दिल्ली **अन्य पता** : वर्धमान प्लाजा 101–1–5, बीई प्रशांत विहार, पीवीआर मॉल के सामने, दिल्ली–110085 **अन्य पता** :– मकान न. 92, डीडीए एलआईजी फ्लैट्स, ब्लॉक एफ, पॉकेट III, सेक्टर 15, रोहिणी दिल्ली –110085 |
| डी–2 | **श्री परवीन दहिया पुत्र बलबीर सिंह** मकान नंबर 92, डीडीए एलआईजी फ्लैट्स, ब्लॉक एफ, पॉकेट III, सेक्टर 15, रोहिणी दिल्ली –110085 |

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **26–11–2019 को पूर्वा. 10.30 बजे** इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **06 सितंबर, 2019** को दिया गया।

**न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा**
**सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, नई दिल्ली**

---

## न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

NUCLEUS SOFTWARE

**सीआईएन : L74899DL1989PLC034594**
पंजीकृत कार्यालयः 33–35, त्यागराज नगर मार्केट, नई दिल्ली–110003
फोन : +91-120-4031400; फैक्स: +91-120-4031672
ईमेल : investorrelations@nucleussoftware.com
वेबसाइट : www.nucleussoftware.com

### सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 29 एवं 47 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 23 अक्टूबर 2019 को दिल्ली/एनसीआर में:

क) 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अंकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों;

ख) 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु आयोजित की जाएगी।

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित वित्तीय परिणाम बुधवार, 23 अक्टूबर 2019 को मंडल की बैठक की समाप्ति के उपरान्त घोषित किया जाएगा।

इस सूचना में निहित जानकारी कम्पनी की वेबसाइट (http://www.nucleussoftware.com/investors) एवं स्टॉक एक्सचेंजो (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध हैं।

कृते **न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड**
हस्ता./–
**पूनम भसीन**
**कम्पनी सचिव**

**दिनांक : 09 अक्टूबर, 2019**
**स्थान : नोएडा**

---

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda POWER OF 3
(GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

**पूर्व का विजया बैंक– अब बैंक ऑफ बड़ौदा अग्रवाल टॉवर, हुडा चौक, पलवल शाखा, पलवल जिला, 121102 (भारत सरकार का उपक्रम)**
**दूरभाष : 01275–240371, ई–मेल : vb8329@vijayabank.co.in**

**कब्जा सूचना** (अचल सम्पत्ति/यों हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित नियम 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंक ऑफ बड़ौदा, पलवल शाखा, हरियाणा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार श्रीमती अनुराधा पत्नी जय नारायण (कर्जदार) तथा श्री जय नारायण पुत्र श्री रामवीर (सह–कर्जदार) से 31.05.2019 तक सूचना में उल्लिखित बकाया रु. 19,92,027.46 (रुपये उन्नीस लाख बानवे हजार सत्ताईस और छियालीस पैसे मात्र) तथा 01.06.2019 से प्रभावी भावी ब्याज एवं आकस्मिक प्रभारों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए 03.06.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी। राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्द्वारा कर्जदार/ जमानती तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित नियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 05 अक्टूबर, 2019 को कब्जा कर लिया है। एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदार/ जमानती को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 31.05.2019 तक रु. 19,92,027.46 (रुपये उन्नीस लाख बानवे हजार सत्ताईस और छियालीस पैसे मात्र) की राशि तथा कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 01.06.2019 से प्रभावी भावी ब्याज एवं आकस्मिक प्रभारों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, पलवल शाखा, हरियाणा के अभियोग का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

म.नं. 165, वार्ड सं. 1, प्रकाश विहार कॉलोनी, निकट देहात बिजली बोर्ड, शहीद माही लाल स्मारक, पलवल–121101, हरियाणा पर स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग जिसकी माप 689 वर्ग फीट है,

जिसकी सीमा
पश्चिम की ओरः सड़क — पूर्व की ओरः सतपाल सिंह का मकान
दक्षिण की ओरः हैप्पी सिंह का मकान — उत्तर की ओरः सोहन पाल सिंह का मकान

**स्थानः पलवल** **दिनांक** : 05.10.2019 **अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

---

## आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड

**(पहले कॅपिटल फर्स्ट होम फायनान्स लिमिटेड से पहचाने जाने वाली)**

IDFC FIRST Bank

**सीआयएनः एल65110टीएन2014पीएलसी097792**
**पंजीकृत कार्यालय:** केआरएम टॉवर्स, 8वी मंझील, हॅरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई - 600031.
**दूरः** +91 44 4564 4000 **फॅक्सः** +91 44 4564 4022. **प्राधिकृत अधिकारी:** रोहित दुदेजा/
**संपर्क क्रमांकः** + 91 – 7838324723

**अपेंडिक्स–IV–ए [नियम 8 (6) का प्रावधान देखे]**
**अचल मालमत्ता के बिक्री के लिये बिक्री सूचना**

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पढ़े जाने वाले सिक्युरीटायझेशन अँड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनॅन्शियल ॲसेटस अँड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, 2002 के अंतर्गत अचल मालमत्ता के बिक्री के लिये ई–निलामी सूचना

सामान्य जनता और खास कर के कर्जदार (दारों) और हमीदार (दारों) से इसके जरीये सूचना दि जा रही है की सुरक्षित धनको के पास गिरवी रखे गये/ प्रभारित किये गये नीचे दिये अधिक विस्तार से दिये गये अचल जायदाद का फिजिकल पझेशन कॅपिटल फर्स्ट होम फायनान्स लिमिटेड और अभी के आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने लिया है जिसकी बिक्री 29–10–2019 के दिन "जो है जहां है", "जो है जैसे है" और "जैसे है वैसे है" इस आधार पर **सौरभ बंसल, अशोक बंसल, सौरभ इंडिया प्रा.ल., सुनिता बंसल (कर्जदार–सहकर्जदार) से आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड (पहले कॅपिटल फर्स्ट होम फायनान्स लिमिटेड से पहचाने जाने वाली)** को बकाया राशी 09–04–2019 के अनुसार आयएनआर 2,66,97,422.43/– के पुनःप्राप्ती के लिये की जायेगी।

**आरक्षित राशी आयएनआर 2,02,50,000/– (रुपये दो करोड दो लाख पचास हजार मात्र) और आयएनआर 20,25,000 (रुपये बीस लाख पचीस हजार मात्र) बकाया राशी रहेगी.**

**अचल जायदाद का वर्णन**

जायदाद का पुरा पता– जायदाद का धारण किय हुवा नं. ई–345, ग्राउंड फ्लोर, सेड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश– II, गांव बहापूर नई दिल्ली– 110048 का सभी खंड और भूखंड जिसकी सीमायेः पूर्वः प्लॉट नं. ई–343, पश्चिमः प्लॉट नं. ई–347, उत्तरः सर्विस लेन, दक्षिणः रोड

बिक्री के शर्तों के पुरे ब्यौरे के लिये आयडीएफसी फर्स्ट बँक के वेबसाईट का याने की www.idfcfirstbank.com का संदर्भ ले.

**टिप्पणी:** इस जाहीर सूचना के जरीये 22.10.2019 के दिन होनेवली निलामी इस के जरीये रहित किया जा रहा है और इस सूचना की शर्ते वैध ही रहेंगी।

**खंडनः** इस सूचना को केवल अचल जायदाद के बिक्री के लिये [पारित किया गया है और आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड को अचल जायदाद की जगह यदी कोई चल जायदाद होती है तो उसके बिक्री का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है.

**हस्ताक्षर**
**प्राधिकृत अधिकारी**
**आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड**
**(पहले कॅपिटल फर्स्ट होम फायनान्स लिमिटेड से पहचाने जाने वाली)**

**दिनांक:** 10–10–2019

---

## Subros Limited

**Regd. Office:** LGF, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001
**Tel.** 011-23414946-49, **Fax No.** 011-23414945
**CIN No.** L74899DL1985PLC020134
**E-mail:** rakesh.arora@subros.com **Website:** www.subros.com

### NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 22nd October, 2019, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2019.

The details of the said meeting are also available on the website of the Company www.subros.com and on the website of the Stock Exchange(s) www.nseindia.com and www.bseindia.com

For SUBROS LIMITED
Sd/-
Rakesh Arora
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 09.10.2019

---

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda POWER OF 3
(GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

**पूर्व का विजया बैंक–अब बैंक ऑफ बड़ौदा**
**अग्रवाल टॉवर, हुडा चौक, पलवल शाखा, पलवल जिला, 121102**
**(भारत सरकार का उपक्रम) दूरभाष : 01275–240371**
**ई–मेल : vb8329@vijayabank.co.in**

**कब्जा सूचना** (अचल सम्पत्ति/यों हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित नियम 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंक ऑफ बड़ौदा, पलवल शाखा, हरियाणा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार **श्री अमरनाथ पुत्र चन्द्रिका प्रसाद (कर्जदार) तथा श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी अमरनाथ ओझा (सह–कर्जदार)** से 31.05.2019 तक सूचना में उल्लिखित बकाया **रु. 12,03,139.62 (रुपये बारह लाख तीन हजार एक सौ उनतालीस और बासठ पैसे मात्र)** तथा 01.06.2019 से प्रभावी भावी ब्याज एवं आकस्मिक प्रभारों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए 03.06.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्द्वारा कर्जदार/जमानती तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित नियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर **05 अक्टूबर, 2019** को कब्जा कर लिया है।

एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदार/जमानती को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 31.05.2019 **तक रु. 12,03,139.62 (रुपये बारह लाख तीन हजार एक सौ उनतालीस और बासठ पैसे मात्र)** की राशि तथा कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 01.06.2019 से प्रभावी भावी ब्याज एवं आकस्मिक प्रभारों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, पलवल शाखा, हरियाणा के अभियोग का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

फ्लैट सं. सी–327, भूतल, एस.आर.एस. सोसाइटी, सेक्टर–6, पलवल–121101, हरियाणा पर स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग जिसकी माप 250 वर्ग फीट है,

जिसकी सीमा
पश्चिम की ओरः खाली भूमि — पूर्व की ओरः 30 फीट चौड़ी सड़क
दक्षिण की ओरः सेक्टर 5 एवं सेक्टर 6 की विभाजक सड़क — उत्तर की ओरः अन्य का फ्लैट

स्थानः पलवल दिनांकः 05.10.2019 अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

---

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank — **BRANCH - MALIWARA, GHAZIABAD.**

### कब्जा नोटिस
### 8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक मालीवाड़ा शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.07.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता मै0. अंकित ट्रेडिंग कं0. श्री संजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरी राम गुप्ता, श्रीमती गीता अग्रवाल पत्नि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, श्री सुनील कुमार बिन्डल पुत्र श्री ग्यानचन्द्र बिन्डल खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.– 1,36,83,286.05/– (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख त्रियासी हजार दो सौ छियासी और पांच पैसा केवल) अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04 अक्टूबर 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन सिंडिकेट बैंक, मालीवाड़ा, गाजियाबाद शाखा को देय धनराशि रू.– 1,41,51,951.54/– (रुपये एक करोड़ इकतालिस लाख इक्यावन हजार नौ सौ इक्यावन और चउवन पैसा केवल) दिनांक 30.09.2019 अदा करने को तथा उस पर ब्याज दिनांक 01.10.2019 को अदा करने को कहा गया था।

**अचल संपत्तियों का विवरण**

1. प्लॉट नं0. 409, वर्तमान नं0. 755, तुराब नगर, किराना मण्डी, गाजियाबाद जिसकी माप 54.34 स्क्वेयर मीटर मालिक श्रीमति गीता अग्रवाल पत्नि श्री संजीव कुमार अग्रवालऔर श्री संजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरि राम गुप्ता। **जिसकी सीमाऐ– उत्तर** में अन्य सम्पत्ति, **दक्षिण** में प्रॉपर्टी प्लॉट नं0. 410 की, **पूर्व** में अन्य सम्पत्ति और **पश्चिम** में लेन।
2. प्लॉट नं0. 426, पुराना प्लॉट नं0. 15, तुराब नगर, किराना मण्डी, गाजियाबाद जिसकी माप 17.999 स्क्वेयर मीटर मालिक श्रीमति गीता अग्रवाल पत्नि श्री संजीव कुमार अग्रवालऔर श्री संजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरि राम गुप्ता। **जिसकी सीमाऐ– उत्तर** में अन्य सम्पत्ति, **दक्षिण** में अन्य सम्पत्ति, **पूर्व** में लेनऔर **पश्चिम** में अन्य सम्पत्ति।

**दिनांक: 04.10.2019**
**स्थानः मालीवाड़ा।**

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय

---

## TATA टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

**सम्पर्क का पताः** 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, भारत

### मांग सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत**

सेवा में
1. स्टुडियो बिस्ता एनिमेशन पी. लि., द्वारा उसके निदेशक श्री विजय शर्मा, ए–1, रिंग रोड, रजौरी गार्डन, दिल्ली–110027
साथ हीः सी–77, ब्लॉक सी, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग वेस्ट, नई दिल्ली–110026
2. श्रीमती प्रेमा शर्मा, उर्फ प्रेम कान्ता
सी–62, दूसरा तल, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026
3. मै. त्रिअम्बके इन्फो टेक्नोलॉजीज प्रा.लि., द्वारा उसके निदेशक श्री विजय शर्मा, ए–1, रिंग रोड, रजौरी गार्डन, दिल्ली–110027
साथ हीः सी–77, ब्लॉक सी, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग वेस्ट, नई दिल्ली–110026
4. श्री विजय शर्माः सी–77, ब्लॉक सी, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग वेस्ट, नई दिल्ली–110026
साथ हीः सी–62, दूसरा तल, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026
5. श्रीमती स्मिता शर्मा, सी–77, ब्लॉक सी, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग वेस्ट, नई दिल्ली–110026
साथ हीः सी–62, दूसरा तल, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026

प्रिय महोदय/महोदया,

एलएएन 4844779 में 26.4.2015 को टीसीएफएसएल की दिल्ली शाखा द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 10 सितम्बर, 2019 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये ऋण खाता सं. 4844779 में रु. 1,71,90,608.71 (रुपये एक करोड़ इकहत्तर लाख नब्बे हजार छः सौ आठ तथा पैसे इकहतर मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार–बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 7 सितम्बर, 2019 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 11 सितम्बर, 2019 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ ऋण खाता सं. 4844779 के अंतर्गत 10 सितम्बर, 2019 को रु. 1,71,90,608.71 (रुपये एक करोड़ इकहत्तर लाख नब्बे हजार छः सौ आठ तथा पैसे इकहत्तर मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

कम्पनी ने मांग सूचना तिथि 5 सितम्बर, 2018 के माध्यम से धारा 13(2) के अंतर्गत आपके विरुद्ध सरफैसी कार्रवाई शुरू की तथा सम्पत्ति प्लॉट नं. सी–77, (दूसरे तल को छोड़कर) शिवाजी पार्क,पंजाबी बाग, दिल्ली–110026 (जिसका विशेष विवरण सम्पत्ति की अनुसूची में वर्णित है) के विरूद्ध सरफैसी कार्रवाई शुरू की गई।

आपके द्वारा की गई अनुरोध तथा आंशिक राशि के भुगतान का विचार करते हुए टीसीएफएसएल ने एक सम्पत्ति, प्रथम तल, प्लॉट नं. सी–77, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, दिल्ली–110026 को रिलीज कर दिया। कि, यहाँ ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों में से भूतल, प्लॉट नं. सी–77, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, दिल्ली–110026 का कम्पनी में मार्टगेज कायम रहा तथा ऋण सुविधा की अनवरतता के दौरान अनुरोध की प्राप्ति पर शेष को मुक्त कर दिया गया, अतः अधिनियम के अंतर्गत आपको जारी की जा रही वर्तमान सूचना का वह भाग नहीं है। कन्टीन्यूइंग सिक्युरिटी कम्पनी में बनी रही जिसका विशेष रूप से सम्पत्ति की अनुसूची में विवरण दिया गया है।

कि, आपने ऋण अनुबंध के नियमों एवं शर्तों का समग्र रूप से उल्लंघन किया है तथा इस प्रकार की चूक के कारण कम्पनी ने एक बार पुनः 7 सितम्बर, 2019 को आपकी खाता को एनपीए घोषित कर दिया है।

**संपत्तियों की अनुसूची**

शिवाजी पार्क, नई दिल्ली–110026 के नाम से विदित स्वीकृत कॉलोनी में स्थित सम्पूर्ण भूतल, प्लॉट नं. सी–77, कुल क्षेत्रफल माप 554 वर्ग यार्ड्स के फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट पर निर्मित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति के भाग में पश्चिमी दिशा के आधे भाग, माप 277 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित जिसका विस्तृत विवरण बुक नं. 1, बॉल्यूम नं. 25, पेज नं. 205–208 में 12.2.1955 को दस्तावेज सं. 1665 के रूप में पंजीकृत, पंजीकृत कॉन्वियंस डीड तिथि 11 फरवरी, 1955 में दिया गया है। चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. सी–78, पूर्वः कम्पनी की भूमि, पश्चिमः रोड।

चूंकि सूचना 11 सित., 2019 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 10.10.2019

**प्राधिकृत अधिकारी**
**टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.**

---

## यूपी होटल्स लिमिटेड

**CIN: L55101DL1961PLC017307**
**पंजीकृत कार्यालयः** 1101, **सूर्य किरण,** 19, **कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली**–110001
**फोन.:** 011–23722596–8, **फैक्सः** 011–23312990
**ईमेल.:** clarkssuryakiran@yahoo.co.in **वेबसाईटः** www.hotelclarks.com

### सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 13 नवम्बर, 2018 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सित., 2018 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

यह सूचना स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.hotelclarks.com पर भी उपलब्ध है।

**यूपी होटल्स लिमिटेड के लिये**
हस्ता./–
**प्रकाश चन्द्र प्रुस्ती (कम्पनी सचिव)**

**स्थानः नई दिल्ली**
**तिथिः** 31.10.2018

---

JSL JINDAL STAINLESS

## जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड

**CIN: L26922HR1980PLC010901**
पंजीकृत कार्यालय : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005 (हरियाणा)
फोन नं. (01662) 222471-83, फैक्स नं. (01662) 220499
निवेशकों हेतु ई-मेल आईडी: investorcare@jindalstainless.com
वेबसाइट : www.jslstainless.com

### सार्वजनिक सूचना - शेयर सर्टिफिकेट की गुमशुदगी

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं। यदि इस सूचना के प्रकाशन के सात दिनों तक वैध आपत्ति नहीं मिली तो कम्पनी इनके स्थान पर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देगी।

**कम्पनी के प्रति शेयर 10/- रुपये अंकित मूल्य के पुराने इक्विटी शेयर (9.3.2004 से पहले जारी)**

| फोलियो सं. | शेयरधारक का नाम | सर्टिफिकेट नं. | विशिष्ट संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 419337 | रूपल शैलेशकुमार गांधी<br>केशवलाल ठाकरसी गांधी | 221045 | 22033631-22033637 | 7 |
| 87370 | मूर्ति देवी | 213701 | 21594021-21594052 | 32 |
| 416791 | एम. गुनापाला पड़िवाल | 220302 | 22023195-22023209 | 15 |

कृते **जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड**
हस्ता/-
**(नवनीत रघुवंशी)**
**कम्पनी सचिव**

**तिथि : 9 अक्टूबर, 2019**
**स्थान : नई दिल्ली**

---

## प्रपत्र ए
## सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

**कोपरगाँव अहमदनगर टोलवेज (फेज–I) प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ**

| संबंधित विवरण | | |
|---|---|---|
| 1. | कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम | कोपरगाँव अहमदनगर टोलवेज (फेज–I) प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि | 15 अक्टूबर, 2012 |
| 3. | वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है | कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली |
| 4. | कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या | CIN: U45203HR2012PTC047422 |
| 5. | कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता | आरओसी कम्पनी मास्टर डैटा के अनुसार पंजीकृत कार्यालयः 510, 5वाँ तल, एबीडब्ल्यू टावर, ईफको चौक, एमजीरोड, गुड़गाँव, हरि 122002, भारत |
| 6. | कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि | 7 अक्टूबर, 2019 |
| 7. | दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि | 4 अप्रैल, 2020 |
| 8. | अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है | वनित कुमार मित्तल<br>पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P01483/2018-19/12252 |
| 9. | बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः | पताः सी–2495, बेस्मेन्ट, सुशांत लोक–1, गोल्ड सॉक मॉल के निकट, गुड़गाँव, हरियाणा–122002<br>ईमेलः vanit.mittal@vmtcorpadvisors.com |
| 10. | अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल | पताः सी–2495, बेस्मेन्ट, सुशांत लोक–1, गोल्ड सॉक मॉल के निकट, गुड़गाँव, हरियाणा–122002<br>ईमेलः vanit.mittal@vmtcorpadvisors.com |
| 11. | दावे जमा करने की अंतिम तिथि | 21 अक्टूबर, 2019 |
| 12. | क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया | आईआरपी को अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं। |
| 13. | किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम) | लागू नहीं |
| 14. | (क) संबंधित प्रपत्र तथा<br>(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है | वेबलिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads<br>आईआरपी को अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं। |

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ ने 7 अक्टूबर, 2019 को कोपरगाँव अहमदनगर टोलवेज (फेज–I) प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा कोपरगाँव अहमदनगर टोलवेज (फेज–I) लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं.10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 21 अक्टू. 2019 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाए–आईआरपी को अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

**तिथिः 9 अक्टूबर, 2019**
**स्थानः गुड़गाँव**

**वनित कुमार मित्तल**
**अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल**

---

**एलसीआरडी/ नई दिल्ली प्रभाग**
**फेडरल टावर 2/2, प्रथम तल, पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली– 110008,**
**फोन नं.: 011–4073390, 981, 982**

## फेडरल बैंक
### आपका संपूर्ण बैंकिंग पार्टनर

**रेफ. नं. एनडीएलडब्ल्यू/एसपीएल–/ 2019** **तिथि: 9.10.2019**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 (यहां के बाद अधिनियम के रूप में वर्णित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना**

1. श्री सिंह राम, पुत्र श्री रोहताश सिंह
2. श्रीमती सुमन, पत्नी श्री सिंह राम
3. श्री विजय पाल, पुत्र श्री बलबीर

सभी निवासीः एच.नं. 19, कैलन पन्ना गांव, टिकड़ी कलान, दिल्ली–110041

आप में 1 ने प्रधान ऋणधारक के रूप में तथा आप में 2रे ने सह–देनदार एवं आप में 3रे ने गारन्टरों के रूप में बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति अनुबंधों/ ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने के बाद बहादुरपुर में उसकी शाखा के माध्यम से द फेडरल बैंक लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय अल्वाये में है, (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित) से 17.4.2015 को रु. 6.00 लाख (रुपये छः लाख मात्र) की फेडरल एग्री मोबाईल ऋण की सुविधा प्राप्त की है। बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधा की प्रतिभूति के लिए आप में 1 ने अधोलिखित संपत्तियों के संदर्भ में हाइपोथेकेशन द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया हैः–

**हाइपोथेकेटेड चल संपत्तियों का विवरण**

1) ब्रैण्ड न्यू हॉलैण्ड ट्रैक्टर (मॉडल 3630) पंजीकरण संख्या HR 13H- 8311, चैसिस नं. एनएच 2273228, इंजिन नं. 131303 डी

श्री सिंह राम ने बहादुर शाखा से खाता नं. 15875500000391 के अंतर्गत एफकेसीसी भी प्राप्त की है। यह खाता भी एनपीए की स्थिति में है। इस खाता में रु. 4,20,461/– की राशि 31.3.2019 को बकाया है।

उपरोक्त हाइपोथेकेटेड/ गिरवी संपत्तियां यहां के बाद "प्रतिभूत परिसंपत्तियों" के रूप में वर्णित हैं। फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा आपको सूचित करते हैं कि बैंक के बहादुरगढ़ शाखा में आपकी फेडरल एग्री मोबाईल ऋण खाता 15876600000158 के अन्तर्गत 29.3.2019 को रु. 1,77,632/– (रुपये एक लाख सतहत्तर हजार छः सौ बत्तीस मात्र) की राशि आप पर संयुक्त तथा पृथक रूप से बकाया है। पुनर्भुगतान में आपकी चूक को देखते हुए भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार आपकी खाता/ओं को गैर–प्रचालन परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आप सभी सह–देनदार/ सह–ऋणधारक के रूप में तथा कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में बैंक को बकाये का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 29.3.2019 से भुगतान की तिथि तक मासिक रेस्ट्स के साथ 10.88% की दर पर आगे के ब्याज तथा 2% प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज तथा लागतों के साथ उक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आप तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध पट्टा, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा उसके अंतरण अथवा आपको आगे कोई सूचना दिए बिना बकाए की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन के अधिग्रहण के अधिकार सहित उसका अधिग्रहण करने जैसी सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा।

सूचित किया जाता है कि बैंक की लिखित अनुमति के बिना आप नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकते हैं। अपनी देयता को निष्पादित नहीं करने तथा बैंक द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की स्थिति में आप उसके आगे भी उस सिलसिले में वहन किए गए सभी लागत, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री राशि से संपूर्ण देयता पूरी नहीं होती है तो आगे बिना किसी सूचना बैंक शेष राशि की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों) को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

**यह सूचना 7 सितम्बर, 2019 को जारी की गई थी तथा वह आपको सर्व नहीं की जा सकी जिस कारण से सरफेसी अधिनियम के अनुसार यह प्रकाशन आवश्यक हो गया है।**

यह सूचना बकाए की वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह–रहित है।

**आज, 9 अक्टूबर, 2019 को।**
**तिथिः 9 अक्टूबर, 2019**

**द फेडरल बैंक लि. के लिए, सहायक उपाध्यक्ष**
**(सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी)**

# पीएम नवाचार शिक्षण कार्यक्रम में 'ध्रुव तारे' बनेंगे विद्यार्थी

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर ।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक गुरुवार को बंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में विशिष्ट प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (पीएमआइएलपी) 'ध्रुव' का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 60 बच्चों को 'ध्रुव तारा' कहा जाएगा। 14 दिन का यह कार्यक्रम 23 अक्तूबर, 2019 को आइआइटी दिल्ली में आयोजित समापन समारोह में पूरा होगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी पूरी क्षमता का अहसास कराना और समाज के लिए योगदान देने के लिए प्रेरित करना होगा। इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय नागरिक विंग कमांडर राकेश शर्मा एसी (सेवानिवृत्त), भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजय राघवन इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का नाम 'ध्रुव' होगा और हर विद्यार्थी 'ध्रुव तारा' कहलाएगा। इस प्रकार छात्र अपनी उपलब्धियों के माध्यम से चमकेंगे और दूसरों के अनुसरण के मार्ग को प्रकाशित करेंगे। इस कार्यक्रम में दो क्षेत्र विज्ञान और कला प्रदर्शन शामिल हैं। कुल मिलाकर 60 छात्र होंगे, जिसमें हर क्षेत्र में 30 छात्र होंगे। सरकारी और निजी स्कूलों से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने और उन्हें प्रोत्साहन देने, उनके कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए शुरू किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में मौजूद उत्कृष्टता केंद्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में जाने-माने विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों को परामर्श और प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच सकें। उन्होंने उम्मीद जाहिर कि अधिकांश चुने गए विद्यार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में उच्चतम स्तर तक पहुंचेंगे और अपने समुदाय, राज्य और राष्ट्र के लिए गौरव अर्जित करेंगे। (ब्यूरो)

# 1991 के चर्चित मेहराना कांड के सजायाफ्ता कैदी की आगरा जेल में मौत

मथुरा, 9 अक्तूबर (भाषा)।

*आजाद* के अनुसार, इस मामले में पुलिस ने 54 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया था। 20 वर्ष चली कानूनी जिरह के बाद 2011 में फैसला सुनाया था। *उम्रकैद* की सजा पाने वाले गिर्राज सिंह की मौत हो गई।

जिले के मेहराना गांव में अंतरजातीय प्रेम संबंधों के एक प्रकरण में तीन युवाओं को पीट-पीट कर फांसी पर लटकाने के 1991 के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक अभियुक्त की सोमवार को मौत हो गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 1991 के मार्च माह में बरसाना के मेहराना गांव में उच्च जाति की एक युवती को दलित युवक से प्रेम के आरोप में फांसी दे दी गई। साथ ही उसके दलित प्रेमी व उसके मददगार चचेरे भाई को भी फांसी पर लटका दिया गया। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार आजाद ने बुधवार को बताया कि मेहराना गांव की पंचायत ने तीनों को गांव की मान-मर्यादा भंग करने का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। तीनों को पीट-पीट कर एक पेड़ पर फांसी दे दी गई और उनके शव गांव के बाहर श्मशान में जला दिए गए।

आजाद के अनुसार, इस मामले में पुलिस ने 54 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया था। 20 वर्ष चली कानूनी जिरह के बाद 2011 में फैसला आया। सत्र अदालत ने 16 नवंबर, 2011 को आठ दोषियों को फांसी व 27 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उम्रकैद की सजा पाने वालों में एक गिर्राज सिंह भी था। मृतक के पुत्र राजू ने बताया कि पुलिस ने उन्हें सूचित किया था इसी वर्ष आगरा के जिला कारागार में स्थानांतरित किए गए, इस मामले के सजायाफ्ता उसके पिता गिर्राज सिंह (72) की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है।

राजू के अनुसार, पिता के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके सुपुर्द कर दिया गया, जिसका उन्होंने मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में गिर्राज सिंह के बड़े चाचा नवल सिंह, छोटे चाचा लाल सिंह और बड़े भाई प्रीतम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इनमें नवल सिंह की मृत्यु हो चुकी है। नवल सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान था, जिसकी अगुआई में हुई पंचायत में युवती व दोनों युवकों को मौत की सजा सुनाई गई थी।


## पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

शाखा : 2400, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ताओं / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि ये उक्त सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

| कर्जदार और गारंटर का नाम | प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण | मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख | बकाया राशि (रू. में) |
|---|---|---|---|
| उधारकर्ता: मैसर्स योगम ट्रेडर्स श्री अरूण कुमार (प्रोपराईटर) गारंटर्स श्रीमती अंजू जैन श्रीमती गुड़िया जैन | सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि व्यवसायिक सम्पत्ति गोदाम हॉल, बेसमेंट सम्पत्ति नं. 11678/2, गली नं. 2, बस्ती रैगरपुरा, सत नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती अंजू जैन के नाम पर है। क्षेत्रफल 150 वर्ग गज और कवर्ड क्षेत्रफल 1025 वर्ग फीट(41'x25') कवर्ड डीड नं. 11868 दिनांकित 19.12.2011 | 05-12-2018 / 04-10-2019 | रु. 2,67,42,548.48 दिनांक 30.11.2018 तक ब्याज की गणना प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित |

दिनांक 04.10.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक



## इंडियन बैंक Indian Bank

अंचल कार्यालयः 2-बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, 11, महात्मा गाँधी मार्ग, हज़रतगंज, लखनऊ

कब्जा नोटिस {नियम 8(1) के तहत अचल सम्पत्ति हेतु}

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8 और 9 के साथ सेक्शन 13 (12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक द्वारा ऋणीयों को मांग सूचना (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) जारी किया गया, जिसमें आगे यह कहा गया था कि उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर बकाये चुकता कर दें।

ऋणीयों एवं जमानतकर्ताओं द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद् द्वारा ऋणीयों एवं जमानतकर्ताओं व आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) नियम 8 और 9 के साथ पठित उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसमे नीचे लिखी सम्पत्तियों का कब्ज़ा ले लिया है। ऋणीयों व जमानतकर्ताओं को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा करने में सचेत रहे और इन संपत्तियों के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखी राशि ब्याज और अन्य खर्च के लिए इंडियन बैंक के प्रभारों के अधीन होगा। हम आपका ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) और नियमों के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं जो कि आपके प्रतिभूतियों से सम्बन्धित "Right of redemption" को दर्शाता है।

| क्र. सं. | ऋणकर्ता का नाम व पता | अचल सम्पत्ति का विवरण | बकाया धनराशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि |
|---|---|---|---|
| | **शाखा- गोरखपुर शाखा** | | |
| 1. | ऋणकर्ता:- मेसर्स ए. के.ट्रेडर्स प्रोप्रा0 श्री अशोक कुमार चन्द पुत्र श्री बजरंगी सिंह | भूमि का साम्यिक बंधक क्षेत्रफल 9.29 वर्ग मीटर एवं मकान को मिलाकर, श्री अशोक चन्द पुत्र श्री बजरंगी चन्द व श्रीमती पुष्पा चन्द पत्नी श्री अशोक चन्द, पंडित हरिहर प्रसाद मार्ग, बेतियाहाता, परगना हवेली, तहसील- सदर, जिला- गोरखपुर (यू.पी.), **चौहद्दी:- पूर्व:** मेन रोड, **पश्चिम:** पार्टियों का मकान, **उत्तर:** अनिल तिवारी की दुकान, **दक्षिण:** गली उसके बाद राम अचल सिंह का मकान | बकाया धनराशि- रू. 14,04,766/- दि. 12.07.2019 से प्रभावी एवं ब्याज/अन्य खर्चे दि. 12.07.2019 से पुर्नभुगतान की तारीख तक; मांग सूचना की तिथि: 12.07.2019; कब्जा सूचना की तिथि: 04.10.2019 |
| 2. | ऋणकर्ता:- श्री अशोक कुमार चन्द पुत्र श्री बजरंगी सिंह | मकान सं. 22 सी का साम्यिक बंधक क्षेत्रफल 342 वर्ग फीट स्थित मोहाल पंडित हरिहर प्रसाद मार्ग, बेतियाहाता, तहसील- सदर, जिला व शहर गोरखपुर एवं प्रथम तल व द्वितीय तल को मिलाकर, श्री अशोक कुमार चन्द पुत्र श्री बजरंगी सिंह व श्रीमती पुष्पा चन्द पत्नी श्री अशोक कुमार चन्द, **चौहद्दी:- पूर्व:** मेन रोड के बाद निषादकों एवं अनिल तिवारी की दुकान, **पश्चिम:** राकेश सिंह का मकान, **उत्तर:** भूपेन्द नाथ तिवारी का मकान, **दक्षिण:** गली उसके बाद सहान एवं राम अचल सिंह का मकान | बकाया धनराशि- रू. 25,82,906/- दि. 11.07.2019 से प्रभावी एवं ब्याज/अन्य खर्चे दि. 11.07.2019 से पुर्नभुगतान की तारीख तक; मांग सूचना की तिथि: 11.07.2019; कब्जा सूचना की तिथि: 04.10.2019 |
| 3. | ऋणकर्ता:- मेसर्स रिज़ा किड्ज कलेक्शन प्रोप्रा0 अब्दुल वाहिद सिद्दीकी | भूमि क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट एवं 583 वर्ग फीट, श्री अब्दुल वाहिद सिद्दीकी पुत्र श्री अब्दुल मन्नान सिद्दीकी स्थित पिछला मकान सं. सी/142/264 मोहल्ला जाफरा बाजार, परगना हवेली, तहसील- सदर, जिला- गोरखपुर (यू.पी.), **चौहद्दी:- पूर्व:** सड़क 20 फीट, **पश्चिम:** बलदेव पंडित का मकान, **उत्तर:** स्वर्गीय राम लखन का मकान, **दक्षिण:** श्याम सुन्दर का मकान | बकाया धनराशि- रू. 18,10,605/- दि. 11.07.2019 से प्रभावी एवं ब्याज/अन्य खर्चे दि. 11.07.2019 से पुर्नभुगतान की तारीख तक; मांग सूचना की तिथि: 11.07.2019; कब्जा सूचना की तिथि: 04.10.2019 |

दिनांक: 10.10.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक



## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालयः एमएमएच कॉलेज, गाज़ियाबाद, उ0प्र0

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों / गारंटरों को उनकी गांरटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

**चल/अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण**

| क्र. सं. | कर्जदार/गारंटर का नाम | प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण | 13(2) सूचना की तिथि एवं राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | **कर्जदार:** (1) श्री महिपाल सिंह, पुत्र कुन्दन सिंह डी.एस. 785, बॉम्बे कालोनी नन्दग्राम, गाज़ियाबाद। (2) श्रीमती काज़ल देवी, पत्नी महिपाल सिंह डी.एस. 785, बॉम्बे कालोनी नन्दग्राम, गाज़ियाबाद। | श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह के नाम पर आवासीय भूतल, एरिया 900 वर्ग फीट, प्लॉट नं. 35-ए पर निर्मित, खसरा नं. 1025 का भाग, गांव दरगल, अब गुलधर-2 के रूप में ज्ञात, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, गाजियाबाद **जो घिरा है:** पूर्व: रास्ता 24' चौड़ी पश्चिम: प्लॉट नं. 58 उत्तर: प्लॉट नं. 35 दक्षिण: प्लॉट नं. 36 | 29.07.2019 को एनपीए 03.09.2019 को बकाया रु.17,11,337/- (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है) |
| 2. | **कर्जदार:** श्री मुकेश कुमार, पुत्र भागमल सिंह के.एच-426, गली नं.07, बी-ब्लॉक, दयालपुर, दिल्ली-110093 **गारंटर:** श्री नरेश कुमार, पुत्र श्री रघुबीर सिंह बी-2/6, स्ट्रीट नं.2, दयालपुर, करावल नगर, दिल्ली-110094 | श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री भागमल सिंह के नाम पर साम्यिक बंधक भूमि के सभी भाग एवं हिस्से प्लॉट नं. ए-1/299, भूतल, 3 मंजिला भवन, डीएलएफ दिलशाद एक्स.-2, भरमपौर भोपुरा, गाजियाबाद, एरिया 30.09 वर्ग मीटर **जो घिरा है:** उत्तर: प्लॉट नं. ए-1/300 दक्षिण: प्लॉट नं. ए-1/298 पूर्व: रोड 30 फीट चौड़ी पश्चिम: प्लॉट नं. ए-1/292 | 29.08.2019 को एनपीए 02.09.2019 को बकाया रु.11,09,577/- (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है) |
| 3. | **कर्जदार:** श्रीमती मीनू पत्नी श्री अनुज पाली एवं श्री अनुज पाली पुत्र श्री अशोक पाली 45/5-डी, गली नं.14, ईस्ट आज़ाद नगर, दिल्ली-110051 **गारंटर:** श्री संदीप कुमार, पुत्र श्री राम गोपाल मकान नं.174-ए, दौलताबाद, तहसील एवं जिला-फरीदाबाद | श्रीमती मीनू पत्नी श्री अनुज पाली एवं श्री अनुज पाली पुत्र श्री अशोक पाली के नाम पर साम्यिक बंधक सम्पत्ति मकान नं. 45/5-डी, प्लॉट नं. 2, एरिया 45त्र56 वर्ग मीटर, खसरा नं. 6/70 एवं नया नं. 931/287/1, वार्ड नं. 77-तीसरा तल, छत अधिकार के साथ, तीन मंजिला भवन, गांव घोण्डली, गली नं. 14 की आबादी, आजाद नगर इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051 जो घिरा है: उत्तर: अन्य की सम्पत्ति दक्षिण: गली पूर्व: अन्य की सम्पत्ति पश्चिम: रोड 20 फीट चौड़ी | 29.08.2019 को एनपीए 03.09.2019 को बकाया रु.15,27,175/- (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है) |
| 4. | **कर्जदार:** श्री दीपक त्रिपाठी एवं श्री अनुराग त्रिपाठी मकान नं.883/सी, ब्लॉक-बी, संगम विहार, दिल्ली-110080 **गारंटर:** श्री नगेन्द्र गुप्ता पुत्र नन्दलाल गुप्ता 53/54, ब्लॉक-18, डीडीए मार्केट, दक्षिणपुरी, दिल्ली | साम्यिक बंधक आवासीय फ्लैट नं. यूजी-3, अपर फ्लोर, बिना छत अधिकार, एरिया 45.00 वर्ग मीटर, प्लॉट नं. 291 पर निर्मित, खसरा नं. 1528 का भाग, बालाजी एन्क्लेव कॉलोनी, हदबस्त गांव रईसपुर, परगना डासना, तहसील एवं जिला गाजियाबाद जो घिरी है: उत्तर: प्लॉट नं. 290 दक्षिण: गली 18 फीट चौड़ी पूर्व: रास्ता 20 फीट चौड़ी पश्चिम: प्लॉट नं. 292 | 29.08.2019 को एनपीए 24.09.2019 को बकाया रु.12,40,873/- (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है) |
| 5. | **कर्जदार:** श्री योगेश कुमार शर्मा, पुत्र स्वर्गीय श्री सत्यवान शर्मा 10/47, पाताल गली, विश्वास नगर, दिल्ली-110032 | श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री सत्यवान शर्मा के नाम पर वाहन सं. DL5CL0937 वैगन आर वीएक्सआई बीएस4 (एनएम) (पेट्रोल मोटर कार (एलएमवी) सीएच नं. MA3EWDE1S00883001, ई नं. K10BN4746282 | 01.05.2019 को एनपीए 18.07.2019 को बकाया रु.3,34,601/- (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है) |

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान: दिल्ली/गाजियाबाद
दिनांक: 09.10.2019

प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एमएमएच कॉलेज, गाज़ियाबाद



## इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालयः 5वां तल, ब्लॉक-2, टावर-2, प्लेट-बी, एनबीसीसी टावर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 CIN:U67190DL2006GOI144520

**ई-निविदा आमंत्रण सूचना**

आईआईएफसीएल/आईएडी/प्रोक्यो./2019-20/03 दिनांक 4 अक्टूबर, 2019

आईआईएफसीएल निम्नलिखित कार्यों के लिए https://www.tenderwizard.com/IIFCL पर द्वि-बोली प्रणाली निविदा आमंत्रित करती है-

कार्य का नामः आईआईएफसीएल का ऑडिट करने के लिए सहयोगी लेखा परीक्षक

निविदा शुल्कः रु. 2,000/-

धरोहर राशिः रु. 10,000/-

बोली के समापन की अंतिम तिथिः 18 नवम्बर, 2019 को 16.00 बजे

विवरणों हेतु www.iifcl.org पर लॉग इन करें

बोली दस्तावेज एवं अन्य विवरणों के लिए https://www.tenderwizard.com/IIFCL पर लॉग इन करें।



## ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND TARAKKI KAREIN!

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

**Registered Office:** 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
**Corporate Office:** One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
**Tel.:** +91 22 2652 5000, **Fax:** +91 22 2652 8100, **Website:** www.icicipruamf.com,
**Email id:** enquiry@icicipruamc.com
**Central Service Office:** 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. **Tel.:** 022 2685 2000 **Fax:** 022 26868313

**Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Mutual Fund**
**Half-Yearly Portfolio Statement of Schemes**

**NOTICE** is hereby given that the half-yearly portfolio statement of schemes of ICICI Prudential Mutual Fund for half year ended September 30, 2019 will be hosted on October 10, 2019 on the website of ICICI Prudential Asset Management Company Limited (the AMC) viz. www.icicipruamc.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI) viz. www.amfiindia.com in accordance with Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018.

Investors may accordingly view/download the portfolio statement of schemes from the website of the AMC.

Investors can also request for the physical/soft copy of portfolio statement of schemes through any of the following modes:

1. Give a call at our Contact Centre at:
   - MTNL/BSNL: 1800 222999
   - Others: 1800 200 6666
2. Send an email to enquiry@icicipruamc.com
3. Submit a letter at any of the AMC Offices or our CAMS Investor Service Centres, details of which are available on the AMC website viz. www.icicipruamc.com.

**For ICICI Prudential Asset Management Company Limited**

Place : Mumbai — Sd/-
Date : October 9, 2019 — Authorised Signatory
No. 008/10/2019

**To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com**

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number with us to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**



## विक्रय की घोषणा

**कार्यालय वसूली अधिकारी-1**
**ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली**
**चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,**
**संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001**

आर.सी. 774/2018 — दिनांक : 13.09.2019

**बैंक एवं वित्तीय संस्थान बकाया वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत विक्रय की घोषणा**

**देना बैंक**
**बनाम**
**मैसर्स राधे पॉलीमर्स एवं अन्य**

सीडी सं. 1 मैसर्स राधे पॉलीमर्स, अपने प्रोपराइटर-चूड़ामणि के माध्यम से
दुकान नं. पी-9, प्रथम तल, जीएच-5 एवं 7, डी.डी.ए. मार्केट, पश्चिम विहार, दिल्ली-110087
सीडी सं. 2 रुचि सिंह पुत्र महिपाल
दुकान नं. पी-9, प्रथम तल, जीएच-5 एवं 7, डी.डी.ए. मार्केट, पश्चिम विहार, दिल्ली-110087
साथ ही : फ्लैट सं. 141, पॉकेट सं. जीएच-13, पश्चिम विहार, दिल्ली-110087

जबकि आप प्रमाणपत्र के अनुसार, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा पारित 2013 के ओ.ए. सं. 537 में आहरित ऋण वसूली प्रमाण-पत्र के अनुसार बकाया इस ओए को दर्ज करने की तिथि अर्थात 19.07.2013 से 12% के सामान्य ब्याज दर सहित रु. 55,18,220/- (रुपये पचपन लाख अठारह हजार दो सौ बीस मात्र) का भुगतान करने में असफल रहे और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित प्रमाणपत्र की सन्तुष्टि में निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय का आदेश दिया है।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में कथित सम्पत्ति का विक्रय ई-नीलामी द्वारा 22.11.2019 को 3.00 बजे अपराह्न से 4.00 बजे अपराह्न के बीच (आवश्यकतानुसार, बन्द होने से पूर्व संविदा के मामले में अन्तिम 5 मिनटों के स्वतः समय-सीमा विस्तार सहित) की जायेगी और संविदा ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग'' माध्यम से वेबसाइट : http://drt.auctiontiger.net के माध्यम से सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रोक्योर), ए-201/208, वॉल स्ट्रीट-II, सामने ओरिएन्ट क्लब निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत) दूरभाष : 91 079 61200594/ 598/568/ 587/538 के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

किसी पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : श्री नितीश झा, मोबाइल नं. 7982880393, ई-मेल : Email: delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net.

अधिक विवरण के लिए सम्पर्क करें : श्री राहुल प्रताप, मुख्य प्रबन्धक, एआरएमबी शाखा, मोबाइल : 9152941109, ई-मेल : arbdel@denabank.com

विक्रय नीचे अनुसूची में उल्लिखित के अनुसार उपर्युक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति का किया जायेगा और कथित सम्पत्ति से सम्बद्ध दायित्व तथा दावे, जिनका अब तक निर्धारण किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के सम्मुख अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

किन्तु, विक्रय से सम्बन्धित कर्तव्य का पालन करने वाला कोई कार्यालय या कोई अन्य व्यक्ति विक्रीत सम्पत्ति के अर्जन या अर्जन के प्रयास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा में भाग नही लेगा। विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची तथा इसके तहत निर्मित नियमों में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर दिया गया है किन्तु अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

1. सम्पत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य तथा ज.ध.रा. निम्नलिखित हैं :

| क्र. सं. | सम्पत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य/ज.ध.रा. |
|---|---|---|
| 1. | पी2 (भूतल) पीकेटी जीएच-5 एवं 7, जोन जी 17 क्षेत्रफल 5.11 वर्ग मीटर, साइट सं. 1, डीडीए मार्केट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087 | आरक्षित मूल्य : रु. 4,74,300/- ज.ध.रा. : 47,430/- |
| 2. | निर्मित दुकान नं. पी 8, स्कीम सीएससी पॉकेट जीएच-5 एवं 7, जोन जी 17, क्षेत्रफल 5.45 वर्ग मीटर (भूतल) डीडीए मार्केट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087 | आरक्षित मूल्य : रु. 5,05,750/- ज.ध.रा. : 50,575/- |
| 3. | निर्मित दुकान नं. पी 9, स्कीम सीएससी पॉकेट जीएच-5 एवं 7, जोन जी 17, क्षेत्रफल 5.89 वर्ग मीटर (भूतल) डीडीए मार्केट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087 | आरक्षित मूल्य : रु. 5,55,900/- ज.ध.रा. : 55,590/- |

सम्पत्तियों का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जायेगा।

2. संविदाएँ जिस राशि द्वारा बढ़ाई जायेंगी वे क्रम सं. 1 की सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र), क्रम सं. 2 की सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र), क्रम सं. 3 की सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) होंगी। संविदा की राशि अथवा संविदाकार के पक्ष से उत्पन्न किसी विवाद की स्थिति में सम्पत्ति को पुनः नीलामी के लिए रखा जायेगा।
3. उच्चतम संविदाकार को सफल उच्चतम संविदाकार घोषित किया जायेगा। यदि प्रस्तावित मूल्य इतना अधिक अस्पष्ट हो कि संविदा का निर्णय करना अपरामर्शनीय हो तो उच्चतम संविदा को अस्वीकार करना/स्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी के विशेष अधिकार का विषय होगा।
4. ज.ध.रा. वसूली अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर के रूप में 20.11.2019 तक जमा करनी होगी। इसके पश्चात जमा की गयी ज.ध.रा. पर ई-नीलामी में भाग लेने पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. यदि वे स्वयं या अपने प्रमुखों की ओर से संविदा कर रहे हों तो पैन कार्ड, पते के प्रमाण तथा पहचान प्रमाण पत्र की प्रति। प्रमुखों की ओर से संविदा की स्थिति में उन्हें अपने प्राधिकार जमा करने अपेक्षित हैं, और इसके अभाव में उनकी संविदाएँ निरस्त कर दी जायेंगी। कम्पनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी की प्रति अथवा कम्पनी के प्रतिनिधित्व/वकील की पुष्टि करने वाले कोई अन्य दस्तावेज ई-मेल या अन्य माध्यम से कथित तक कथित सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास पहुँच जाना चाहिए और इसकी कागजी प्रति वसूली अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के पास जमा करनी होगी।
6. सफल संविदाकार को ज.ध.रा. के समायोजन के पश्चात उसकी अन्तिम संविदा की राशि का 25% अगले कार्यकारी दिवस को 3.00 बजे अपराह्न तक उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित विवरणों के अनुसार कथित खाते में जमा करनी होगी।
7. सफल उच्चतम संविदाकार को अन्तिम पुरानी राशि की शेष 75% राशि सम्पत्ति के विक्रय की तिथि के 15वें दिन या इससे पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित के अनुसार निर्धारित माध्यम से 15वें दिन के पश्चात बैंक के पहले कार्यकारी दिवस में जमा करनी होगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त सफल उच्चतम संविदाकार को वसूली अधिकारी-I के पास रु. 1,000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1,000/- की कथित राशि से अधिक होने पर 1% की दर से पाउण्डेज शुल्क भी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से जमा करना होगा।
8. सम्भावित संविदाकारों द्वारा निरीक्षण हेतु सम्पत्ति 15.11.2019 को 11.00 बजे प्रातः से 4.00 बजे सायं तक खुली रहेगी।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने की स्थिति में विक्रय की नवीन घोषणा के निर्गमन के पश्चात सम्पत्ति का पुनः विक्रय किया जायेगा। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझता है तो विक्रय के व्ययों को घटाने के पश्चात जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी और चूककर्ता सफल उच्चतम संविदाकार को सम्पत्ति अथवा अनुगामी विक्रय होने से प्राप्त राशि के किसी भी अंश के सभी प्रकार के दावे से वंचित कर दिया जायेगा।
10. सम्पत्ति का विक्रय ''जहाँ है जैसे है और जो है यही है'' के आधार पर किया जा रहा है।
11. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय अनुचित किसी अथवा सभी संविदा चक्रों को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा नीलामी को स्थगित करने का अधिकार है।
12. इस चरण तक अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में सम्पत्तियों के विरुद्ध कोई राजस्व/ऋणभार अथवा दावा नहीं है। किन्तु सम्भावित संविदाकारों को ज.ध.रा. जमा करने से पूर्व अपने निजी हित में बिजली/पानी/गृहकर के बिल अथवा कोई अन्य ऋण भार आदि के विषय में गहन जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
13. सीएच बैंक को इसमें दिये गये विवरणों की पुष्टि करने तथा सत्यता की जाँच करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

**मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित 01 जुलाई, 2019 को।**

(अनिल कुमार यादव)
वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली



Court notice
In the court of sh. Gurdarshan singh JMIC ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO. PBLD03-052014-2017
Next date : 14-11-2019
M/S PARAMOUNT CLOTHING
V/S
ANGEL MARKETING
Notice to:1.ANGEL MARKETING 391 ST.NO.2, RAJA PARK ,JAIPUR, THROUGH ITS PARTNER 2.DEEKSHA SHARMA 3.ANOOP KUMAR
IND ADDRESS: 4KHA-8 JAWAHAR NAGAR JAIPUR RAJASTHAN-302004
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 14-11-2019 on 10.00 a.m or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence.
For details logon to
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
Gurdarshan singh
JMIC ludhiana

Court Notice
In the court of Sh. Devnoor Singh JMIC ludhiana
CNR No.PBLD03-045787-2018
Peshi: 16-11-2019
PUBLICATION NOTICE FOR PROCLAMATION UNDER SECTION 82 CR.PC
OSWAL DENIM
V/S
YOGAM TRADERS
NOTICE TO:1. YOGAM TRADERS, PROP ARJUN JAIN, SHOP NO 11724, ST NO 2SANT NAGAR, KAROL BAGH DELHI 2.ARJUN JAIN ,PROP OF YOGAM TRADERS, SHOP NO 11724,ST NO 2 SANT NAGAR, KAROL BAGH DELHI
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 16-11-2019 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.
Given under my hand and the seal of the court, this 25-09-2019
FOR DETAILS LOGIN TO
http://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
Sh. Devnoor singh
JMIC Ludhiana



## जगत ट्रेडिंग एंटरप्राईजेज लिमिटेड

CIN: L74999DL1982PLC014411
पंजी. कार्यालयः 208, मैगनम हाउस- II, करमपुरा कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली-110015, www.jtel.co.in
E-Mail: jagattradingenterprises-limited@gmail.com

**सूचना**

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घोषणा अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 तथा 29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएगे।

सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 तथा इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिये कम्पनी की आंतरिक संहिता के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो मंगलवार, 1 अक्टूबर, 2019 से शनिवार, 16 नवम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

उक्त सूचना की वेबसाईट www.jtel.co.in तथा साथ ही एमएसईआई की वेबसाईट www.msei.in पर देखी जा सकती है।

बोर्ड के आदेश से
जगत ट्रेडिंग एंटरप्राईजेज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
पी.के. गोयल
निदेशक
(DIN No.: 00021153)

तिथि: 7.10.2019
स्थान: नई दिल्ली

# संयुक्त राष्ट्र के पास धन की भारी कमी

संयुक्त राष्ट्र, 9 अक्तूबर (एएफपी)।

मानवीय सहायता कार्यों से लेकर निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर अहम फैसले लेने वाली दुनिया की सर्वोच्च संस्था संयुक्त राष्ट्र, जिसका खुद का वार्षिक बजट कई अरब डॉलर का है, वह आज गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और हालत यह है कि उसे अपने कर्मचारियों को इस महीने के वेतन देने में भी मुश्किल हो रही है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने मंगलवार को आगाह किया था कि यह वैश्विक संस्था दशक के सबसे गंभीर घाटे के दौर से गुजर रहा है और अगले महीने की तनख्वाह देने के लिए भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं होंगे।

गुतारेस ने संयुक्त राष्ट्र की पांचवी समिति के समक्ष टिप्पणी की, '... संगठन गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। और स्पष्ट करूं तो वह नकदी संकट से गुजर रहा है। स्पष्ट है कि बिना नकद राशि के बजट का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो सकता।' यह समिति संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक और 2020 के प्रस्तावित बजट से जुड़े मामलों को देखती है।

**संयुक्त राष्ट्र**
महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने आगाह किया था कि संस्था के पास अगले महीने की तनख्वाह देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं होंगे।

गुतारेस ने कहा, '...नवंबर में इतनी राशि भी नहीं होगी कि वेतन का भुगतान किया जा सके।' भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिसने समय पर अपना पूरा अंशदान संयुक्त राष्ट्र में किया है। इसके उलट भारत का 3.8 करोड़ डॉलर संयुक्त राष्ट्र पर बकाया है। यह संयुक्त राष्ट्र की किसी देश के लिए सबसे अधिक देनदारी है जो मार्च 2019 के शांति अभियानों के लिए दी जानी है।

संयुक्त राष्ट्र में 1.3 अरब अमेरिकी डालर के बकाये भुगतान पर भारत ने गहरी चिंता जताई है।

# मुशर्रफ पर देशद्रोह के मामले में 24 से रोजाना होगी सुनवाई

इस्लामाबाद, 9 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान में मंगलवार को एक विशेष अदालत ने कहा कि पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चल रहे देशद्रोह के मामले में रोजाना सुनवाई 24 अक्तूबर से होगी क्योंकि मुशर्रफ के वकील डेंगू से पीड़ित हैं।

न्यायाधीश वकार अहमद सेठ के अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपनी दलीलें लिखित में देने का निर्देश दिया है। पीठ ने पिछले महीने 75 वर्षीय मुशर्रफ पर आठ अक्तूबर से रोजाना सुनवाई करने का निर्णय किया था।

लेकिन मुशर्रफ के वकील ने मंगलवार को बीमारी का हवाला देकर सुनवाई दो हफ्ते बाद करने की अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि 24 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई होगी। पूर्ववर्ती पाकिस्तान मुसलिम लीग- नवाज (पी एम एल-एन) की सरकार ने 2013 में मुशर्रफ पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। उन पर 2007 में असंवैधानिक रूप से देश में आपातकाल लगाने के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया था।

# नीदरलैंड के नरेश और महारानी 14 से 18 तक भारत यात्रा पर

वे राष्ट्रपति कोविंद के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं।

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (भाषा)।

नीदरलैंड के नरेश विलियम एलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा 14 से 18 अक्तूबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय से जारी एक बयान के अनुसार, 'नीदरलैंड के नरेश विलियम एलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं।'

अपनी भारत यात्रा के दौरान वे नई दिल्ली, मुंबई और केरल जाएंगे। साल 2013 में राजगद्दी संभालने के बाद नीदरलैंड के नरेश विलियम एलेक्जेंडर की यह पहली राजकीय भारत यात्रा होगी। मंत्रालय ने बताया कि भारत आने पर वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनसे मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड के नरेश और महारानी के साथ वहां की कैबिनेट का एक शिष्टमंडल भी भारत आ रहा है।

बयान के अनुसार भारत और नीदरलैंड का द्विपक्षीय कारोबार 12.87 अरब डॉलर का है। नीदरलैंड, भारत में पांचवां सबसे बड़ा निवेश करने वाला देश है। साल 2000 से दिसंबर 2017 तक उसने 23 अरब डॉलर का निवेश किया। वहीं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के 2,35,000 लोग रहते हैं। नीदरलैंड के नरेश नई दिल्ली में 25वें प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में नीदरलैंड सहयोगी देश है।

# नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस की गिरफ्तारी का आदेश

ढाका, 9 अक्तूबर (भाषा)।

बांग्लादेश की एक श्रम अदालत ने कथित श्रम कानून उल्लंघन मामले में पेश न होने पर नोबेल पुरस्कार विजेता व ग्रामीण बैंक के संस्थापक मुहम्मद यूनुस के खिलाफ बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। 10 जुलाई को ढाका तृतीय श्रम अदालत ने यूनुस और दो अन्य को आदेश दिया था कि वे आठ अक्तूबर को उसके समक्ष पेश हों।

अदालत ग्रामीण बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा 'ग्रामीण कम्युनिकेशंस' के तीन कर्मचारियों को बर्खास्त करने के मामले में सुनवाई कर रही थी। यूनुस ग्रामीण कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष हैं। अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण कम्युनिकेशंस के दो वरिष्ठ अधिकारी अदालत के समक्ष पेश हुए, लेकिन यूनुस पेश नहीं हुए। इस पर अदालत के अध्यक्ष रोहिबुल इस्लाम ने उनके (यूनुस) खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

# लीथियम आयन बैटरी पर काम करने के लिए तीन वैज्ञानिकों को नोबेल

स्टाकहोम, 9 अक्तूबर (एपी)।

तीन वैज्ञानिकों को लीथियम आयन बैटरी के विकास पर काम के लिए बुधवार को रसायनशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। इन हल्की और दोबारा चार्ज हो सकने वाली शक्तिशाली बैटरियों का इस्तेमाल अब मोबाइल से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों आदि सभी में होता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से जुड़े अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन गुडइनफ, बिंघमटन में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के एम स्टेनली व्हिटिंघम और जापान के असाही कासेई कॉर्पोरेशन एंड मीजो यूनिवर्सिटी के अकीरा योशिनो को पुरस्कार से नवाजा जाएगा। एकेडमी के महासचिव गोरान हैनसॉन ने कहा कि यह पुरस्कार एक 'रिचार्ज होने वाली दुनिया' को लेकर है।

समिति ने एक बयान में कहा कि लीथियम आयन बैटरियों ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। इन वैज्ञानिकों ने एक बेतार, जीवाश्म ईंधन मुक्त समाज की बुनियाद रखी। नोबेल समिति ने कहा कि लीथियम आयन बैटरी के विकास की शुरूआत 1970 के दशक में तेल संकट के दौरान हुई थी जब व्हिटिंघम ऐसी ऊर्जा तकनीकों पर काम कर रहे थे जो पेट्रोल-डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन से मुक्त हों।

# द्वितीय विश्वयुद्ध के समय का बम फटा

वॉरसॉ, 9 अक्तूबर (एएफपी)।

पोलैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक बम कुजनिया रकिबोरस्का शहर के पास जंगलों में मंगलवार को फट गया जिससे दो सैनिकों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। पोलैंड के रक्षा मंत्री मारियूज बलास्कजैक ने यह जानकारी दी।


**HEXA TRADEX LIMITED**
**CIN - L51101UP2010PLC042382**
**Regd. Office :** A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403
**Corp. Office :** Jindal Centre,12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

**EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019**

(₹ lakhs)

| Particulars | Standalone | | | | Consolidated | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quarter ended 30.09.2019 Unaudited | Half year ended 30.09.2019 Unaudited | Year ended 31.03.2019 Audited | Quarter ended 30.09.2018 Unaudited | Quarter ended 30.09.2019 Unaudited | Half year ended 30.09.2019 Unaudited | Year ended 31.03.2019 Audited | Quarter ended 30.09.2018 Unreviewed |
| Total income from operations | 0.56 | 1.65 | 50.51 | 22.80 | 9.36 | 15.96 | 5,557.42 | 27.50 |
| Net profit/(loss) before tax | (59.48) | (105.02) | (199.24) | (62.50) | 33.30 | (1,538.01) | 4,281.72 | (347.82) |
| Net profit/(loss) after tax | (67.97) | (100.84) | (137.55) | (26.18) | 89.27 | (1,078.47) | 4,716.73 | (302.88) |
| Total comprehensive income [Comprising profit/(loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax)] | 531.63 | 497.06 | 334.63 | 895.51 | (131.86) | (2,233.07) | 1,277.48 | 638.77 |
| Equity share capital | 1,104.91 | 1,104.91 | 1,104.91 | 1,104.91 | 1,104.91 | 1,104.91 | 1,104.91 | 1,104.91 |
| Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet | | | 24,434.43 | | | | 27,604.80 | |
| Earnings per share (of ₹ 2/- each) | | | | | | | | |
| (1) Basic | (0.12) | (0.18) | (0.25) | (0.04) | 0.16 | (1.95) | 8.54 | (0.55) |
| (2) Diluted | (0.12) | (0.18) | (0.25) | (0.04) | 0.16 | (1.95) | 8.54 | (0.55) |

**Note:**
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/half yearly/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/half yearly/annual financial results are available on the websites of the stock exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website, www.hexatradex.com.

**On behalf of Board of Directors of Hexa Tradex Limited**
**Sd-**
**Raj Kamal Aggarwal**
**Director**
**DIN : 00005349**

**Place: New Delhi**
**Date: October 9, 2019**



**FORM G**
**INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST**
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulations, 2016)
**FOR THE ATTENTION OF THE PROSPECTIVE RESOLUTION APPLICANTS OF M/S. SAVARIA ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED**

| Sl.No. | RELEVANT PARTICULARS | |
|---|---|---|
| 1 | Name Of Corporate Debtor | SAVARIA ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED |
| 2 | Date Of Incorporation Of Corporate Debtor | 26/02/2004 |
| 3 | Authority Under Which Corporate Debtor Is Incorporated/registered | ROC- Uttar Pradesh, Kanpur |
| 4 | Corporate Identity Number/limited Liability Identification Number Of Corporate Debtor | U15311UP2004PTC028338 |
| 5 | Address Of The Registered Office and Principal Office (if Any) Of Corporate Debtor | Registered Office: 82/8-Jgandhi Gram Kanpur Uttar Pradesh<br>Commercial Office: 82/8-Jgandhi Gram Kanpur Uttar Pradesh |
| 6 | Insolvency Commencement Date of the corporate Debtor | 06/06/2018 (By the Order of Hon'ble NCLT, Allahabad CP. No (IB) 191/ALD/2017 |
| 7 | Date Of Invitation Of Expression Of Interest | 10th October, 2019 |
| 8 | Eligibility For Resolution Applicants Under Section 25(2)(H) Of The Code Available At: | Details can be sought by emailing at shravan.vishnoi@yahoo.com |
| 9 | Norms Of Ineligibility Applicable Under Section 29A Available At : | http://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php. Official website of IBBI. Also details can be sought by emailing at shravan.vishnoi@yahoo.com |
| 10 | Last Date for Receipt Of Expression Of Interest | 26th October, 2019 |
| 11 | Date Of Issue Of Provisional List Of Prospective Resoluton Applicants | 30th October, 2019 |
| 12 | Last Date For Submission Of Objections To Provisional List | 04th November, 2019 |
| 13 | Date of issue of final list of prospective resolution applicants | 06th November, 2019 |
| 14 | Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants | 04th November, 2019 |
| 15 | Manner Of Obtaining Request For Resolution Plan, Evaluation Matrix, Information Memorandum And Further Information | The Resolution professional will share the request for resolution plan/ Evaluation Matrix/ Information Memorandum in electronic form after verification of KYC, capacity to invest, capability to manage and eligibility under section 29A of IBC, 2016 and prequalification criteria, if any approved by COC and after submission of Non-disclosure agreement. Further details can be obtained by sending email at shravan.vishnoi@yahoo.com |
| 16 | Last date for submission of resolution plans | 05th December,2019 |
| 17 | Manner Of Submitting Resolution Plans To Resolution Professional | In electronic form to the email ID mentioned against at serial no. 20. An additional physical copy may also be submitted in a sealed envelope containing duly signed hard copy and soft copy in a pen dive at the address mentioned against at Sl No. 21 so as to reach on or before the last date. |
| 18 | Estimated Date For Submission Of Resolution Plan To The Adjudicating Authority For Approval | 15th December,2019 |
| 19 | Name and Registration Number of Resolution Professional | CS Shravan Kumar Vishnoi<br>IBBI/IPA-002/IP-N00040/2016-2017/10079 |
| 20 | Name, address and e-mail of the resolution professional, as registered with the board | BCC Tower, 1008,10th Floor, Sultanpur-Lko Road, Arjun Ganj, Nr Saheed Path, Lucknow 226002 (UP) Shravan.vishnoi@yahoo.com +91 9839 443555 |
| 21 | Address and E-mail, to be used for correspondence with the Resolution Professional | BCC Tower, 1008,10th Floor, Sultanpur-Lko Road, Arjun Ganj, Nr Saheed Path, Lucknow 226002 (UP) Shravan.vishnoi@yahoo.com +91 9839 443555 |
| 22 | Further details are available at or with | Details can be sought by emailing at shravan.vishnoi@yahoo.com |
| 23 | Date of Publication of Form G | 10th October, 2019 |

Note: As on the date of issue of this Expression of Interest (EOI), it is 492nd Day from the commencement of the Insolvency Resolution Process of the Corporate Debtor. Under Section 12 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 as amended by Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment Act) 2019 dated 16thAugust,2019 where the Insolvency Resolution Process of the Corporate Debtor is pending and has not been completed within 330 days, such Resolution Process shall be completed within a period of 90 days from 16th August, 2019. The period of 90 days shall end on 13th November, 2019. However the application for exclusion of certain time period before the NCLT Allahabad is pending for disposal by the Adjudicating Authority. This is for information the prospective resolution applicants.

Date : 10th October 2019
Place : Lucknow

Sd/-
**SHRAVAN KUMAR VISHNOI**
RESOLUTION PROFESSIONAL
M/s. Savaria Roller Flour Mills Private Limited
IP Registration No.IBBI/IPA-002/IP-N00040/2016-2017/10079



**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India**

**अंचल कार्यालय, छठा तल, कॉनेक्ट्स टावर, यूनिट 602 ए, टावर II, एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रैस लाइन, अजमेरी गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट, नई दिल्ली-110001, टेली: 011-23218529**

**अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम ८(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना**

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा गारन्टरों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत क्रेडीटर) के नीचे वर्णित बकाया राशि की वसूली के लिये 24.10.2019 को ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि तथा अन्य विवरण नीचे दिये गये हैं।

| क्रम सं. | शाखा, प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क संख्या | ऋणधारक का नाम एवं पता | गारन्टर का नाम एवं पता | नीलामी के लिये रखी गई अचल सम्पत्ति का विवरण | प्रतिभूत क्रेडीटर की जानकारी में अधिभार यदि कोई हों | भौतिक या रचनात्मक कब्जा | ऋणधारक/गारंटर से वसूल की जाने वाली बकाया राशि | आरक्षित मूल्य (रु.)<br>ईएमडी राशि (रु.) | नीलामी की तिथि एवं समय | बोली जमा की अंतिम तिथि | सम्पत्ति की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | परिसम्पत्ति वसूली शाखा श्री दिवाकर चौधरी फोनः 9971781144 | 1. विनय भंडारी 2. पद्मिनी भंडारी, 3. विनीत भंडारी, अपार्टमेन्ट/फ्लैट नं. 604, ब्लॉक नं. 2, छठा तल, यूनीवर्ल्ड गार्डन, सेक्टर 47, गुड़गाँव (हरियाणा), साथ हीः मकान सं. 603, सेक्टर 7, गुड़गाँव, हरियाणा-122001, साथ हीः बी 264, 2रा तल, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 | 1. विनय भंडारी 2. पद्मिनी भंडारी, 3. विनीत भंडारी, अपार्टमेन्ट/फ्लैट नं. 604, ब्लॉक नं. 2, छठा तल, यूनीवर्ल्ड गार्डन, सेक्टर 47, गुड़गाँव (हरियाणा), साथ हीः मकान सं. 603, सेक्टर 7, गुड़गाँव, हरियाणा-122001, साथ हीः बी 264, 2रा तल, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 | अपार्टमेन्ट नं. 604, ब्लॉक नं. 2, छठा तल, सुपर एरिया माप 2027 वर्ग फीट, न्यूनीवर्ल्ड गार्डन, सेक्टर-47, गुड़गाँव (हरियाणा) | ज्ञात नहीं | भौतिक | 31.3.2018 को रु. 16373754.10 तथा 1.4.2018 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज एवं लागत | रु. 145.00 लाख<br>रु. 14.50 लाख | 24.10.2019 को 12.00 बजे अप. से 1.00 बजे अप. तक | 23.10.2019 को 5.00 बजे अप. तक | 21.10.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक |
| 2. | परिसम्पत्ति वसूली शाखा श्री दिवाकर चौधरी फोनः 9971781144 | मै. पूरणसन्स एलॉयज प्रा.लि. 102-103, अशोका अपार्टमेन्ट्स, कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स, पटेल नगर, नई दिल्ली-1100008 | श्रीमती पूनम भंडारी, एफ.नं. 001, टावर-बी, रहेजा एटलांटिस, सेक्टर-31, गुड़गाँव-122001 | पूरणसन्स एलॉयज प्रा. लि. के नाम में अचल सम्पत्ति, एफ-173, नीमराना II, इंडस्ट्रियल एरिया, नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान, माप 1964 वर्ग मीटर। चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः प्रवेश/रोड, दक्षिणः सम्पत्ति सं. 160, पूर्वः सम्पत्ति सं. 174, पश्चिमः सम्पत्ति सं. 172 | ज्ञात नहीं | भौतिक | 30.6.2017 को रु. 207278251.26 तथा 1.7.2014 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज एवं लागत | रु. 130.00 लाख<br>रु. 13.00 लाख | 24.10.2019 को 12.00 बजे अप. से 1.00 बजे अप. तक | 23.10.2019 को 5.00 बजे अप. तक | 21.10.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक |
| 3. | परिसम्पत्ति वसूली शाखा, ललित मोहन जोशी, 9610447251 | कीप इन टच क्लॉथिंग प्रा.लि., शॉप नं. 3, प्राईमरी स्कूल के निकट, घरोली, मयूर विहार फेज-III, नई दिल्ली-110096, साथ हीः बी-63, सेक्टर-83, नोएडा, उ.प्र.-201301 | श्री अम्बर जोशी, एसवी-01/04, टीएफ यूटोपिया, सेक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र.-201301<br>श्री आकाश जोशी, ईएच 1/805, यूटोपिया एल्डेको, सेक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र.-201301<br>सुश्री साक्षी आनंद, ईएच 1/805, यूटोपिया एल्डेको, सेक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र.-201301<br>सुश्री अनीता जोशी एसवी-01/04, टीएफ यूटोपिया, सेक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र.-201301 | 1. श्री अम्बर जोशी के नाम में प्लॉट नं. जी-001 (कार्नर प्लॉट), केन्सिंग्टन पार्क-1, जयपी ग्रीन्स, सेक्टर 133, नोएडा, एरिया 127.93 वर्ग मीटर। उत्तरः रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. जी-002, पूर्वः रोड, पश्चिमः अन्य प्लॉट | डीआरटी लखनऊ में एसए नं. 2018 का 586 लम्बित | भौतिक | 31.1.2016 को रु. 81833143.09 के साथ 1.2.2016 से आगे का ब्याज तथा खर्चे | रु. 70.00 लाख<br>रु. 7.00 लाख | 24.10.2019 को 12 बजे अप. से 1.00 बजे अप. | 23.10.2019 को 5.00 बजे अप. तक | 21.10.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक |
| 4. | परिसम्पत्ति वसूली शाखा, ललित मोहन जोशी, 9610447251 | कीप इन टच क्लॉथिंग प्रा.लि., शॉप नं. 3, प्राईमरी स्कूल के निकट, घरोली, मयूर विहार फेज-III, नई दिल्ली-110096, साथ हीः बी-63, सेक्टर-83, नोएडा, उ.प्र.-201301 | श्री अम्बर जोशी, एसवी-01/04, टीएफ यूटोपिया, सेक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र.-201301<br>श्री आकाश जोशी, ईएच 1/805, यूटोपिया एल्डेको, सेक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र.-201301<br>सुश्री साक्षी आनंद, ईएच 1/805, यूटोपिया एल्डेको, सेक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र.-201301<br>सुश्री अनीता जोशी एसवी-01/04, टीएफ यूटोपिया, सेक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र.-201301 | श्री आकाश जोशी के नाम में प्लॉट नं. जी-002 केन्सिंग्टन पार्क-1, जयपी ग्रीन्स, सेक्टर 133, नोएडा, एरिया 127.93 वर्ग मीटर। उत्तरः रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. जी-002, पूर्वः रोड, पश्चिमः अन्य प्लॉट | डीआरटी लखनऊ में एसए नं. 2018 का 586 लम्बित | भौतिक | 31.1.2016 को रु. 81833143.09 के साथ 1.2.2016 से आगे का ब्याज तथा खर्चे | रु. 65.00 लाख<br>रु. 6.50 लाख | 24.10.2019 को 12 बजे अप. से 1.00 बजे अप. | 23.10.2019 को 5.00 बजे अप. तक | 21.10.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक |
| 5. | परिसम्पत्ति वसूली शाखा, श्री दिवाकर चौधरी फोनः 9971781144 | मै. जिनेन्द्र स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा.लि. 26/1, शिवगंगा इंडस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम लकेश्वरी, भगवानपुर, रुड़की, उत्तरांचल-247661, साथ हीः ए-21, गली नं. 5, नाला रोड, करावल नगर, दिल्ली | श्री संजय पोद्दार, सुश्री मीनाक्षी पोद्दार, सुश्री कौशल्या देवी पोद्दार, सभीः ए-14, भूतल, पार्क स्ट्रीट, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र. | सम्पत्ति सं. ए-21, गली नं. 5, नाला रोड, करावल नगर, दिल्ली-110094, माप 980 वर्ग यार्ड्स, चौहद्दीः उत्तरः गत्ता फैक्ट्री, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः रोड एवं नाला, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति | ज्ञात नहीं | भौतिक | 30.4.2013 को रु. 304060483.43 तथा उस पर अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा लागत | रु. 300.00 लाख<br>रु. 30.00 लाख | 24.10.2019 को 12 बजे अप. से 1.00 बजे अप. | 23.10.2019 को 5.00 बजे अप. तक | 22.10.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक |
| 6. | रजौरी गार्डन बीरांगना राज 8874142828 संजय भार्गव | श्रीमती रणजीत कौर एवं श्री कँवलदीप सिंह ए-81, 2रा तल, खसरा नं. 617, आशा पार्क, जेल रोड, नई दिल्ली-110018 | श्रीमती रणजीत कौर एवं श्री कँवलदीप सिंह ए-81, 2रा तल, खसरा नं. 617, आशा पार्क, जेल रोड, नई दिल्ली-110018 | ग्राम-तिहाड़, आशा पार्क, जेल रोड, नई दिल्ली-110018 में स्थित ए-81, 2रा तल, बैक साइड, खसरा नं. 617 का भाग, माप 88.00 वर्ग यार्ड्स | ज्ञात नहीं | भौतिक | 30.3.2017 को रु. 50.57 लाख (रुपये पचास लाख सत्तावन हजार मात्र) | रु. 29.49 लाख<br>रु. 3.00 लाख | 24.10.2019 को 12 बजे अप. से 1.00 बजे अप. | 23.10.2019 को 5.00 बजे अप. तक | 17.10.2019 (गुरुवार) को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक |
| 7. | मिड कॉर्पोरेट शाखा- दिल्ली (एस) | मै. ट्रस्टवर्दी प्रॉडक्ट्स प्रा.लि. | श्री राजेश शर्मा एवं अनुभा शर्मा (गारन्टर्स), निवासीः ए-2, 57, नोएडा तथा अनिल गुप्ता (गारन्टर) निवासीः बी-52, लोहिया नगर, गाजियाबाद, उ.प्र. | फ्लैट नं. 214, 2रा तल, महागुण मैनर, टावर 14, ब्लॉक एफ, प्लॉट नं. 30, सेक्टर 50, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर | ज्ञात नहीं | भौतिक कब्जा | 30.9.2015 को रु. 4,40,25,923.80(रुपये चार करोड़ चालिस लाख पच्चीस हजार नौ सौ तैईस एवं पैसे अस्सी मात्र) | रु. 7833000/-<br>रु. 783300/- | 24.10.2019 को 12 बजे अप. से 1.00 बजे अप. | 23.10.2019 को 5.00 बजे अप. तक | 17.10.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. |
| 8. | पटेल नगर, दिल्ली, श्री प्रेम कुमार, सम्पर्क नं.: 8800607045 | मै. आरएस एण्टरप्राईजेज (प्रॉप्राइटरः श्री रवि गोयल, निवासीः मकान सं. 34, सुविधा कुंज, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034 | श्रीमती शिखा गोयल, निवासीः मकान सं. 34, सुविधा कुंज, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034<br>श्री हिमांशु गुप्ता, निवासीः 23/ 124-125, सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 | अचल सम्पत्ति अर्थात आवासीय सम्पत्ति सं. डी-110, तीसरा तल, छत एवं टैरेस के अधिकार के साथ, डी ब्लॉक, पुष्पांजलि एन्क्लेव, दिल्ली- 110054, माप 932 वर्ग फीट (सुपर निर्मित/ कार्पेट एरिया) जो श्रीमती शिखा गोयल के नाम में है। | ज्ञात नहीं | भौतिक कब्जा | 30.4.2018 को रु. 40269842.05 (रुपये चार करोड़ दो लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ बयालिस एवं पैसे पांच मात्र) | रु. 155.00 लाख<br>रु. 15.50 लाख | 24.10.2019 को 12 बजे अप. से 1.00 बजे अप. | 23.10.2019 को 5.00 बजे अप. तक | 17.10.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. |
| 9. | पटेल नगर, दिल्ली, श्री प्रेम कुमार, सम्पर्क नं.: 8800607045 | मै. आरएस एण्टरप्राईजेज (प्रॉप्राइटरः श्री रवि गोयल, निवासीः मकान सं. 34, सुविधा कुंज, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034 | श्रीमती शिखा गोयल, निवासीः मकान सं. 34, सुविधा कुंज, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034<br>श्री हिमांशु गुप्ता, निवासीः 23/ 124-125, सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 | दूसरा तल, आकार 9.6 फीट x 10.6 फीट (माप 9.46 वर्ग मीटर लगभग), निर्मित फ्री होल्ड सम्पत्ति म्युनिसिपल नं. 2664 का भाग, गली जटवारा, जेरे फाजिल, नया बाजार, वार्ड नं. III, दिल्ली-110006 में श्री रवि गोयल के नाम में अचल सम्पत्ति प्राईवेट नं. 203 | ज्ञात नहीं | भौतिक कब्जा | 30.4.2018 को रु. 40269842.05 (रुपये चार करोड़ दो लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ बयालिस एवं पैसे पांच मात्र) | रु. 21.49 लाख<br>रु. 2.15 लाख | 24.10.2019 को 12 बजे अप. से 1.00 बजे अप. | 23.10.2019 को 5.00 बजे अप. तक | 17.10.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. |
| 10. | पटेल नगर, दिल्ली, श्री प्रेम कुमार, सम्पर्क नं.: 8800607045 | मै. आरएस एण्टरप्राईजेज (प्रॉप्राइटरः श्री रवि गोयल, निवासीः मकान सं. 34, सुविधा कुंज, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034 | श्रीमती शिखा गोयल, निवासीः मकान सं. 34, सुविधा कुंज, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034<br>श्री हिमांशु गुप्ता, निवासीः 23/ 124-125, सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 | दूसरा तल, आकार 9.6 फीट x 10.6 फीट (माप 9.46 वर्ग मीटर लगभग), निर्मित फ्री होल्ड सम्पत्ति म्युनिसिपल नं. 2664 का भाग, गली जटवारा, जेरे फाजिल, नया बाजार, वार्ड नं. III, दिल्ली-110006 में श्री रवि गोयल के नाम में अचल सम्पत्ति प्राईवेट नं. 202 | ज्ञात नहीं | भौतिक कब्जा | 30.4.2018 को रु. 40269842.05 (रुपये चार करोड़ दो लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ बयालिस एवं पैसे पांच मात्र) | रु. 19.06 लाख<br>रु. 1.90 लाख | 24.10.2019 को 12 बजे अप. से 1.00 बजे अप. | 23.10.2019 को 5.00 बजे अप. तक | 17.10.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. |

**बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात www.unionbankofindia.co.in में दी गई लिंक देखें।**

**इस सूचना को उपरोक्त तिथि को ई-नीलामी के आयोजन के विषय में उक्त ऋण के ऋणधारक/ कों तथा गारन्टरों के लिये प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) एवं नियम 9 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना मानी जाये।**

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 7.10.2019

प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, परिसम्पत्ति वसूली शाखा (दिल्ली)

## खबर कोना

विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप मे करतब दिखाते अमेरिका के शेन विसकुस

### फर्राटा धाविका निर्मला चार साल के लिए प्रतिबंधित

मोनाको, 9 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय फर्राटा धाविका निर्मला शेरॉन को 'एथलेटिक्स इंटिग्रिट यूनीट (एआइयू)' ने डोपिंग मामले में चार साल के लिए प्रतिबंधित करने के साथ उनके दो एशियाई चैंपियनशिप खिताब वापस ले लिए। एआइयू ट्रैक एवं फील्ड एथलीटों के डोपिंग मामले को देखती है। एआइयू ने निर्मला को जून 2018 में घरेलू प्रतियोगिता में स्टेरॉयड ड्रोस्तानोलोन और मेटेनोलोन के इस्तेमाल का दोषी पाया था। इसके बाद सात अक्तूबर को उन्हें प्रतिबंधित किया गया। एआइयू के मुताबिक इस भारतीय एथलीट के खून के नमूनों में गड़बड़ी पाई गई थी। उन्होंने प्रतिबंधों को स्वीकार कर लिया है और मामले की सुनवाई की मांग नहीं की।

### दशकों में पहली बार खुलकर फुटबॉल मैच देख सकेंगी ईरानी महिलाएं

तेहरान, 9 अक्तूबर (एएफपी)।

फीफा से निलंबन की चेतावनी मिलने के बाद दशकों में पहली बार ईरान में महिला फुटबाल प्रेमी गुरुवार को खुलकर कोई फुटबाल मैच देख सकेंगी। ईरान में महिलाओं को स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया जाता। 40 साल से मौलवियों का तर्क है कि उन्हें पुरुषप्रधान माहौल और अर्धनग्न पुरुषों को देखने से रोका जाना चाहिए।

### राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निगाहें नीरज पर

रांची, 9 अक्तूबर (भाषा)।

चोट के कारण एक साल बाद वापसी कर रहे स्टार भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा यहां गुरुवार से शुरू हो रही 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आकर्षण का केंद्र होंगे। गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल और जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज ने एक साल से किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है।

### शमी को अब सुझाव की जरूरत नहीं, कुलदीप को पता है वे बाहर क्यों हुए : कोहली

पुणे, 9 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इस बात से खुश हैं कि टीम के खिलाड़ियों ने 'निस्वार्थ रवैया' अपनाया है और 'उनकी सोच में लचीलापन' है जिससे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खेल में बदलाव आया और कुलदीप यादव को पता है कि वे टीम से क्यों बाहर हुए हैं। कभी चोटों से परेशान रहने वाले शमी ने सपाट पिच पर धारदार गेंदबाजी की जिससे कप्तान काफी प्रभावित है। कोहली ने दूसरे टैस्ट की पूर्व संध्या पर बुधवार को यहां कहा, 'अब (वे) अधिक जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं। हमें अब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। हमें अब यह कहने की जरूरत नहीं होती आपको हमारे लिए यह स्पैल डालना होगा। जब उन्हें गेंद सौंपी जाती है तब वे मैच की परिस्थिति को अच्छे से समझते हैं।'

### विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप

# बोरो, बोरगोहेन क्वार्टर फाइनल में

उलान उदे (रूस), 9 अक्तूबर (भाषा)।

पिछले साल की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन (69 किलो) और पहली बार खेल रहीं जमुना बोरो (54 किलो) बुधवार को महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं ।

बोरो ने पांचवीं वरीयता प्राप्त अल्जीरिया की यूदाद फाउ को हराया जबकि तीसरी वरीयता प्राप्त बोरगोहेन ने मोरक्को की यूमाया बेल अहबिब को 5-0 से मात दी। बोरो का सामना अब जर्मनी की उर्सुला गोटलोब से होगा जिन्होंने यूरोपीय चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता बेलारूस की यूलिया अपानासोविच को 3-2 से शिकस्त दी।

बोरगोहेन की टक्कर छठी वरीयता प्राप्त पोलैंड की कैरोलिना कोजेवस्का से होगी जिसने उजबेकिस्तान की शाखनोजा युनूसोवा को हराया। असम राइफल्स की बोरो ने आक्रामक शुरुआत की। उसने बराबरी के रहे दूसरे और तीसरे राउंड में अच्छे पंच लगाए।

बोरो की मां सब्जी बेचकर गुजारा करती हैं लेकिन उन्होंने इस साल इंडिया ओपन में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा की बानगी पेश की। उन्होंने 2015 युवा विश्व चैंपियनशिप में भी कांस्य जीता था। बोरो ने जीत के बाद कहा ,'मैं शुरू में दुविधा में थी लेकिन बाद में मैने उस पर दबाव बना लिया।'

पहले सत्र के आखिरी मुकाबले में बोरगोहेन का सामना अहबिब से था। उन्होंने दूरी बनाकर खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। मोरक्को की मुक्केबाज ने कुछ दमदार घूंसे लगाए लेकिन जवाबी हमलों में बोरगोहेन ने बाजी मारी ।

उन्होंने जीत के बाद कहा,'मेरे लिए यह कठिन नहीं था। मैंने अपनी रणनीति के अनुसार खेला और इस लय को बरकरार रखने की उम्मीद है।' भारत के पांच मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं जिनमें छह बार की चैंपियन एमसी मेरीकाम (51 किलो), मंजू रानी (48 किलो), कविता चहल (प्लस 81 किलो) भी शामिल हैं। चहल को सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला है क्योंकि उनके वर्ग में प्रतियोगी कम हैं ।

**बोरगोहेन की टक्कर छठी वरीयता प्राप्त पोलैंड की कैरोलिना कोजेवस्का से होगी जिसने उजबेकिस्तान की शाखनोजा युनूसोवा को हराया। असम राइफल्स की बोरो ने आक्रामक शुरुआत की। उसने बराबरी के रहे दूसरे और तीसरे राउंड में अच्छे पंच लगाए।**

# पूनिया के शानदार प्रदर्शन से भारत की आठ विकेट से जीत

वडोदरा, 9 अक्तूबर (भाषा)।

घायल स्मृति मंधाना की गैर मौजूदगी में अपने पहले ही मैच में छाप छोड़ने वाली प्रिया पूनिया की पारी और अपने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में आठ विकेट से जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 45.1 ओवर में 164 रन ही बनाए। भारत के लिए झूलन गोस्वामी ने 33 रन देकर 3 विकेट लिए जबकि शिखा पांडे, एकता बिष्ट और पूनम यादव को 2-2 विकेट मिले ।

प्रिया पूनिया

भारत ने 41.4 ओवर में जीत पाई। सलामी बल्लेबाज पूनिया ने 124 गेंद में नाबाद 75 रन जबकि जेमिमा रौद्रिगेज ने 65 गेंद में 55 रन की पारी खेली। तीन मैचों की यह शृंखला महिला वनडे चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है । तीन टी20 मैच खेल चुकीं पूनिया को पहला वनडे खेलने का मौका मिला जब स्टार सलामी बल्लेबाज मंधाना को दाहिने टखने में फ्रैक्चर के कारण बाहर होना पड़ा। पूनिया ने आठ चौके लगाए। रौद्रिगेज ने पूनिया के साथ 83 रन जोड़े।

## दो दशक तक खेलने वाली पहली महिला बनी मिताली

वडोदरा, 9 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय कप्तान मिताली राज 20 साल से अधिक समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं।

मिताली ने 26 जून 1999 को आयरलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट खेला था। उन्होंने 50 ओवरों के प्रारूप में 20 साल 105 दिन पूरे कर लिए हैं। वे दो दशक तक वनडे क्रिकेट खेलने वाली इकलौती महिला क्रिकेटर हैं। पुरुष क्रिकेटरों में भी 20 साल से अधिक क्रिकेट सिर्फ सचिन तेंदुलकर (22 साल 91 दिन , सनत जयसूर्या (21 साल 184 दिन) और जावेद मियांदाद (20 साल 272 दिन) ने खेला है ।

# हरियाणा, महाराष्ट्र और टीएनसीए को एजीएम में भाग लेने से रोका

पुणे, 9 अक्तूबर (भाषा)।

प्रशासकों की समिति ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए), महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) और हरियाणा क्रिकेट संघ (एचसीए) को संविधान में संशोधन नहीं करने के कारण बीसीसीआइ की सालाना आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने से रोक दिया है। यह बैठक 23 अक्तूबर को मुंबई में होने वाली है। इस फैसले का मतलब यह हुआ कि अगर एजीएम में पदाधकारियों के लिए चुनाव होता है तो इन तीनों संघों के पास मतदान का अधिकार नहीं होगा।

सीओए से जुड़े सूत्र ने कहा कि सीओए ने दो प्रदेश इकाइयों को बता दिया है कि वे चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नौ अगस्त 2018 के आदेश के अनुसार अपने संविधान में संशोधन नहीं किया है। सीओए प्रमुख विनोद राय इस समय अमेरिका में हैं जिनसे संपर्क नहीं हो सका। टीएनसीए का प्रतिनिधित्व सचिव एसएस रामास्वामी को करना था जबकि हरियाणा की नुमाइंदगी मृणाल ओझा कर रहे थे। महाराष्ट्र को एजीएम से हटा दिया जाएगा क्योंकि चैरिटी आयुक्त ने क्रिकेट संघ के संशोधित संविधान में विसंगतियां पाई थी। एमसीए अब भी बीसीसीआइ के पूर्व सचिव अजय शिर्के के नियंत्रण में है जिसका प्रतिनिधित्व रियाज बागबान को करना था।

# भारत की निगाहें शृंखला जीतने पर

**मैच का समय**

**सुबह 9:30 से**

पुणे, 9 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय टीम गुरुवार से यहां शुरू हो रहे दूसरे क्रिकेट टैस्ट में जीत की लय को कायम रखते हुए शृंखला जीतने के इरादे से उतरेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका पहले टैस्ट में मिली शर्मनाक हार को भूलकर अस्तित्व बचाने के लिए जूझेगा।

विशाखापत्तनम में पहले टैस्ट में विराट कोहली की टीम ने 203 रन से जीत दर्ज की। लगभग 'परफेक्ट' प्रदर्शन में सुधार की गुंजाइश नहीं रहती लेकिन कोहली हर बार एक नई चुनौती तलाश लेते हैं। भले ही सामना ऐसी टीम से है जो लगातार पांच दिन चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। पुणे के इसी मैदान पर पिछली बार 2017 में स्पिनरों की मददगार पिच पर आस्ट्रेलिया के आफ स्पिनर नाथन लियोन ने भारतीय बल्लेबाजों की हालत खस्ता कर दी थी। वैसी पिच मिलने की संभावना हालांकि इस बार नहीं है। क्यूरेटर पांडुरंग सालगांवकर यदि उससे मिलती-जुलती पिच बनाते भी हैं तो भारत के पास आर अश्विन और रविंद्र जडेजा के रूप में विश्व स्तरीय स्पिनर हैं। फिटनेस समस्या नहीं होने पर भारतीय अंतिम एकादश में बदलाव की उम्मीद कम है। दक्षिण अफ्रीका जरूर सेनुरान मुथुस्वामी और डेन पीट में से एक को बाहर कर सकता है।

**भारत** : विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, इशांत शर्मा और शुभमन गिल। **दक्षिण अफ्रीका**: फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), तेम्बा बावुमा, थ्युनिस डि ब्रुयिन, क्विंटन डिकाक, डीन एल्गर, जुबैर हमजा, केशव महाराज, एडन मार्कराम, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, एरिक नॉर्टजे, वरनन फिलेंडर, डेन पीट, कागिसो रबादा और रूडी सेकेंड।

# दिल्ली हाफ मैराथन में दौड़ेंगे 40 हजार धावक

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (भाषा)।

'फिट इंडिया मूवमेंट' का असर 20 अक्तूबर को आयोजित होने वाली एअरटेल दिल्ली हाफ मैराथन पर भी दिखेगा जिसके लिए 40 हजार से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। हाफ मैराथन के आयोजक प्रोकैम इंटरनेशनल ने बताया कि अगले रविवार को यहां के जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम से शुरू होने वाली रेस के विभिन्न वर्गों में 40, 633 लोगों ने पंजीकरण कराया है जो नया कीर्तिमान है। पिछले साल इसमें लगभग 36,000 धावकों ने भाग लिया था।

प्रोकैम की महाप्रबंधक आरती काकतकर ने बुधवार को बताया कि मुख्य रेस हाफ मैराथन में पिछले साल की तुलना में 11 फीसद ज्यादा पंजीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि हाफ मैराथन के लिए 13,115 धावकों ने पंजीकरण कराया है जबकि 'ग्रेट दिल्ली रन' के 16,962 और 10 किलोमीटर की दौड़ के लिए 8,553 धावकों ने पंजीकरण कराया है। इसी तरह बुजुर्गों के लिए होने वाले सीनियर सिटीजन रेस में 1430 जबकि दिव्यांग वर्ग में 573 धावक भाग लेंगे। इस हाफ मैराथन में पुरुष धावकों में सुरेश कुमार पाटील भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगे जिन्हें युवा धावक मुरली कुमार गावित और अनीश थापा से कड़ी चुनौती मिल सकती है। महिला वर्ग में 2017 की कोर्स रेकार्ड धावक (भारतीय महिला) ए सूरिया और 3,000 मीटर स्टीपलचेज की राष्ट्रीय रेकार्ड धारक सुधा सिंह भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगी। इन दोनों के अलावा पिछले साल की उपविजेता पारुल चौधरी भी भारतीय धावकों में शीर्ष पर रहने की कोशिश करेंगी।

इस हाफ मैराथन में पुरुष धावकों में सुरेश कुमार पाटील भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगे

सुरेश 2011 और 2014 में इस हाफ मैराथन के विजेता रह चुके हैं जबकि मुरली ने इस साल दोहा में हुए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। लंदन ओलंपिक में तीन पदक और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सात पदक जीतने वाली अमेरिकी धाविका कारमेलिटा जेटर को इस मैराथन की ब्रांड एंबेसेडर बनाया गया है।

# तमिलनाडु की लगातार सातवीं जीत में चमके अपराजित

जयपुर, 9 अक्तूबर (भाषा)।

बाबा अपराजित के हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर तमिलनाडु ने रेलवे को आठ विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप सी में लगातार सातवीं जीत दर्ज की। अपराजित ने 124 गेंद में सात चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 111 रन बनाए। इससे पहले उन्होंने 30 रन देकर चार विकेट चटकाए।

तमिलनाडु के सात जीत के साथ 28 अंक हैं और नॉकआउट चरण में उसका प्रवेश तय है। गुजरात छह मैचों में छह जीत के साथ दूसरे स्थान पर है।

रेलवे के 50 ओवरों में नौ विकेट पर 200 रन के जवाब में तमिलनाडु ने लक्ष्य 44.1 ओवर में हासिल कर लिया। अपराजित ने हरफनमौला विजय शंकर (72 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 186 रन जोड़े।

इससे पहले रेलवे के लिए मनीष राव ने 85 गेंद में 55 रन बनाए जबकि प्रथम सिंह ने 43 रन की पारी खेली। अन्य मैचों में राजस्थान ने सेना को हराकर पहली जीत दर्ज की जबकि बंगाल ने त्रिपुरा को पांच विकेट से हराया। तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल की शानदार गेंदबाजी के दम पर पंजाब ने बडौदा को तीन विकेट से हरा दिया।

बल्लेबाजी का आमंत्रण मिलने पर बड़ौदा ने 50 ओवर में आठ विकेट पर 222 रन बनाए। पंजाब ने एक गेंद शेष रहते तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। बड़ौदा के लिए विष्णु सोलंकी ने सबसे ज्यादा 54 जबकि युसूफ पठान ने 43 रन बनाए। कौल ने 10 ओवर में 58 रन देकर चार विकेट चटकाए। मयंक मार्कंडेय को भी दो सफलता मिली।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम भी नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रही लेकिन अभिषेक शर्मा (38), एसआर लुंबा (33), कप्तान गुरकीरत सिंह (39), अनमोल मल्होत्रा (39) और करण काइला (नाबाद 35) के उपयोगी योगदान से टीम ने लक्ष्य हासिल कर लिया। ऋषि अरोथे ने बड़ौदा के लिए सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए।

*तमिलनाडु* के सात जीत के साथ 28 अंक हैं और नॉकआउट चरण में उसका प्रवेश तय है। गुजरात छह मैचों में छह जीत के साथ दूसरे स्थान पर है।

*राजस्थान* ने सेना को हराकर पहली जीत दर्ज की जबकि बंगाल ने त्रिपुरा को पांच विकेट से हराया।

*तेज* गेंदबाज सिद्धार्थ कौल की शानदार गेंदबाजी के दम पर पंजाब ने बडौदा को तीन विकेट से हरा दिया।

NxtGen
Infinite Datacenter
presents
The Indian EXPRESS EXCELLENCE IN GOVERNANCE AWARDS
INDIAN EXPRESS GROUP
HONOURING THE FINEST DISTRICT MAGISTRATES IN INDIA
CALL FOR ENTRIES
The Indian Express announces the second edition of The Indian Express Excellence in Governance Awards. The award celebrates District Magistrates across the nation who have been the agents of progress and change.
AWARD CATEGORIES
• Agriculture
• Border Districts
• Child Development
• Community Involvement
• Education
• Energy
• Entrepreneurship
• Health
• Implementation of Central Schemes
• Inclusive Innovation
• Jammu & Kashmir District
• Left Wing Extremism Districts
• North East Districts
• Skill Development
• Social Welfare
• Technology Implementation
• Water Management
• Women Development
To apply visit eigawards.indianexpress.com
LAST DATE FOR ENTRIES | DECEMBER 31, 2019
The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE
IndianExpress.com/apps twitter.com/IndianExpress facebook.com/IndianExpress

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 326, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।